लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 9.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 11 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol.XI contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 26, सोमवार, 18 दिसम्बर, 1967/27 अग्रहायण, 1889 (शक)
No. 26, Monday, December 18, 1967/Agrahayana 27, 1889 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
721. भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियां समाप्त करने के बारे में सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त का वक्तव्य	Statement of Indian High Commissioner in Singapore re. abolition of Privy Purses of former Rulers ..	3581—3583
723. तिब्बती शरणार्थी	Tibetan Refugees ..	3584—3586
724. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	Fourth Plan ..	3586—3589
725. भारत सेवक समाज को अनुदान	Grants to Bharat Sewak Samaj ..	3589—3592
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.		
15. राज्यों को स्पिरिट की सप्लाई	Supply of spirit to states ..	3592—3594
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
722. चीन द्वारा तिब्बत के सीमावर्ती ग्रामों का खाली कराया जाना	Evacuation of Tibetan Border villages by the Chinese ..	3595
726. भारतीय सांख्यिकी संस्था	Indian Statistical Institute	3595
727. मंगला बांध	Mangla Dam ..	3596
728. अमरीका दूतावास के अधिकारियों द्वारा राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार	US Embassy officials corresponding with State Governments ..	3596

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
729. भाषायी आधार पर भर्ती	Recruitment on Linguistic Basis	3597
731. विदेशों से भारत मूलक लोगों का स्वदेश लौटना	Repatriation of people of Indian origin from Foreign Countries ..	3597
732. परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी करार के बारे में रूमानिया की प्रतिक्रिया	Rumania's Reaction to Non-Proliferation Treaty ..	3597—3598
734. बूढ़ी तीस्ता पर नदी के प्रवाह को रोकने के लिये बांध	Diversion Barrage on Buri Teesta ..	3598
735. परमाणु ऊर्जा का उपयोग	Use of Atomic Energy	3598
736. आकाशवाणी का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of All India Radio ..	3599
737. पूर्वी पाकिस्तान में बौद्धों पर अत्याचार के बारे में जांच	Enquiry about Atrocities on Buddhist Community in East Pakistan ..	3599—3600
738. उत्पादन लक्ष्य	Production Targets	3600
739. रेडियो सीलोन	Radio Ceylon	3600
740. आकाशवाणी के लिये निगम	Corporation for All India Radio ..	3601
741. नागालैंड में युद्ध-विराम	Ceasefire in Nagaland	3601
742. आकाशवाणी केन्द्रों के केन्द्र निदेशकों का सम्मेलन	Conference of Station of Station Directors of A. I. R. ..	3601—3602
743. राज्यों का विकास	Development of States ..	3602—3603
744. पाकिस्तान में नजरबन्दी शिविरों में नजरबन्द भारतीय	Indian Internees in Pakistan Detention Camp ..	3603
747. राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक	National Development Council Meeting ..	3603—3604
748. एच एफ 24 जेट विमानों के निर्माण के लिये भारत-संयुक्त अरब गणराज्य परियोजना	Indo-UAR project for Manufactuing HF-24 Jets ..	3604
749. रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस तथा रेडियो मास्को	Radio Peace and Progress and Radio Moscow ..	3604—3605
750. आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के साथ करार	Contract with A. I. R. Staff Artistes ..	3605

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4662. सवाई माधोपुर (राजस्थान) का विकास	Development of Sawai Madhopur (Rajasthan) ..	3605—3606
4663. प्रतिरक्षा सम्बन्धी ठेके	Defence Contracts	3606
4664. प्रधान मंत्री के सचिवालय के प्रकाशन	P. M. Secretariat's Publications ..	3606
4665. चौथी योजना में शामिल करने के लिये गुजरात की योजना	Gujarat's Scheme for Inclusion in the Fourth Plan ..	3607
4667. सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में पूंजी का विनियोजन	Investments in Public Sector Projects ..	3608
4668. नागालैंड में गोली कांड	Resort to Firing in Nagaland ..	3608
4669. भारतीय सैनिक अकादमी के केडिटों को छात्र-वृत्तियां	Scholarships to Cadets of Indian Military Academy ..	3608—3609
4670. भारतीय सैनिक अकादमी में मनीपुर के केडिटों को छात्र-वृत्तियां	Scholarships to Cadets of Indian Military Academy from Manipur ..	3609
4671. मंत्रियों के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित घटनाओं को आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में शामिल करने से सम्बन्धित सिद्धान्त	Principles re. inclusion of events from Ministers' Personal Life in A. I. R. News Bulletins.. ..	3609
4672. डलहौजी में तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Tibetan Refugees at Dalhousie ..	3609—3610
4673. सैनिक इंजीनियरी सेवा अर्द्ध स्थायी अधिकारी	Quasi Permanent Officials in MES	3610
4674. सैनिक इंजीनियरी सेवा में काम करने वाले इंजीनियर	M. E. S. Engineers ..	3610
4675. हिमाचल प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas Himachal Pradesh ..	3611
4676. अजमेर में उर्स में भाग लेने के लिये पाकिस्तान से यात्री	Pilgrims from Pakistan for Participation in Urs at Ajmer ..	3611
4677. कोहिमा में नागा सम्मेलन	Naga Conference in Kohima ..	3611—3612
4678. पाकिस्तानी प्रेजीडेंट अयूब खां की फ्रेन्ड्स नाट मास्टर्स नामक पुस्तक की बिक्री	Sale of President Ayub Khan's book entitled 'Friends not Masters' ..	3612

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4679. अमरीकी दूतवास के पास कारें	Cars with US Embassy ..	3612
4680. डा० धर्म तेजा को राजनीतिक शरण	Political Asylum to Dr. Dharma Teja ..	3613
4681. केन्द्र में और राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मंत्रालय	Ministry for Scheduled Castes and Scheduled Tribes at the Centre and in the States ..	3613
4682. आर्थिक विकास	Economic Development	3614
4683. सीलोन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के साथ मिलकर भारतीय चलचित्र निर्माताओं द्वारा कथित धोखेबाजी	Alleged Fraud by Indian Film producers in league with Ceylon Broadcasting Corporation ..	3614
4684. राजस्थान राज्य की योजना का परिव्यय	State plan outlay of Rajasthan ..	3614—3615
4685. मिग विमान निर्माण कारखाने	M. I. G. Factories ..	3615
4687. रोहिणी राकेट का छोड़ा जान	Launching of Rocket Rohini	3615
4689. औरंगाबाद का सैनिक क्लर्क प्रशिक्षण स्कूल	Army Clerks Training School Aurangabad ..	3616
4690. लमडेंग (आसाम) में सैनिक बैरक	Army Barrack at Lamdeng (Assam) ..	3616
4691. विदेशों के साथ पत्र व्यवहार	Correspondence with Foreign countries ..	3616—3617
4692. हिन्दी स्टेनोग्राफर	Hindi Stenographers ..	3617
4693. 1965 में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई नदी नौकायें / जहाज	River Crafts/Ships Seized by Pakistan during 1965 Indo-Pak. Conflict ..	3617—3618
4694. श्री मोहन लक्ष्मण रानाडे की रिहाई	Release of Shri Mohan Laxman Ranade..	3618—3619
4695. विदेशों को भारत द्वारा दी गई सहायता	Aid given by India to Foreign countries ..	3619
4696. गांवों में आयोजन	Planning in Villages	3619
4697. ईरान के शाह की ताजपोशी	Coronation of Shah of Iran ..	3620

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4698. आकाशवाणी में मैकेनिकों की पदोन्नति	Promotion of Mechanics in A. I. R. ..	3620—3621
4699. इजीनियरिंग असिस्टेंटों की पदोन्नति	Promotion of Engineering Assistants ..	3621
4700. कपड़े और चमड़े का सामान बनाने वाले आयुध कारखाने	Clothing and Leather Ordnance Factories	3622
4701. श्री फिजो से मिलने के लिये नागा प्रतिनिधियों का लन्दन जाना	Naga Representatives going to London to meet Mr. Phizo ..	3622
4702. तथाकथित नागा संघीय सरकार के राष्ट्रपति को जीपों का दिया जाना	Jeeps supplied to President of socalled Naga Federal Government ..	3622—3623
4703. स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के भाषणों के रिकार्डों पर रायल्टी	Royalty on Recorded Speeches of the late Jawaharlal Nehru ..	3623
4704. वेद मंत्रों के पाठ सम्बन्धी वृत्त-चित्र	Documentary on Vedic Recitations ..	3623
4705. ईरान और पाकिस्तान के बीच रक्षा सम्बन्धी समझौता	Defence pact between Iran and Pakistan .	3624
4706. भूमिहीन भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि का आवंटन	Allotment of land to landless Ex-servicemen ..	3624
4707. सेना के पेंशन प्राप्त मृत कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन	Pension to Widows of Military Pensioners..	3625
4708. काश्मीर में पाकिस्तानी सैनिक हवाई अड्डा	Pak. Military Airport in Kashmir ..	3625
4709. प्रतिरक्षा प्रयोगशाला को कानपुर से ग्वालियर स्थानान्तरण	Shifting of Defence Laboratory from Kanpur to Gwalior ..	3625—3626
4710. सौलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी, दिल्ली	Solid State Physics Laboratory, Delhi ..	3626
4711. हथियारों सम्बन्धी अनुसन्धान और विकास	Research and Development of Weapons ..	3626—3627
4712. विदेशी चलचित्रों का आयात	Import of Foreign Films ..	3627

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4713. जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता देना	Recognition of German Democratic Republic ..	3627
4714. गोला बारूद के डिपो	Ammunition Depots ..	3627—3628
4715. बालासोर (उड़ीसा) में टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला	Terminal Ballistics Research Laboratory at Balasore (Orissa) ..	3628
4716. सेवा निवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारियों को रोजगार दिलाना	Rehabilitation of Retired Defence Personnel ..	3628—3629
4717. केन्द्रीय सूचना सेवा में तदर्थ नियुक्तियां	Ad hoc Appointments in Central Information Service ..	3629—3630
4718. सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तदर्थ नियुक्तियां	Ad hoc Appointments in Ministry ..	3630—3631
4719. श्री मोरारजी देसाई के सम्मान में नेपाल सरकार द्वारा आयोजित समारोह का काठमाण्डू स्थित चीनी दूतावास द्वारा बहिष्कार	Boycott by Chinese Embassy in Khathmandu of Functions arranged by Nepalese Govt. in honour of Shri Morarji Desai ..	3631
4721. वैज्ञानिकों के त्यागपत्र	Resignation of Scientists ..	3631
4722. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का नासिक डिवीजन	Nasik Division of Hindustan Aeronautics Ltd. ..	3631—3632
4723. कनाडा की परमाणु भट्ठी (रिएक्टर)	Canadian Reactor ..	3632
4724. परमाणु बिजली घरों पर व्यय	Expenditure on Nuclear Power Station ..	3632—3633
4725. अफ्रीकी देशों में भारत मूलक व्यक्ति	Persons of Indian Origin in African countries ..	3633
4726 भारतीय भाषाओं के छोटे समाचार पत्रों का विस्तार	Expansion of small Indian Languages Newspapers ..	3634
4727. अमरीका को उपहार में दिया गया हाथी का बच्चा	Baby Elephants presented to USA ..	3634
4728. विदेशों में भारत मूलक व्यक्ति	Persons of Indian Origin in Foreign Countries ..	3635
4729. पटियाला के निकट विमान दुर्घटना	Air Accident near Patiala	3635

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4730. मंगला बांध	Mangla Dam	3635
4731. त्रिपुरा पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी कब्जे में भारतीय राज्य क्षेत्र	Territory under Pak. Occupation Tripura East Pak. Border	3636
4732. अल्प विकसित देशों में सेना का कार्य	Role of Army in underdeveloped countries ..	3636
4733. पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन	Violation of cease fire by Pakistan ..	3637
4736. बिहार में परमाणु संयंत्र	Nuclear Plants in Bihar ..	3637—3638
4737. भारत द्वारा देशों को मान्यता प्रदान करना	Recognition of countries by India ..	3638
4738. स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया की बीमारी के समाचार का प्रसारण	News about late Dr. Ram Manohar Lohia's Illness ..	3638
4739. पाकिस्तान द्वारा भारतीय विद्यार्थियों को 2 वीजा देने से इन्कार	Pakistan refusal to give transit visas to two Indian students ..	3639
4740. रात्रि लड़ाकू विमान तथा चलते फिरते राडार	Night Fighters and Mobile Radars	3639
4741. पाकिस्तान सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ दुर्व्यवहार	Ill treatment of Scheduled Castes and Backward Classes by Pakistan Government ..	3639—3640
4742. किसानों के लिये नई प्रसारण योजना	New Broadcasting Scheme for Farmers ..	3640
4743. तिब्बत के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता	Indian Citizenship for Tibetan Refugees ..	3640
4744. पश्चिमी जर्मनी द्वारा ऐनकों का दान	Donation of Spectacles by West Germany ..	3640—3641
4745. तिब्बत की सीमा पर व्यापारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Businessmen on Tibet Border ..	3641
4747. कानपुर छावनी बोर्ड में मकानों के किराये	Rents in Kanpur Cantonment Board ..	3641—3642

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4748. परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने की सन्धि	Non-Proliferation Treaties	3642
4749. ऐटीकुलम में नौसेना पत्तन	Naval Port at Ettikullam ..	3642—3643
4750. अल्जीरिया भारत सहयोग	Algeria India Collaboration	3643
4751. पश्चिम बंगाल के लिये धन का नियतन	Allocation for West Bengal ..	3643
4753. प्रादेशिक सेना	Territorial Army ..	3643—3644
4754. राजनयिक पारपत्र जारी करना	Issue of Diplomatic Passports ..	3644—3645
4755. प्रधान मंत्री का तमिलनाड का दौरा	Prime Minister's Tour of Tamilnad ..	3645—3646
4756. अफ्रीकी देश छोड़ने वाले भारतीय व्यापारी	Indian Businessmen leaving African Countries ..	3646
4757. प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के निगम	Public Sector Corporations under Defence Ministry ..	3646
4758. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों की लेखा परीक्षा	Audit of Public undertakings under I and B Ministry ..	3646—3647
4759. पश्चिम बंगाल में सैनिक स्कूल	Sainik Schools in West Bengal	3647
4760. राकेटों का विकास	Development of Rockets ..	3647—3648
4761. संगीत तथा नाटक डिवीजन में कलाकार	Artistes in Song and Drama Division ..	3648—3649
4763. सैनिक भूमि नियमावलि	Military Lands Manual	3649—3650
4764. छावनी क्षेत्रों में सम्पत्ति का हस्तान्तरण	Transfer of Property in Cantonment Areas	3650
4767. ढाका में भारतीय दूतावास	Indian Embassy at Dacca	3650
4768. पाकिस्तान द्वारा बांधों का निर्माण	Construction of Dams by Pakistan	3651
4769. काश्मीर विवाद का निपटारा	Settlement of Kashmir Dispute	3651
4770. विदेशों से छात्रवृत्तियां तथा निमंत्रण	Scholarships and Invitations from foreign Countries ..	3652

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

4771. आयध कारखानों में बनाये गये प्रतिरक्षा उपकरण	Defence Equipment Manufacture in Ordnance Factories ..	3652
4772. महापुरुषों के जीवन के बारे में फिल्में	Films on Lives of Great Men ..	3653
4773. हिन्दी की फिल्में	Hindi Films ..	3653
4774. छोटे समाचार पत्रों को प्रोत्साहन	Incentive to Small Newspapers ..	3653—3654
4775. कृषि जन्य आय पर आयकर	Agriculture Income-Tax ..	3654
4776. तिलपत (हरियाणा) में बम गिराने तथा चांदमारी का क्षेत्र	Bombing and Firing Range at Tilpat (Haryana) ..	3654—3655
4777. कृषि संसाधनों सम्बन्धी उप-समिति	Sub-Committee on Agricultural Resources	3655
4778. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को लाभ	Profits of Hindustan Aeronautics Ltd. ..	3655
4779. परम्परागत टेलीविजन केन्द्र	Conventional T. V. Stations ..	3656
4780. पेकिंग रेडियों द्वारा भारतीय फिल्मी कलाकारों का प्रचार	Publicity of Indian Film Stars by Radio Peking ..	3656
4781. एसेक्स फार्म, दिल्ली द्वारा सेना को डिब्बों में बंद मांस की सप्लाई	Supply of Tinned Meat to Army by Essex Farm, Delhi ..	3656—3657
4782. विकलांग सैनिकों को उद्योगों में नौकरी देना	Jobs for disabled soldiers in Industries ..	3657
4783. बुन्देलखण्ड के लिए रेडियो स्टेशन	Radio Station for Bundelkhand ..	3657—3658
4784. सैनिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां	Scholarships in Sainik Schools ..	3658
4785. जहां भारत मूलक लोग बसे हुए हैं उन देशों से संबंध	Relations with countries where persons of Indian origin are settled ..	3658—3659
4786. ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग	Indian High Commission in U. K. ..	3659
4787. रोडेशिया में रंग भेद की नीति	Appartheid in Rhodesia ..	3659—3660
4788. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में लेखा एवं प्रशासनिक अधिकारी	Accounts cum Administrative Officer in National Sample Survey ..	3660

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4789. राडार और सूक्ष्म तरंग उपकरणों का निर्माण	Manufacture of Radar and Microwave Equipments ..	3660—3661
4790. टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of Television sets ..	3661
4791. सिक्किम की उत्तरी सीमा पर चीन की सेना का जमाव	Chinese Troops concentrations on North Sikkim Border ..	3661
4792. नेपाल को ऋण	Loan to Nepal ..	3662
4793. बिहार के लिये धन का नियतन	Allocation for Bihar ..	3662
4794. मंगला बांध का उद्घाटन समारोह	Opening ceremony on Mangla ..	3662—3663
4795. बर्मा में नजरबन्द भारतीय लोगों को भारत में लाना	Repatriation of Indians detained in Burma ..	3663
4796. नागाओं के साथ पुनः वार्ता आरम्भ करना	Resumption of Talks with Nagas ..	3663
4797. आओ तथा सेमा आदिम-जातीय परिषदें	Ao and Sema Tribal Councils ..	3663—3664
4798. इसराइल के जहाजों का स्वेज नहर से होकर जाना	Passage of Israeli Ships through the Suez Canal ..	3664
4798-क ट्रांजिस्टर रेडियो सेटों का मूल्य	Price of Transistor Radio Sets ..	3664—3665
4798-ख संसद् सदस्यों को विकास कार्यक्रम की जानकारी देना	Apprising M. Ps. with development programmes ..	3665
4798-ग अमरीकी सहायता से एक संगणक निगम की स्थापना	Establishment of a computro Corporation with US Assistance ..	3665—3666
4798-घ पाकिस्तानी घुसपैठिये	Pak. Infiltrators ..	3666
4798-ङ केरल में इल्मेनाइट अयस्क परिष्करण संयंत्र का स्थापित किया जाना	Setting of Ilmenite ore processing plant in Kerala ..	3666—3667
4798-च दिल्ली विकास प्राधिकार	Delhi Development Authority ..	3667
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
आसाम में 'आसाम आफ आसामीज' (आसाम आसाम वासियों के लिये) इश्तहारों का बांटा जाना	Distribution of Posters in Assam 'Assam for Assamese' saying ..	3667—3669

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege	.. 3669—3671
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Paper Laid on the Table	.. 3671
राज्य-सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	.. 3671—3672
अत्यावश्यक वस्तुएं (संशोधन) विधेयक—	Essential Commodities (Amendment) Bill—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन	Report of Select Committee	.. 3672
विधिविरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) विधेयक—	Unlawful Activities (Prevention) Bill—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider as reported by Joint Committee	.. 3672
श्री यशवन्त राव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	.. 3672—3674
श्री कृ० म० कौशिक	Shri K. M. Koushik	.. 3674—3676
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	.. 3676—3677
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	.. 3677—3678
श्री अहमद आगा	Shri Ahmad Aga	.. 3678
श्री कृष्ण मूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	.. 3678—3679
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	.. 3679
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey	.. 3679—3680
श्री अमीयनाथ बोस	Shri Amiyanath Bose	.. 3680
श्री रा० बरुआ	Shri R. Barua	.. 3681
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	.. 3681—3682
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	.. 3682
श्री विश्वनाथ मेनन	Shri Viswanatha Menon	.. 3682—3683
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	.. 3683—3684
श्री लकप्पा	Shri K. Lakkappa	.. 3684
श्री सीताराम केसरी	Shri Sitaram Kesri	.. 3684—3685
श्री स्वैल	Shri Swell	.. 3685
श्री शिवनारायण	Shri Sheo Narain	.. 3685—3686
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	.. 3686—3687
श्री हेम राज	Shri Hem Raj	.. 3687—3688

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	3688
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh ..	3688
पश्चिम पाकिस्तान को नदियों के पानी की सप्लाई के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion re. supply of river waters to West Pakistan ..	3688—3689
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok ..	3688—3689

लोक-सभा वाद-विवाद का

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

सोमवार 18 दिसम्बर, 1967 । 27 अग्रहायण , 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र संख्या - 2

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
3592	अल्प-सूचना प्रश्न संख्या 15 के हिन्दी पाठ के स्थान पर निम्नलिखित अंग्रेजी रुपान्तर पढ़िये :

' Supply of Spirit to States ls)

+ 15 Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :-

(a) wheth r it is a fact that the last quota of spiri supplied by the Central Government to the States had exhausted in November, 1967 ;

(b) whether it is also a fact that the new quota of spirit has not so far been allotted to the different States; and

(c) if so, the reasons therefor ?

लोक-सभा वाद-विवाद का

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

सोमवार , 18 दिसम्बर , 1967 । 27 अग्रहायण, 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
3590	प्रश्न संख्या 725 के उत्तर के अंग्रेजी पाठ के स्थान पर निम्नलिखित हिन्दी रुपान्तर पढ़िये :- उप-मंत्री (श्रीमती सरोजनी महिषी) (क) नवम्बर 1966 से समाज कोई अनुदान नहीं दिया गया है भविष्य में अनुदान देने के बारे में सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है और सरकार लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर रही है जो कि पिछले महीने प्राप्त हुआ है ; (ख) ऐसी कोई शिकायत अथवा आरोप ध्यान में नहीं आया है ; और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 18 दिसम्बर, 1967/27 अग्रहायण, 1889 (शक)
Monday, December 18, 1967/Agrahayana 27, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Statement of Indian High Commissioner in Singapore Regarding Abolition of Privy Purses of Former Rulers

* 721. **Shri Shashi Bhushan Bajpai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the statement of the Indian High Commissioner in Singapore, that in case privy purses and privileges of princes are abolished , it would have an adverse effect on the attitude of those foreign friends who invest their capital in India ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether the Indian envoys are allowed to raise such controversial points relating to our internal policies ; and

(d) if not, the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (d). Government have seen the full text of the report filed by the Agence France Presse. Having read the report as a whole and in the light of the explanation given by the officer concerned, it would appear that he has committed indiscretion, rather than an offence. However, the officer has been duly cautioned and asked to refrain from making public statements which might be even remotely construed as criticism of certain policies and course of action under consideration by the Government of India.

Shri Shashi Bhushan Bajpai : Why sons of princes, bankers or hoarders while holding diplomatic assignments are permitted to make public utterances to the effect that abolitions of privy purses and nationalisation of banks in India will result in strained international relations ?

Shri B. R. Bhagat : As stated in my answer they have been warned against making such statements. Moreover, there are regulations governing the conduct of Government officials under which they are forbidden to make publicly any comments on the Government policies irrespective of their personal views to the contrary.

श्री रा० कृ० सिंह : क्या सरकार विदेशों में हमारे सभी कर्मचारियों के लिये कोई आचार संहिता बनायेगी ताकि वे पत्रकारों को वक्तव्य देते समय निश्चित सीमाओं में रहें ?

श्री ब० रा० भगत : श्रीमन्, एक आचार संहिता पहले से है ।

Shri A. B. Vajpayee : What was the occasion which necessitated a statement being made by our High Commissioner in Singapore and what are the contents of his explanation ? Did he say that he had expressed his personal views or did he do so with the intention of influencing the Government policy ?

Shri B. R. Bhagat : He had a talk with the pressmen and during his talks he stated that that was his personal opinion which he should not have done. This found publicity in the press and therefore, he has been warned to refrain from making such statements in future.

Shri Manubhai Patel : It is an onslaught on our sovereignty. Is it enough to let him off with a warning ?

Shri B. R. Bhagat : In view of the past good record of 20 years of the diplomat, the warning was considered sufficient.

श्री स्वैल : कई बार विदेशों में हमारे प्रतिनिधियों से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया होता है । ऐसी हालत में उनसे चुप रहने की आशा की जाती है या नीति को स्पष्ट करने की आशा की जाती है ?

श्री ब० रा० भगत : यदि कुछ निर्णय नहीं लिये गये हैं तो वे बता सकते हैं कि निर्णय क्यों नहीं लिये गये ।

श्री दी० चं० शर्मा : चूंकि चेतावनी कई प्रकार की होती है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उनको किस प्रकार की चेतावनी दी गई है । मैं समझता हूं कि भारत सरकार की नीतियों की आलोचना के लिए उनको दी गई चेतावनी बहुत अपर्याप्त है ।

श्री ब० रा० भगत : उनको चेतावनी दी गई है कि वह अपनी सरकारी क्षमता में व्यक्तिगत राय व्यक्त करते रहे हैं ।

श्री च० चु० देसाई : मैं समझता हूं कि एक उच्चायुक्त का काम यहां की सरकार और देश को यह बताना है कि विदेशों में हमारी नीतियों के प्रति क्या प्रतिक्रिया है । अत: इस बात के कहने में क्या बुराई है कि इस नीति पर चलने से विदेशों में हमारी सरकार पर से विश्वास कम हो जायेगा ? जबकि यह चीज गुजरात सरकार के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा तथा श्री कर्ण सिंह द्वारा कही जाती है तो उस व्यक्ति विशेष के मामले में ही आपत्ति क्यों है ?

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य स्वयं एक बहुत ही प्रतिष्ठित उच्चायुक्त रहे हैं अतः वह सार्वजनिक रूप से किसी बात को बताने और सरकार को बताने में जो अन्तर है उसको भलीभांति समझते हैं। किसी राजनीतिज्ञ द्वारा व्यक्त की गई राय से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। एक सरकारी अधिकारी के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। एक राजनीतिक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतन्त्रता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार का ध्यान आज के समाचार-पत्रों में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि वाशिंगटन में हमारे कार्यदूत ने यह कहा है कि चीन के साथ सीमा समझौता होना असम्भव है ? क्या यह सरकार की नीति है कि चीन के साथ सीमा समझौता होना असम्भव है ?

श्री ब० रा० भगत : यह समाचार आज ही छपा है। निश्चय ही, माननीय सदस्य यह आशा नहीं कर सकते कि सरकार सम्बन्धित व्यक्ति से स्पष्टीकरण प्राप्त किये बिना कि उसने क्या कहा है, सरकार कुछ कहे।

श्री अ० वि० पाटिल : क्या हमारे प्रतिनिधियों के लिये नवीकरण पाठ्यक्रमों का आरम्भ किया जाना उपयोगी नहीं होगा ?

श्री ब० रा० भगत : ऐसी व्यवस्था पहले से विद्यमान है। जब कोई व्यक्ति विदेश सेवा में आता है, तो उसे पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है।

Shri Madhu Limaye : Will the Hon. Minister advise that diplomat to tender his resignation immediately, seek election to Lok Sabha and after being elected speak out his ideas here ?

प्रधान-मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यह मुश्किल से ही प्रश्न है।

श्री पीलु मोडी : क्या भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों और विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सरकार ने अन्तिम निर्णय नहीं किया है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पास किये गये संकल्प की क्रियान्विति पर गृह-कार्य मंत्री को भूतपूर्व नरेशों से बातचीत करनी थी।

श्री कृष्णमूर्ति : सिंगापुर में उच्चायुक्त के खेदजनक आचरण और यहां की चर्चा को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार उनको वापस बुलायेगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं समझती हूं कि खेदजनक ज्यादा कड़ा शब्द है। जैसा कि मंत्री ने बताया, उच्चायुक्त ने विवेक से काम नहीं लिया और उनको उचित चेतावनी दे दी गई है। हमें निश्चय ही आशा है, कि हमारे राजदूत अनावश्यक वक्तव्य नहीं देंगे।

तिब्बती शरणार्थी

*723. **श्री मी० रु० मसानी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 सितम्बर, 1967 के समाचार-पत्र टाइम्स (लन्दन) में भारत में तिब्बती शरणार्थियों में स्वेच्छापूर्वक कार्य करने वाले मिस्टर कैथ सेटरथ्वैट के साथ हुई इंटर्व्यू के बारे में प्रकाशित हुए समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि उनको उन तिब्बती शरणार्थियों के बीच में से जिनमें वह स्वेच्छापूर्वक कार्य कर रहे थे, भारतीय अधिकारियों द्वारा तिब्बती शरणार्थियों में विदेशी राष्ट्रजनों को स्वेच्छापूर्वक काम करने से रोकने तथा उनके काम में बाधा डालने की सरकार की सामान्य नीति के फल-स्वरूप निकलने पर बाध्य कर दिया गया था ;

(ख) क्या उक्त बातें ठीक हैं ; और

(ग) क्या यह सच है, कि सरकार ने इस देश में विदेशियों को तिब्बती शरणार्थियों में काम करने से रोकने की सामान्य नीति अपना ली है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कैथ सेटरथ्वैट, इंगलैंड के फार्म कर्मचारी डल्हौजी में तिब्बती दस्तकारों को फार्म उत्पादन में मार्गदर्शन दे रहे थे। इस समुदाय के पास उपलब्ध कृषि क्षेत्र छोटा होने के कारण, उनकी सेवाओं को आवश्यक नहीं समझा गया और उन्हें अनौपचारिक रूप से सलाह दी गई कि वह उनके साथ काम करना बन्द कर दें। चूंकि क्षेत्र विदेशियों के प्रतिबन्धित नहीं है। इसलिये यदि वह चाहते तो वहां पर अधिक समय के लिए ठहर सकते थे। तिब्बती शरणार्थियों के साथ काम करने वाले केवल विशेषज्ञों और तकनीशनों का ही हम अनुमोदन करते हैं और इस समय 27 ऐसे विदेशी पुनर्वास कार्य में उनकी सहायता कर रहे हैं।

श्री मी० रु० मसानी : मैं 'टाइम्स' पत्र से कुछ पंक्तियां उद्धरित करना चाहता हूं जिनमें उस व्यक्ति ने कहा है :

"मई में स्थानीय जिला कमिश्नर ने लामा खमत्रल रिन्पोच को बुलाकर उनसे पूछा कि उन्होंने स्वयंसेवक क्यों रखे हैं। लामा ने हमें बताया कि हमसे (लामाओं से) चले जाने की आशा की जाती है। बाद में अधिकारियों ने राशन कार्ड जारी न करके तिब्बतियों पर दबाव डाला। तब एक अधिकारी डल्हौजी आया और उसने लामा से पूछा कि हम अब तक क्यों नहीं गये हैं। हमने महसूस किया कि यदि हम नहीं जायेंगे तो अधिकारी उन पर अधिक दबाव डालेंगे। हम एक निजी कुटिया में चले गये।"

क्या माननीय मंत्री समझते हैं कि इस स्वतन्त्र और लोकतन्त्रात्मक देश में ऐसी बातें होनी चाहिये ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि उन्होंने ऐसा कहा था। परन्तु दबाव डालने की और

राशन कार्ड जारी न करने की बात सही नहीं है । सभी जरूरतमन्द लोगों को राशन कार्ड दिये गये थे ।

श्री मी० रु० मसानी : श्री कैथ सेटरथ्वैट से जब पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा भारत सरकार का रवैया है कि शरणार्थी काफी काम नहीं कर रहे हैं । उनको स्वयं-सेवकों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तिब्बती लोग आत्म-निर्भर नहीं बनेंगे । क्या सरकार की यह नीति है ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या यह सच है कि भारत सरकार केवल विशेष प्रकार के स्वयंसेवक चाहती थी न कि साधारण प्रकार के, यदि हां, तो क्या उस व्यक्ति का यह कथन सही है कि :

"स्विट्जरलैंड के एक डाक्टर को, जिसके पास चलती-फिरती डिस्पेंसरी थी, तिब्बती लोगों में काम बन्द करने के लिये कहा गया ।"

इस भेदभाव का क्या कारण है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम इसकी जांच करेंगी ।

श्री ब० रा० भगत : मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि वह डाक्टर अभी वहीं पर हैं ।

श्री मी० रु० मसानी : मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह इसकी जांच करेंगी ।

Shri O. P. Tyagi : Are Government aware that the foreigners working there have taken the children of Tibetans abroad and there they have converted their religion ?

Shri B. R. Bhagat : It is true that Sweden and Switzerland have arranged for the education of certain children. About the change of religion I do not know.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार को पता है कि दलाई लामा तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के नाम में सीमावर्ती क्षेत्रों और विशेषरूप से कांगड़ा में चाय के बड़े-बड़े बागान खरीदने का प्रयत्न कर रहे हैं और क्या यह सच है कि इस प्रयोजन के लिये निधियां पश्चिमी पूंजीपति देशों से आ रही हैं, यदि हां, तो सरकार इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

Shri George Fernandes : Do Government propose to help in the repatriation of these refugees and if so what steps are being taken to expedite their repatriation ?

Shri B. R. Bhagat : They have come here of their own accord and we are trying to rehabilitate them. We have no policy in regard to their repatriation. It is upto them to go or not to go.

Shri George Fernandes : Sir, they have not come here of their own sweet will, international events forced them to leave their country. It is no use concealing the facts even after 20 years. China has concentrated its army in Tibet and thus put India into danger. Have Government any policy regarding their repatriation ?

Shri B. R. Bhagat : The Hon. Member fully well knows that during the Question Hour policy matters cannot be discussed.

Shri Prem Chand Verma : May I know the number of Tibetan refugees who are living in India these days ? There are some Chinese agents in them, who send information from here to China. I would like to know whether Government have conducted any inquiry in this matter. If so, the results thereof.

Shri B. R. Bhagat : There are about 51,000 Tibetan refugees in our country, most of whom came in the beginning. First we ascertain about them about their being Chinese agent or otherwise and after that we provide rehabilitation facilities to them.

Shri Prem Chand Verma : Some such cases have been found.

Shri B. R. Bhagat : They have been sent back.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि चूंकि भारत ने तिब्बती शरणार्थियों का स्वागत किया है इसलिये चीन अधिक संख्या में उन्हें हमारे यहां भेज रहा है जिनमें अधिकतर जासूस होते हैं ? क्या इस बारे में जांच की जाती है ?

Shri Balraj Madhok : Tibetan refugees are being settled at the places not suitable to them from climatic point of view. Why it is being done so ?

Shri B. R. Bhagat : About 14,000 refugees have been settled in hilly areas. About 10,000 refugees are being sent to Mysore State for the purpose. In hilly areas or in the North there is lack of cultivable land, so they are being sent to Mysore where all necessary facilities will be provided to them and arrangements for the purpose have already been made.

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : Some of those who have settled in Mysore came to me sometimes back and told me that they are happy there.

Fourth Plan

*724 **Shri Ram Charan :**
Shri Bhogendra Jha :
Shri Rabi Ray :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission have decided to commence the Fourth Five Year Plan from April, 1969 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government had received suggestions to this effect from the World Bank and the Government of U. S. A. previously ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b) . Attention is invited to the Statement on the subject placed on the Table of the House on December 6, 1967.

(c) No, Sir.

Shri Ram Charan : It has been told that the Fourth Five Year Plan will commence from April, 1969. It means the 3rd Five Year Plan will continue for a period of 7 years. During this period of 2 years the staff of the Planning Commission will have no work to dispose of. What amount can be saved by retrenching their surplus staff.

Shri B. R. Bhagat : It is wrong to say that the staff of Planning Commission have no work at hand. Recently a study has been made in this matter and they were given staff according to their requirements. As such, there is no question of staff being sitting idle. They are busy in the work of Annual Planning and the State Plans.

Shri Sarjoo Pandey : It has been told that the 4th Five Year Plan has been postponed on account of conflict with Pak and the deteriorated food situation. I would like to know the amount spent on Defence purposes.

Shri B. R. Bhagat : I have not with me the separate figures of what has been spent during Indo-Pak conflict. But it has certainly affected our economy. Secondly, most of the aid-giving countries have stopped their assistance to India. All these things compelled the Government to give a new shape to our Planning.

श्री सूपकार : चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के प्रकाशन के बाद क्या हमारी प्रगति की गति धीमी पड़ी है ? जब 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना लागू होती तो तब क्या प्राथमिकताओं में बहुत बड़ा परिवर्तन किया जायेगा ।

श्री ब० रा० भगत : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि मन्दी किन कारणों से आयी ।

Shri S. S. Kothari : May I know whether Government have taken concrete steps to keep the public sector undertakings in order, so that ample resources may be available therefrom for plan purposes ?

Shri B. R. Bhagat : We are trying our best that such industries run properly. Recession has created certain problems and we are making efforts to solve them.

श्री जी० एस० रेड्डी : क्या सब राज्यों की योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास पहुंच गई हैं ?

श्री ब० रा० भगत : इस महीने राज्यों की योजनाओं के बारे में विचार-विमर्श चलेगा तथा इस महीने के अन्त में उन्हें अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : Our late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri insisted on the fact that priorities should be given to the projects which will yield return soon. I would like to know whether Government have taken that policy into consideration while formulating the draft of 4th Five Year Plan.

Shri B. R. Bhagat : Yes, Sir, that factor has been taken into consideration. It will be taken into consideration in future too.

Shri Maharaj Singh Bharati : May I know whether the targets which have not been achieved in the 3rd Plan period, will be achieved during this period of two years and whether new Plan will be made on entirely different patterns ?

Shri B. R. Bhagat : First of all it is tried that the shortcomings of the 3rd Plan are not repeated in the 4th Plan and those targets are achieved therein which were not achieved during 3rd Plan period. The outlay of Rs 30,500 crores was earmarked in the draft of 4th Plan. But it cannot be told what will be its shape in future.

Shri B. N. Kureel : All the three Plans have benefited those who are already resourceful or rich. May I know whether future Plans will be made in such a manner as will be beneficial to those who are resourceless or poor ?

Shri B. R. Bhagat : It is a point, which should be given due attention.

श्री स० कुण्डू : योजना को ताक पर रखने का कारण प्रधान-मंत्री ने यह बताया था कि विदेशी आक्रमण के कारण तथा सूखे आदि के कारण हमारे निजी तथा विदेशी संसाधनों पर प्रभाव पड़ा । इसी कारण योजना को उठाकर रख दिया गया । क्या योजना को स्थगित करने का कारण वास्तव में यही है या सरकार की निष्क्रियता ढुलमुल नीति है ।

श्री ब० रा० भगत : यह कहना गलत है कि योजना को ताक पर रख दिया गया है । वह स्थगित भी नहीं की गई है । आक्रमण से बाह्य संसाधन और दैवी विपत्ति से देश के आन्तरिक संसाधन बुरी तरह प्रभावित हुए जिससे योजना का एक नया रूप विकसित करने की आवश्यकता पड़ी और वार्षिक योजनाओं का रास्ता अपनाया गया है । अब हम यह प्रयास कर रहे हैं कि अब तक जो हमने प्राप्त किया वह सुरक्षित बना रहे । इससे चौथी योजना में वह कमी पूरी की जा सकेगी जो तीसरी योजना में रह गई है और तब हम प्रगति की अपेक्षित गति से आगे बढ़ सकेंगे ।

Shrimati Sushila Rohatgi : May I know whether Government will again consider the matter of giving priority to agriculture in order to attain self-sufficiency in matter of food ?

Shri B. R. Bhagat : All these things are being considered by the Planning Commission.

श्री नन्दकुमार सोमानी : कुछ दिनों से सरकार की यह प्रवृत्ति रही है कि वह महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय संसद् से बाहर लेती है । योजना को स्थगित करने के मामले पर संसद् से परामर्श नहीं किया गया । कृषि आयकर का मामला भी ऐसा ही है ।

श्री ब० रा० भगत : कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है । योजना को स्थगित नहीं किया गया है । कृषि आयकर के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

Shri Randhir Singh : May I know whether the next Plan will be rural oriented and priority will be given to agriculture over industries ?

Shri B. R. Bhagat : Rural areas will be given due attention.

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : गत वर्षों में कई बार अध्ययन के आधार पर यह कहा गया कि योजना आर्थिक लक्ष्यों पर आधारित न होकर भौतिक लक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिये, जिससे वांछित लाभ हो । अब सरकार ने उस बात को स्वीकार तो कर लिया है परन्तु उसे स्पष्ट रूप से मानने में सरकार क्यों हिचकिचाती है ?

श्री ब० रा० भगत : यदि यथार्थवादी योजना से अभिप्राय यह है कि आवश्यकताओं का साधनों से गठबन्धन हो तो यह तो सदा ही किया जाता रहा है ।

Shri Sheo Narain : In all the last Plans U. P. has been totally neglected. May I know whether U. P. will be compensated in the next Plan ?

Shri B. R. Bhagat : All the backward areas including U. P. will be given due attention.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या रुपये का अवमूल्यन भी योजना के स्थगन का एक कारण है ? चूंकि हमारी योजना विदेशी सहायता पर आवश्यकता से अधिक आधारित रहती है इसलिये क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि अमरीका से कम सहायता मिलने पर भी वह चौथी योजना 1969 में शुरू कर सकेगी ?

श्री ब० रा० भगत : अवमूल्यन से हमारे संसाधनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । जहां तक विदेशी सहायता पर निर्भर रहने की बात है, विदेशी सहायता पर निर्भरता को धीरे-धीरे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । यद्यपि इसका प्रतिशत लगभग दस है फिर भी यह अत्यावश्यक है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र में लगाई जाती है तथा विदेशी सहायता के बन्द होने पर योजना में बाधा पड़ना स्वाभाविक हो जाता है । योजना का रूप बदलने का कारण यह है ।

श्री दामानी : जो योजना 1969 में लागू होगी क्या उसमें वे ही लक्ष्य आदि रखे जायेंगे जो चौथी योजना के प्रारूप में रखे गये थे ?

श्री ब० रा० भगत : योजना आयोग योजना को बिल्कुल नया रूप दे रहा है इसलिये वह स्वयं ही निर्धारित करेगा कि लक्ष्य क्या होंगे और किसे प्राथमिकता दी जायेगी ।

Grants to Bharat Sewak Samaj

+

*725. **Dr. Surya Prakash Puri**: **Shri Shiv Kumar Shastri**:
Shri Ram Avtar Sharma: **Shri Ram Gopal Shalwale**:

Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to give grant in any form to the Bharat Sewak Samaj in spite of the recent observations made by the Public Accounts Committee in regard to this organisation ;

(b) whether Government are also aware that certain interested persons are trying to hush up the matters pertaining to the transactions of this Samaj ; and

(c) if so, whether Government propose to institute an inquiry in this connection?

Deputy Minister (Shrimati Sarojini Mahishi): (a) No grant has been released to the Samaj since November, 1966. Government have not yet taken any decision about future releases and are considering the latest report of the Public Accounts Committee received last month.

(b) No such complaint or allegation has come to notice.

(c) Does not arise.

Dr. Surya Prakash Puri: The Bharat Sewak Samaj has detracted from the goal, for the achievement of which it was established by late Shri Jawaharlal Nehru. What is the number of the institutions like Bharat Sewak Samaj, which have been receiving grant from the Central Government? What is the number of states which have stopped their grant to Bharat Sewak Samaj. May I know whether Bharat Sewak Samaj has given its remarks in response to P. A. C Report?

डा० सरोजिनी महिषी : माननीय सदस्य की यह गलत धारणा है कि भारत सेवक समाज में अवांछनीय लोग हैं और वह ठीक काम नहीं कर रहा है। यह बताने के लिये कि कितने राज्यों ने भारत सेवक समाज को सहायता देनी बन्द कर दी है, मुझे कुछ समय चाहिए। तीसरे, जो संस्थाएं रचनात्मक कार्य करती हैं उन सभी को केन्द्रीय सरकार की ओर से सहायता मिलती है।

तीसरी लोक सभा की 34वीं रिपोर्ट तथा चौथी लोक सभा की 9वीं रिपोर्ट में भारत सेवक समाज की निधि के प्रयोग के सम्बन्ध में चर्चा की गई है। वित्त मंत्रालय के खर्च विभाग द्वारा नियुक्त एक जांच समिति इस सम्वन्ध में जाँच कर रही है जिसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

Dr. Surya Prakash Puri: May I know whether some foreign organizations have given financial aid to Bharat Sewak Samaj too spend on relief work; if so the names of such organizations?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): I have no information about it. I will see into it.

Shri Shiv Kumar Shastri: It is all right that you have not given grant to Bharat Sewak Samaj, but I would like to know whether Government have advanced any loans to it.

डा० सरोजिनी महिषी : हाल ही में उसे कोई ऋण नहीं दिया गया है।

Shri Ram Gopal Shalwale: The Bharat Sewak Samaj was set up with a view to provide jobs to some unemployed Congressmen. I would like to know whether the Government will consider the question of winding up this institution.

Shrimati Indira Gandhi: It is not a political organization and there are people of all political shades.

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को ये आदेश दिये थे कि वे ठेकों का काम भारत सेवक समाज को दें और उससे काम करवाने के लिए

उसे धन भी दें । इसी के अनुसार तिरुपथी के तिरुपथी देवस्थानम् ने भारत सेवक समाज को लाखों रुपये दिये और भारत सेवक समाज ने काम नहीं किया तथा इस धन को डकार गया ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : धन के दुरुपयोग सम्बन्धी आरोप जो भारत सेवक समाज पर लगाये गये हैं, क्या सरकार उन आरोपों की जांच करायेगी ? क्या इस संस्था के हिसाब की ठीक से लेखा परीक्षा की गई है ?

डा० सरोजिनी महिषी : इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है । इसके लिए वित्त मन्त्रालय के खर्च विभाग द्वारा एक जांच समिति नियुक्त की जा रही है जो यह देखेगी कि क्या धन का सदुपयोग किया गया है अथवा नहीं ।

Shri Prakhsh Vir Shastri: May I know whether the Social Welfare Board or any other Ministry except Finance Ministry has given the loan to the Bharat Sewak Samaj.

Dr. Sarojini Mahishi: All these matters will be looked into by the enquiry committee.

श्री स० चं० सामन्त : तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने एक जांच समिति इस संस्था को अनुदान देने तथा उसकी कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की थी । क्या उसकी सिफारिशों को लागू किया जा चुका है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार ने गत पांच वर्षों में भारत सेवक समाज को कुल कितना धन, कितनी भूमि और कितने भवन दिये हैं ?

डा० सरोजिनी महिषी : इस प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे प्रश्न की सूचना दी जानी चाहिए ।

श्री गाडिलिंगन गौड : इस जांच समिति का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होगा ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे जांच के बारे में मालूम नहीं है ।

श्री रा० कृ० सिंह : क्या यह सच नहीं है कि भारत सेवक समाज की भांति अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी सरकार वित्तीय सहायता देती है ? दूसरे भारत सेवक समाज के किए हुए कार्य के आधार पर उसे आगे सहायता दी जाती है फिर इसमें भारत सेवक समाज की क्या गलती है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें प्रश्न तो कुछ है ही नहीं जिसका मन्त्री महोदय उत्तर दें ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह तो सच है कि अन्य संस्थाओं को भी सरकार सहायता देती

है परन्तु भारत सेवक समाज के यहां कुछ गड़बड़ हुई है इसलिये लोगों की आंखें अब भारत सेवक समाज पर लगी हुई हैं। फिर भी भारत सेवक समाज ने जो अच्छे काम किये हैं, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

राज्यों को स्पिरिट की सप्लाई

अ० सू० प्र० संख्या 15. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया स्पिरिट का पिछला कोटा नवम्बर, 1967 में समाप्त हो गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभिन्न राज्यों को स्पिरिट का नया कोटा अभी तक नहीं दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार राज्यों को स्पिरिट का कोई कोटा नहीं देती है। केन्द्रीय सरकार अल्कोहल के वितरण में समन्वय का काम करती है। उपलब्धता के आधार पर अल्कोहल का अन्तर्राज्य आवंटन किया जाता है और प्राप्त करने वाले और संभरण करने वाले राज्यों के प्रत्यक्ष सौदे होते हैं। उपलब्ध फालतू मात्रा का अनुमान लगाने के लिये 22 दिसम्बर, 1967 को अतिरेक मात्रा वाले राज्यों के प्रतिनिधियों की एक बैठक दिल्ली में होने वाली है। इस बीच दिल्ली की जरूरी मांग को पूरा करने के लिए फालतू मात्रा वाले राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अन्तर्राज्यीय आवंटन को अन्तिम रूप दिये जाने तक तदर्थ आधार पर थोड़ी मात्रा सप्लाई कर दें।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Is it a fact that some states get the quota of spirit in excess to their requirement. While others get much less with the result that the dealers of surplus areas sell the spirit in black market, in the deficit areas, if so, what steps are being taken by Government to remove this discrimination and check the black-marketing ?

श्री रघुरामैया : किसी संविहित आवंटन का कोई प्रश्न नहीं है। केन्द्रीय सरकार फालतू मात्रा वाले राज्यों को सलाह देती है कि वे कमी वाले राज्यों को कुछ मात्रा का आवंटन करें। तत्पश्चात यह दो राज्यों में एक सौदा बन जाता है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : On the 12th of December last the Hon. Minister had stated in reply to a question that the production of spirit was likely to be considerably reduced because some of the States have taken to the production of potable alcohol in larger quantities.

Will the Hon. Minister prevail upon the representatives of the states in the projected meeting on the 22nd December to have them reduce the production of potable alcohol and increase the production of spirit instead?

श्री रघुरामैया : पिछले अगस्त में विभिन्न राज्यों के शुल्क मंत्रियों की एक बैठक हुई थी जिसमें वे पीने की शराब को कुछ प्राथमिकता देना चाहते थे। वह दे दी गई है, परन्तु हम निरन्तर रूप से विभिन्न राज्यों पर इसे औद्योगिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाने की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या माननीय मंत्री को पता है कि कलकत्ता और अन्य शहरी क्षेत्रों में स्पिरिट की भारी कमी है जिसके कारण चिकित्सा आदि में बड़ी कठिनाई अनुभव हो रही है ? क्या माननीय मंत्री इसकी नियमित सप्लाई के लिए प्रयत्न करेंगे ?

श्री रघुरामैया : पिछले वर्षों में भी स्पिरिट का आयात किया गया था और भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर आयात किया जा सकता है।

Shri S. S. Kothari: What steps are being taken to increase the production of spirit?

श्री रघुरामैया : स्पिरिट का अधिक मात्रा में उत्पादन चीनी के अधिक उत्पादन पर निर्भर करता है।

Shri Bibhuti Mishra: Whether Government are aware that alcohol can be manufactured from bagasse which is at present released by the Government to the contractors. A Farmers receive only four annas per maund for bagasse. I want to know whether Government have an idea to bring the production of bagasse under their control. It will facilitate to give the bagasse to factory owners and production of spirit may not come down.

श्री रघुरामैया : जो बैठक इस महीने के अन्त में होने वाली है, वह इसीलिये की जा रही है कि इन सभी बातों को विनियमित किया जा सके।

Shri Mrityunjay Prasad: I want to know the quantity of spirit that was exported last year and whether there is huge stock of spirit still lying in Calcutta which is meant for export?

श्री रघुरामैया : प्रश्न आयात का है, निर्यात का नहीं है। पिछले वर्ष हमने 41,883 टन एलकोहल आयात किया था।

Shri Maharaj Singh Bharati: I want to draw the attention of Hon'ble Minister towards "Yojna" for the last week. It was written in its editorial that there is no necessity of cultivation of sugar-cane in this country and instead of that we should grow more food and sugar can be imported from abroad. I want to know whether Government have adopted this policy that cultivation of sugar-cane may be stopped; if so, whether Government is contemplating to import spirit on large scale?

श्री रघुरामैया : यह सोचना खाद्य मंत्री का काम है कि उन्हें चीनी की कितनी आवश्यकता है और अनाज की कितनी आवश्यकता है।

श्री मनुभाई पटेल : स्पिरिट तैयार करने के लिये मूल वस्तु सीरा है। कुछ चीनी मिलें इस सीरे का निर्यात कर रही हैं। क्या सरकार को इस बात का पता है, यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री रघुरामैया : एलकोहल और सीरे का निर्यात क्रमश: 25 मई, 1967 और 17 जुलाई, 1967 से बिल्कुल बन्द कर दिया गया है।

श्री सोनावने : इस प्रयोजन के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि शराब पीने वाले लोग स्पिरिट न पियें।

श्री रघुरामैया : हम राज्यों से केवल अपील कर सकते हैं कि वे सतर्क रहें।

Shri Tulshidas Jadhav: In some cases molasses is just thrown out as waste. Whether Government has made any arrangement to utilise the molasses fully?

श्री रघुरामैया : अखिल भारतीय सम्मेलन सदा इस बात पर विचार करता रहा है कि सीरे का स्टाक ठीक ढंग से रखा जाये।

श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या सरकार एलकोहल के उत्पादन के लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है जिससे उत्पादन में वृद्धि हो और उससे लोग पीने के लिए 'ताड़ी' का प्रयोग नहीं करेंगे ?

श्री रघुरामैया : औद्योगिक एलकोहल केवल सीरे से बनता है। यह ठीक है कि बम्बई में हमारी एक योजना है जिसके अनुसार हम एथिलीन से एलकोहल बनाना चाहते हैं जिससे पोलीथीन आदि के उत्पादन के लिए एलकोहल की मांग में कमी हो जायेगी; परन्तु अभी वह विचाराधीन है।

श्री दी० चं० शर्मा : जब रोगियों के लिये हस्पतालों में भी स्पिरिट नहीं दी जा रही है तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि राज्य सरकारों के क्रियाकलापों का समन्वय करने और उनमें एकमत तैयार करने के स्थान पर, वे अधिक स्पिरिट का आयात करें जिससे यह अनिवार्य सेवायें जारी रखी जा सकें चाहे इसके लिये नीति में कोई परिवर्तन ही क्यों न करना पड़े ?

श्री रघुरामैया : हमने पिछले वर्ष भी कुछ एलकोहल का आयात किया था और अब भी आयात की जितनी आवश्यकता होगी, उसका आयात अवश्य किया जायेगा।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : जो उत्तर दिये गये हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि जिन्हें पीने की आदत है और जो सीरे से एलकोहल तैयार करते हैं, उन दोनों में मुकाबला चल रहा है। क्या इस मुकाबले में कमी करने के लिये यह ठीक नहीं है कि लोगों को अपने पीने के लिये अपने घरों में एलकोहल तैयार करने की अनुमति दे दी जाये ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चीन द्वारा तिब्बत के सीमावर्ती ग्रामों का खाली कराया जाना

*722. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीच के सेक्टर में सीमा से सात से दस मील की दूरी पर सीमा पार तिब्बत में चीनी गांवों को खाली कर रहे हैं ।

(ख) क्या अवांछनीय तिब्बती जनता को भारत में चले जाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो शरणार्थियों के रूप में भारत में घुसकर तोड़फोड़ करने वाले चीनियों का पता लगाने के लिए सभी तिब्बती शरणार्थियों की छानबीन करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) इस वक्तव्य का समर्थन करने के लिए सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) धार्मिक अत्याचारों तथा ऐसे ही कारणों से कुछ तिब्बती शरणार्थी भागकर भारत आ रहे हैं ।

(ग) तोड़फोड़ करने वाले, तत्वों का पता लगाने और उनका प्रवेश रोकने की दृष्टि से भारत आने वाले तमाम तिब्बती शरणार्थियों से सावधानी पूर्वक पूछताछ की जाती है और उनकी जांच की जाती है । यह सूचना 24 जुलाई, 1967 को तारांकित प्रश्न संख्या 1348 के उत्तर में दी गई थी ।

भारतीय सांख्यिकी संस्था

*726. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :** क्या **प्रधान मंत्री** 10 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1032 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकी संस्था की पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर इस बीच कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान-मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मंगला बांध

*727. **श्री हेम बरुआ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान द्वारा निर्मित मंगला बांध के लिए सरकार ने 1 अरब 30 करोड़ रुपए दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह धनराशि देते समय इस समस्या के राजनैतिक पहलू पर विचार किया गया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अमरीकी दूतावास के अधिकारियों द्वारा राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार

*728. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री उमानाथ :**
श्री गणेश घोष : **श्री प० गोपालन :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी दूतावास के अधिकारी उनके मंत्रालय की उपेक्षा कर राज्य सरकारों से सीधे पत्र-व्यवहार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य सचिव ने अमरीकी दूतावास द्वारा लिखा गया एक पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें राज्य सरकार से कहा गया है कि काश्मीर की यात्रा करने वाले दूतावास के कुछ अधिकारियों को सुविधायें प्रदान की जायें;

(ग) क्या सरकार ने दूतावास के साथ इस मामले को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) अमरीकी राजदूतावास तथा अन्य राजदूतावासों के वरिष्ठ राजनयिक अधिकारियों ने अपने-अपने राजनयिक अधिकारियों द्वारा की जाने वाली यात्राओं के बारे में, विशेषकर, अल्प सूचना पर की जाने वाली यात्राओं के बारे में राज्य सरकारों से सीधे ही लिखा-पढ़ी की है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) . सरकार ने अमरीकी राजदूतावास के साथ इस मामले को नहीं उठाया है क्योंकि रोजमर्रा के विषयों पर विदेशी मिशनों द्वारा राज्य सरकारों के साथ सीधे पत्र-व्यवहार करने में कोई अपत्ति नहीं है। फिर भी, दिल्ली-स्थित विदेशी मिशनों को सूचित कर दिया गया है कि जब कभी मिशनों के सदस्य सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी काम पर राज्यों में जाना चाहें तो उसके बारे में विदेश मंत्रालय को सूचित कर दिया करें।

भाषायी आधार पर भर्ती

*729 **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भाषायी आधार पर अनुसचिवीय कर्मचारियों की भर्ती करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परिवर्तन से आकाशवाणी के केन्द्रों का काम किस प्रकार अधिक कुशलता से होने लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Repatriation of People of Indian Origin from Foreign Countries

*731. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 149 on the 7th November, 1966 and state:

(a) whether in view of the increasing population of India, Government propose to check the repatriation of the people of Indian origin settled in Burma and East African countries by taking retaliatory action;

(b) whether Government are giviving full assistance to the Indian repatriates to enable them to achieve their previous standard of living; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat): (a) Government are of the view that the problem of increasing population in India should not be linked with the question of repatriation or return to India of people of Indian origin abroad.

(b) and (c). Steps are taken to provide assistance in the rehabilitation of repatriates and to enable them to achieve a reasonable standard of living in India.

परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने संबंधी करार के बारे में रूमानिया की प्रतिक्रिया

*732. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी करार के मसौदे पर किये गये टिप्पण/ज्ञापन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) इस टिप्पण/ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार उसमें दी गई सभी बातों अथवा किसी एक बात से सहमत है और यदि हां, तो किन से; और

(घ) क्या अमरीका-रूस के दबाव का मुकाबला करने के लिये रूमानिया तथा अन्य देशों से सरकार का विचार सहयोग करने का है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) एक ब्योरा सदन की मेज पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2040/67]

(ग) सरकार आमतौर से उपर्युक्त मुद्दों पर सहमत है।

(घ) इस तरह का कोई दबाव नहीं रहा है। इसका प्रतिकार करने का प्रश्न नहीं उठता।

बूढ़ी तीस्ता पर नदी के प्रवाह को रोकने के लिये बांध

*734. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 5 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 289 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बूढ़ी तीस्ता पर नदी के प्रवाह को बदलने के लिये बनाये जाने वाले बांध के निर्माण के बारे में पूर्वी पाकिस्तान में हमारे दूतावास से तथा पश्चिमी बंगाल सरकार से इस बीच विस्तृत सूचना प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो वह सूचना क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) . पश्चिम बंगाल सरकार और ढाका-स्थित हमारा मिशन इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने में असमर्थ रहा है।

परमाणु ऊर्जा का उपयोग

*735. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग के अब तक के कार्यों का कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा औद्योगिक विकास के लिये, बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, लोगों का स्वास्थ्य स्तर उन्नत बनाने के लिये अथवा प्रतिरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्यक्षतः उपयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) . एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2041/67]

आकाशवाणी का विकेन्द्रीयकरण

*736. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी के विकेन्द्रीयकरण के बारे में चन्दा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर विशेष रूप से राज्य प्रशासन तथा क्षेत्रीय रेडियो स्टेशनों के बीच अधिक घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) अधिकारों और कार्यों का विकेन्द्रीयकरण एक अविरत प्रक्रिया है। इस दिशा में कुछ कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें प्रस्तुत करने के मामले में आकाशवाणी के केन्द्र अब अधिक स्वतन्त्र हैं। उनकी वार्त्ता और नाटक सूचियां आदि के लिए अब मुख्यालय की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति एवं प्रधान मंत्री के प्रसारणों तथा अखिल भारतीय समाचार बुलेटिनों को छोड़कर अन्य केन्द्रीय कार्यक्रमों को रिले करना केन्द्रों के लिए अब जरूरी नहीं है। केन्द्र प्रमुखों को कुछ सीमा तक स्टाफ आर्टिस्ट नियुक्त करने के लिए प्रशासनिक अधिकार दे दिए गए हैं। केन्द्र निदेशकों को दिए गए वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों के बारे में समय-समय पर पुनर्विचार किया जाता है और जब आवश्यकता होती है उनके ये अधिकार बढ़ा दिये जाते हैं।

प्रादेशिक रेडियो केन्द्रों और राज्य प्रशासनों के बीच निकट सम्पर्क स्थापित करने के उपायों पर सरकार विचार कर रही है ताकि राज्य सरकारें आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों के काम में अधिक सक्रिय भाग ले सकें।

पूर्वी पाकिस्तान में बौद्धों पर अत्याचार के बारे में जांच

*737. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री समर गुह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 10 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1026 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान में चिट्टगांव में बौद्धों पर किये गये कथित अत्याचारों के बारे में की गई जांच के परिणाम क्या हैं; और

(ख) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 10 जुलाई, 1967

को लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 1026 के उत्तर में यह पहले ही बताया जा चुका है कि सरकार ने पूर्व पाकिस्तान के चटगांव जिले के कोक्स-बाजार सब-डिवीजन में बौद्ध समुदाय के सदस्यों पर आक्रमण की वारदात होने की पूछताछ की है और उसके ऐसा विश्वास करने के कारण हैं कि अखबारों की खबरें सही थीं। बाद में कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी गई।

(ख) जैसा कि सदन को मालूम ही है, और जैसा कि सरकार पहले ही बता चुकी है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करना पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है। फिर भी, भारत सरकार ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को परेशान किये जाने के बारे में समय-समय पर पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया है और उन्हें इस बात की याद दिलाई है कि नेहरू-लियाकत संधि के अंतर्गत उनका दायित्व क्या है।

Production Targets

*738. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that various production targets fixed for the current year have not been achieved; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b). The current Plan year ends only on March 31, 1968. It is, therefore, obviously not possible to indicate the position at this stage.

रेडियो सीलोन

*739. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो सीलोन भारत से लगातार फिल्मी गाने प्रसारित करता रहता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आकाशवाणी के केन्द्रों से लगातार राष्ट्रीय गीत, नाटक आदि के कार्यक्रम प्रसारित करने की सरकार की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आकाशवाणी में गीत, नाटक, आदि के विविध कार्यक्रमों की विविध भारती के नाम से एक सेवा पहले ही है जो बम्बई और मद्रास के दो शार्टवेव ट्रांसमीटरों और अन्य 26 विविध भारती केन्द्रों के अल्प शक्ति के ट्रांसमीटरों से प्रसारित की जाती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी के लिए निगम

*740 **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के लिये एक स्वायत्तशासी निगम बनाने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : आकाशवाणी को एक स्वायत्तशासी निगम में बदलने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। परन्तु, निर्णय होने से पहले इस बारे में हुई प्रगति का ब्योरा देना कठिन है।

नागालैंड में युद्ध-विराम

*741. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागालैण्ड में युद्ध-विराम की अवधि को अपने आप बढ़ाते रहने का है जबकि नागा विद्रोही उसका उल्लंघन करते रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में, सरकार समय-समय पर युद्ध-विराम की अवधि बढ़ाती रही है। यह नीति सदन में कई बार बताई जा चुकी है। तारांकित प्रश्न संख्या 445 दिनांक 12 जून, 1967 और 283 दिनांक 27 नवम्बर, 1967 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

नागालैंड में, इस प्रबंध का कोई बड़ा उल्लंघन नहीं किया गया है। हां, मणिपुर के कुछ भागों में थोड़ा उल्लंघन किया गया है जिस पर राज्य सरकार और सुरक्षा सेनाओं ने प्रभावकारी ढंग से कार्यवाई की है।

आकाशवाणी केन्द्रों के केन्द्र निदेशकों का सम्मेलन

*742. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के केन्द्रों के केन्द्र निदेशकों के हाल ही में दिल्ली में हुए सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था; और

(ख) उनके बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) केन्द्र निदेशकों के सम्मेलन में कार्यक्रम, तकनीकी और प्रशासनीय मामलों के बारे में रेडियो केन्द्रों के दिन-प्रतिदिन के संचालन सम्बन्धी विभिन्न बातों पर विचार-विमर्श किया गया था । उनमें से अधिक महत्वपूर्ण बातें ये थीं :

1. स्थानीय रेडियो केन्द्रों के कार्यक्रमों में राज्य सरकारों से समन्वय ।
2. प्रसारण करने की इच्छा रखने वाले के मूल लेख की जांच के लिये सिद्धांत ।
3. विभिन्न दृष्टिकोणों से युक्त सामयिक मामलों पर वार्ताओं के अधिक प्रसारणों की आवश्यकता ।
4. प्रोग्राम स्टाफ की भाषा के आधार पर भर्ती ।
5. गांधी जी के राष्ट्रीय विचारों की नवयुवकों पर छाप ।
6. स्कूल और औद्योगिक प्रसारणों को सुदृढ़ करना ।
7. वाणिज्यिक रिकार्डों का पूरा उपयोग और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण ।
8. भक्ति सम्बन्धी कार्यक्रम ।
9. भाव सम्बन्धी बुलेटिनों का प्रसारण ।
10. वर्तमान तकनीकी सुविधाओं का अधिकतम संभव लाभ उठाना और विभिन्न समाचार एककों के बीच शीघ्र संचार के तरीके ढूंढ़ना और ।
11. कार्यक्रमों में उच्च तकनीकी स्तर का ध्यान रखना ।

(ख) सम्मेलन में दिए गए सुझावों को यथासम्भव ग्रहण करने के लिये विचार किया जायगा ।

राज्यों का विकास

*743. **श्री स० कुण्डू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि कम विकसित राज्यों तथा विकसित राज्यों के *बीच* असंतुलन बढ़ता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और पहली योजना के आरम्भ से अब तक वर्षवार क्षेत्रफल तथा जनसंख्या सहित विभिन्न राज्यों की कुल आय (कुल राष्ट्रीय आय) कितनी है ; और

(ग) राज्यों में बढ़ते हुए असन्तुलन को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). कम विकसित तथा विकसित राज्यों के बीच होने वाले असन्तुलन के

विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऐतिहासिक, भूगोलिक और जनांकिकी कारणों के परिणामस्वरूप ही आर्थिक तथा सामाजिक विकास में असन्तुलन और असमानता है। राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों की समस्या है। योजना का परिव्यय, केन्द्र से प्राप्त होने वाली सहायता और केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में विचार करते समय इन सब तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिये। उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं/वार्षिक योजनाओं द्वारा लगातार राज्यों के बीच हुई असमानता को कम करने का प्रयास किया जायेगा।

पहली और दूसरी योजना की अवधि में विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय का पता लगाने के लिये समान संकल्पना, स्तर और तरीके का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर भी, तीसरी चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये कुछ आंकड़े एकत्रित किये गये थे उनका विवरण 10 नवम्बर, 1966 के दिये गये अतारांकित प्रश्न के उत्तर में दिया गया था।

विभिन्न राज्यों के क्षेत्र और जनसंख्या के सम्बन्ध में जानकारी जनसंख्या प्रतिवेदनों, केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों और भारत संघ की वार्षिक सांख्यकीय पुस्तिकाओं में उपलब्ध है।

पाकिस्तान में नजरबन्दी शिविरों में नजरबन्द भारतीय

*744. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के नजरबन्दी शिविर में नजरबन्द भारतीय अभी तक पड़े हुए हैं और पाकिस्तानी एजेंसियों के अनुसार भारतीय उच्चायोग ने इन नजरबन्द भारतीयों में से 29 व्यक्यिों को भारतीय मानने से इन्कार कर दिया है और शेष नजरबंद व्यक्तियों को यात्रा कागजात नहीं दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इस मामले में क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). पाकिस्तान-स्थित हमारे हाई कमीशन के अनुसार, लाहौर के बन्दी शिविर में आजकल 152 व्यक्ति हैं जिन्हें पाकिस्तान सरकार ने भारतीय राष्ट्रिकों के रूप में पुनर्देशावर्तित करने के लिये पेश किया है। इस संख्या में से 42 व्यक्ति ऐसे हैं जो हमें पुनर्देशावर्तन के लिये स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि जांच करने पर यह पता चला है कि वे भारतीय राष्ट्रिक नहीं हैं। शिविर के शेष 110 बंदियों में 51 ऐसे हैं जो गूंगे और बहरे हैं या पागल हैं और जिनकी राष्ट्रीय हैसियत का पता नहीं लगाया जा सका है। शेष 59 व्यक्तियों के मामलों पर सम्बद्ध राज्य सरकारें विचार कर रही हैं।

National Development Council Meeting

*747. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the names of States whose Chief Ministers attended the last meeting of the National Development Council ;

(b) whether any discussion was also held in the meeting about the measures for solving economic crisis in the country; and

(c) if so, the decision arrived at in the matter?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) The meeting was attended by the Chief Ministers of Andhra Pradesh, Gujarat, Jammu and Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Madras, Maharashtra, Mysore, Orissa, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh, besides Ministers or other representatives of the remaining States, and the Union Territories.

(b) and (c). Economic trends during the current year were noted by the Council while discussing the background and policy implications of the Annual Plan for 1968-69. The main decisions taken at the meeting were given in the statement which was laid on the Table of the House in answer to Starred Question No. 584, dated 11-12-67.

एच० एफ० 24 जैट विमानों के निर्माण के लिये भारत संयुक्त अरब गणराज्य परियोजना

*748. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ध्वनि की गति से तेज चलने वाले लड़ाकू विमानों के निर्माण की भारत-संयुक्त अरब गणराज्य परियोजना को त्याग देने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भविष्य में बनने वाले एच० एफ० 24 विमान पर इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं । विमान ढांचे एच० एफ० 24 में प्राप्त ई-300 इंजन के सम्बन्ध उड़ान में प्रगति करने के परीक्षण संयुक्त अरब गणराज्य में प्रगति से किये जा रहे हैं । इन उड़ानों के परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के पश्चात ही संयुक्त अरब गणराज्य की सहायता से विमान निर्माण किये जाने के प्रश्न पर विचार करने का प्रश्न उठेगा ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस तथा रेडियो मास्को

*749. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस" तथा रेडियो मास्को द्वारा हाल में मध्य प्रदेश सरकार की आलोचना किये जाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार सोवियत अधिकारियों के साथ इस मामले को उठा रही है ।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के साथ करार

*750. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के लिये एक नया दीर्घकालीन करार लागू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या स्टाफ आर्टिस्टों ने व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने संघ के माध्यम से इस नये करार का विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). इस आशय के आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं कि वर्तमान पांच वर्ष के ठेके की पद्धति के स्थान पर एक नियुक्ति-पत्र दिया जाये जिसमें उनका सेवाकाल 55 वर्ष की आयु तक हो । यह आयु आगे 58 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और अति विशेष मामलों में 60 वर्ष तक । नियुक्ति-पत्र के फार्म की एक प्रति अंग्रेजी में सदन की मेज पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-2042/67]

(ग) तथा (घ). स्टाफ आर्टिस्टों और स्टाफ आर्टिस्ट्स एसोसिएशन से मौखिक अभ्यावेदन मिले हैं । आल इंडिया रेडियो ब्राडकास्टर्स एण्ड टेलिकास्टर्स गिल्ड ने एक लिखित अभ्यावेदन भेजा है जिसमें नये करार के कुछ उपबन्धों पर आपत्ति की गई है । इन आपत्तियों पर विचार किया जा रहा है ।

Development of Sawai Madhopur (Rajasthan)

4662. **Shri Meetha Lal Meena**: Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sawai Madhopur District of Rajasthan has been declared a backward district; and

(b) the financial provision made by the Central Government for the said District during the current year and the items on which the above amount would be spent ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) Yes, Sir.

(b) In view of the constraint of resources no specific provision could be made in the State's Annual Plan 1967-68 for this district's accelerated development.

प्रतिरक्षा सम्बन्धी ठेके

4663. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व राज्य-मंत्री, श्री ब० रा० भगत द्वारा सीधे कितने ठेके दिये गये अथवा दिलाये गये तथा उनका मूल्य कितना था ; और

(ख) उक्त ठेके देने में अपनाई गई प्रक्रिया का ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रधान मंत्री के सचिवालय के प्रकाशन

4664. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) प्रधान मंत्री के सचिवालय द्वारा कितनी तथा कौन-कौन सी सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं और इनमें लेख देने वाले तथा उनका सम्पादन करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ख) साप्ताहिक अथवा मासिक पत्रिकाओं में से प्रत्येक पत्रिका की कितनी-कितनी प्रतियां छपती हैं, और इनकी कितनी-कितनी प्रतियां निःशुल्क भेजी जाती हैं तथा वे किन-किन व्यक्तियों को तथा कहां-कहां भेजी जाती हैं ;

(ग) इनके प्रकाशन पर वार्षिक व्यय कितना होता है तथा इस कार्य के लिये कितना आवर्ती व्यय होता है ;

(घ) विभिन्न पत्रिकाओं की बिक्री से प्रतिवर्ष कितनी आय होती है ;

(ङ) यह साहित्य किस वास्तविक प्रयोजन के लिये प्रकाशित किया जाता है । अब तक इससे कितना प्रयोजन सिद्ध हुआ है ; और

(च) यदि इन पत्रिकाओं से घाटा हो रहा है, तो क्या उनका प्रकाशन बन्द करने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) प्रधान मंत्री सचिवालय द्वारा कोई सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित नहीं होतीं ।

(ख) से (च). प्रश्न ही नहीं उठते ।

चौथी योजना में शामिल करने के लिये गुजरात की योजना

4665. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये गुजरात सरकार ने कोई योजनायें भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इन योजनाओं पर अनुमानत: कितनी धनराशि व्यय होगी ; और

(घ) चौथी योजना में शामिल की जाने वाली योजनाओं के लिये धन की व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जैसा कि पहले भी बताया गया है, कि चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये गुजरात सरकार ने अपनी योजनाएं भेजी थीं।

(ख) और (ग). राज्य सरकार से चर्चा के बाद उसकी मुख्य बातें ये हैं :

	करोड़ों रुपयों में
कृषि कार्यक्रम जिसमें सामुदायिक विकास और सहकारिता शामिल है	86.41
सिंचाई और बिजली	202.33
उद्योग और खनिज	22.00
परिवहन तथा संचार	41.10
समाज सेवाएं	73.54
विविध	20.62
कुल	446.00

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना का 446 करोड़ रुपये का परिव्यय इस प्रकार प्राप्त किया जायेगा :

	करोड़ों रुपयों में
केन्द्रीय सहायता	165
राज्य के साधन	281
कुल	446

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में पूंजी का विनियोजन

4667. **श्री दामानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में अधिक पूंजी लगाने का प्रश्न विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या योजना आयोग ने इस सुझाव का अनुमोदन कर दिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). 1968-69 की वार्षिक योजना के सम्बन्ध में आजकल योजना आयोग राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों से चर्चा कर रहा है। प्रत्येक योजना की आवश्यकता और साधनों की उपलब्धता के आधार पर ही पूंजी की व्यवस्था का अनुमान लगाया जायेगा। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी लगाने सम्बन्धी सम्भावना के सम्बन्ध में चर्चा के बाद ही उल्लेख किया जायेगा।

नागालैंड में गोली-कांड

4668. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि नागालैंड में युद्ध-विराम की अवधि में अब तक कितनी बार गोली चलानी पड़ी है तथा गोली चलाने से कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने व्यक्ति घायल हुए ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सदन की मेज पर एक वक्तव्य रख दिया गया है जिसमें 6 सितम्बर, 1964 से 30 अक्तूबर, 1967 के बीच हमारी सुरक्षा सेना और छिपे नागाओं के बीच हुई गोलाबारी का ब्योरा दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2043/67]

भारतीय सैनिक अकादमी के केडिटों को छात्रवृत्तियां

4669. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून में अध्ययन करने वाले छात्र केडिटों को उनके अपने-अपने राज्यों की सरकारों द्वारा कुछ छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां तो, ऐसी छात्रवृत्तियां देने वाली राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के नाम क्या हैं तथा प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कितनी राशि की छात्रवृत्ति दी जाती है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) उन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की राशि सम्बन्धी एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2044/67**]

भारतीय सैनिक अकादमी में मनीपुर के केडिटों को छात्रवृत्तियां

4670. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार द्वारा भेजे गये कितने छात्र केडिट इस समय राष्ट्रीय भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून में अध्ययन कर रहे हैं ;

(ख) क्या मनीपुर सरकार ने अपने छात्र केडिटों को कोई छात्रवृत्तियां दी हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 13

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Principles re. Inclusion of Events from Ministers' Personal Life in A. I. R. News Bulletins

4671. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether there are any guiding principles for including the events pertaining to the personal life of the Ministers in the news bulletins of A.I.R. ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) The selection is made on the relative news value of each item in the context of the totality of news material available for a particular news bulletin.

Rehabilitation of Tibetan Refugees at Dalhousie

4672. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the reasons for removing the Tibetan refugees from Mussoorie and keeping them at Dalhousie ;

(b) the reasons for sending Dalai Lama from Mussoorie to Dalhousie ; and

(c) the scheme now formulated by Government for the Tibetan refugees ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Tibetan refugees continue to stay in Mussoorie.

(b) The Dalai Lama moved to Dharamsala and not to Dalhousie in 1960. This was done as Dharamsala is a quieter place and, as such, is considered to be more suited for meditation etc. It was also considered to offer better facilities for accommodation.

(c) About 14,000 Tibetan refugees have been settled on land. A new agricultural settlement has been established at Mundgod in Mysore State for settling approximately 5,000 Tibetan refugees.

The Tibetan Industrial Rehabilitation Society, organised by His Holiness the Dalai Lama, has a programme for resettling 5,000 Tibetan refugees, of which about 1,000 have already been shifted to various projects in Himachal Pradesh.

At present we are experiencing difficulties in resettlement due to shortage of land but attempts are being made to try and purchase these.

Requisite arrangements for education and medical cover have also been made.

सैनिक इन्जीनियरी सेवा में अर्द्ध-स्थायी अधिकारी

4673. **श्री य० अ० प्रसाद** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक इन्जीनियरी सेवा (एम० ई० एस०) में बहुत से ऐसे मामले होते हैं जहां अर्द्ध-स्थायी अधिकारियों को लगभग दस वर्षों तक स्थायी नहीं किया जाता है जो नियमों के विपरीत है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने का है, जिसमें ऐसे मामलों के अलग-अलग आंकड़े दिये गये हों जिनमें कुछ अधिकारियों को स्थायी करने में लगभग 3 वर्षों, 10 वर्षों और 15 वर्षों की देरी हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं। ऐसे स्थायी करने के मामले बहुत कम हैं जिनमें 10 वर्ष से अधिक विलम्ब किया गया है।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सैनिक इन्जीनियरी सेवा में काम करने वाले इन्जीनियर

4674. **श्री य० अ० प्रसाद** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक इन्जीनियरी सेवा में काम करने वाले बहुत से इंजीनियर ऐसे हैं जिनके पास न डिग्री है और न डिप्लोमा और वे लिपिक संवर्ग से पदोन्नत हुए हैं ; और

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब बहुत से अर्हताप्राप्त इन्जीनियर उपलब्ध हैं लिपिकों को इन्जीनियर बनाने की प्रथा बन्द कर दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों का विकास

4675. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र माना गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर कितनी धनराशि व्यय की जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या कुछ अन्य क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश सरकार की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Pilgrims from Pakistan for Participating in Urs at Ajmer

4676. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that pilgrims from Pakistan also participated in the Urs held recently at Ajmer, Rajasthan;

(b) if so, the number thereof;

(c) whether visas by Government were granted to them ;

(d) whether it is also a fact that many of them were arrested in the border area because they were carrying back Indian goods after selling goods brought by them from Pakistan ; and

(e) if so, the number of persons whose goods have been seized ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) 134.

(c) Yes, Sir.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Naga Conference in Kohima

4677 **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that underground Nagas held a conference in Kohima on the 5th December ;

(b) whether Government had any prior information in this connection ; and

(c) if so, the steps Government had taken in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Conference was called by the Nagaland Baptist Church Council who extended invitations to 77 persons, including some Underground Nagas.

(b) and (c). The Government had information about the proposed meeting, and welcomes any efforts which are directed towards achieving lasting peace and stability in the area.

पाकिस्तानी प्रेजीडेंट अयूब खां की 'फ्रैन्ड्स नॉट मास्टर्स' नामक पुस्तक की विक्री

4678. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली के पुस्तक विक्रेता पाकिस्तानी प्रेजीडेंट अयूब खां की 'फ्रैन्ड्स नॉट मास्टर्स' नामक पुस्तक न बेचने के अपने पहले निर्णय के कार्यान्वित करने से पीछे हट गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारत में इस पुस्तक की विक्री के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्टें देख ली हैं।

(ख) भारत में इस पुस्तक को मंगाने और बेचने की अनुमति के संबंध में भारत सरकार के निर्णय की सूचना सदन को पहले ही दी जा चुकी है।

अमरीकी दूतावास के पास कारें

4679. **श्री उमानाथ** : **श्री प० गोपालन** :

श्री नायनार : **श्री ज्योतिर्मय बसु** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी दूतावास के पास स्वीकृत संख्या से अधिक कारें है ;

(ख) क्या इस मामले की जांच करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं। सरकार ने अभी यह निश्चय नहीं किया है कि किसी विदेशी राजदूतावास अथवा मिशन के पास कितनी-कितनी कारें हों। मिशन के कर्मचारियों की संख्या के आधार पर वे अपनी आवश्यकता के अनुसार विदेशों से कारें मंगाते हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

डा० धर्म तेजा को राजनीतिक शरण

4680. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री सुदर्शनम :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या डा० धर्म तेजा को राजनीतिक शरण दी जाने के मामले में सरकार को कोस्टारिका सरकार से कोई अन्तिम उत्तर प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) कोस्टारिका सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्र में और राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए मंत्रालय

4681. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अखिल भारतीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति संघ का एक प्रतिनिधि-मण्डल गृह-कार्य मन्त्री से मिला था और उसने यह मांग की थी कि पिछड़े वर्गों के कल्याण की देखभाल करने के लिए केन्द्र में तथा राज्यों में पृथक मन्त्रालय स्थापित किये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रतिनिधि-मंडल गृह-कार्य मंत्री से नहीं मिला था । केन्द्र और राज्य सरकारों में पिछड़े वर्गों के कल्याण की देखभाल करने और पृथक मंत्रालय स्थापित किये जाने के लिये समय-समय पर सिफारिशें प्राप्त हुई हैं । केन्द्र में ऐसा प्रबन्ध करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि पहले ही समाज कल्याण का एक विभाग केन्द्रीय मंत्री के आधीन है जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के मामलों के सम्बन्ध में कार्य करता है ।

Economic Development

4682. **Shri Molahu Prasad :** Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8772 on the 10th August, 1967 and state whether the proposals to be taken to accelerate the pace of economic development in the particularly under developed areas to bring them at par with the developed areas during the Fourth Five Year Plan in the country ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : Details of the outlays for the accelerated development of under-developed areas will be settled while finalising the States' Fourth Five Year Plan outlays. Attention is invited to the reply given to Unstarred Question No. 6398 on December 11, 1967.

सीलोन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के साथ मिलकर भारतीय चलचित्र निर्माताओं द्वारा कथित धोखेबाजी

4683. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री न० कु० सांघी :
श्री क० प्र० सिंह देब :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री चक्रपाणि :
श्री अनिरुधन :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भारतीय चलचित्र निर्माताओं तथा विज्ञापन अभिकरणों ने सीलोन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन की वाणिज्य सेवा के साथ मिलकर सरकार से कई लाख रुपये हथिया लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). सीलोन और भारतीय समाचार-पत्रों में छपी रिपोर्टों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है और आवश्यक जांच की जा रही है ।

राजस्थान राज्य की योजना का परिव्यय

4684. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने योजना आयोग से निवेदन किया है कि उसे

राज्य की योजना के परिव्यय को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उसे केन्द्र से अधिक सहायता दी जाय;

(ख) क्या यह भी सच है कि अपर्याप्त संसाधनों के कारण राजस्थान सरकार महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये, जो खाद्य उत्पादन के लिये आवश्यक हैं, "वित्त" की व्यवस्था नहीं कर सकी है; और

(ग) योजना आयोग ने इस बारे में क्या सिफारिशें की हैं और इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). भारत सरकार को वित्तीय कठिनाइयों के सम्बन्ध में राजस्थान से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, वो इस समय वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है ।

मिग विमान निर्माण कारखाने

4685. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिग विमान कारखानों पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) इन कारखानों की कुल कितनी क्षमता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) मिग विमान कारखानों पर 31.3.67 तक 25.18 करोड़ रुपये व्यय किये गये ।

(ख) मिग कारखानों की क्षमता का बताया जाना जनहित में नहीं होगा ।

'रोहिणी' रॉकेट का छोड़ा जाना

4687. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि थुम्बा में राकेट छोड़ने के स्थान से पूर्णतः भारत में निर्मित राकेट 'रोहिणी' छोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस राकेट में कोई विदेशी पुर्जे भी थे; और

(ग) क्या यह विदेशी इंजीनियरों के सहयोग से बनाया गया था या केवल भारतीय इंजीनियरों ने ही इसे बनाया था ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस राकेट का निर्माण और विकास भारतीय इंजीनियरों ने स्पेस सांईस एण्ड टेक्नोलोजी सेन्टर, त्रिवेन्द्रम में किया था ।

Army Clerks Training School, Aurangabad

4689. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Ram Avtar Sharma : **Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the Hindi-speaking Graduate teachers in the Army Clerks Training School, Aurangabad (Maharashtra) who hold the designation of Education Havildar, are forced to teach through the English medium ;

(b) whether it is also a fact that those who deny to teach through English medium or are unable to do so are beaten after being court marshalled and inhuman treatment is meted out to them ;

(c) whether it is further a fact that those teachers who were badly beaten were admitted in the Military Hospital, Poona and some of them were expelled ; and

(d) if so, the action which Government propose to take in the matter ?

The Minister of state Defence Production in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) and (d). Do not arise.

Army Barrack at Lamdeng (Assam)

4690. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that Government have constructed Army barracks at Lamdeng (Assam) which are lying unused for want of water and electricity connections ;

(b) if so, the reasons for which the steps for the supply of water and electricity were not taken before constructing them ; and

(c) whether Government propose to fix the responsibility for this negligence on the part of Officers concerned in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Barrack for one JCO and five OR sanctioned at an estimated cost of Rs. 40,980 was completed in Septemper, 1967 and awaits water supply and electric connection before occupation.

(b) and (c). The water and electric supply are to be obtained from the North Frontier Railways, and the matter is being pursued with them since September, 1966. The present indications are that the water supply would be completed during the current month and electric supply in March, 1968. Enquiries are being instituted to find out the causes for the delay.

Correspondence with Foreign Countries

4691. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the foreign countries correspond with the Indian Government in their own languages ;

(b) whether it is also a fact that Government send replies in English to all such letters ;

(c) if so, whether Government propose to send replies to such letters in Hindi in future ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Except China, France and the U. S. S. R. all other foreign Governments correspond with the Government of India in English. China, France and the U. S. S: R. correspond in their own languages but append English translations of their communications. Some Governments, namely those in Argentina, Brazil, Bolivia, Chile, Columbia, Cuba, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Uruguauy and Venezula, also correspond with Indian Missions there in their own languages enclosing English translations, but the Missions of these countries in India correspond with the Government of India in English.

(b) Yes, Sir. However formal communications like Letters of Credence and Letters of Recall are sent in Hindi along with an English translation.

(c) and (d). It will not be feasible to correspond with foreign Governments in Hindi in the foreseable future due to (i) the prevailing shortage of personnel who can express themselves in Hindi with the requisite precision and facility and (ii) the difficulty in sending translations in the recipient State's language on account of insufficient knowledge of Hindi in foreign countries.

Hindi Stenographers

4692. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of posts of Hindi stenographers in his Ministry ;

(b) the number of posts reserved for the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(c) whether the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are working against all the reserved posts ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (d). There are three sanctioned posts of Hindi Stenographers in this Ministry recruitment to which has been made through the Employment Exchange or the other Ministries and Departments of the Government of India. It was intended to give preference to candidates from the Scheduled Caste and Scheduled Tribes but as none of them applied it was not possible to do so.

1965 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई नदी नौकायें/जहाज

4693. **श्री मधु लिमये :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने 1965 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान

(पूर्व में) द्वारा जब्त की गई नदी नौकाओं/जहाजों के मूल्य का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान सरकार इन नावों की नीलामी कर रही है।

(ग) क्या भारत ने इसके लिए कोई मुआवजा मांगा है और क्या उसको यह मुआवजा मिल गया है; और

(घ) क्या भारत ने भी कोई पाकिस्तानी जहाज/नौका जब्त की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना-मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां। पाकिस्तान ने विभिन्न प्रकार के जो 184 भारतीय जलयान पकड़े थे उनकी कीमत अवमूल्यन से पहले की दरों पर 6,73,30,656/- रुपए (छह करोड़ तिहत्तर लाख तीस हजार छह सौ छप्पन रुपए) है।

(ख) और (ग). इस प्रकार की रिपोर्टें मिली हैं कि ये भारतीय जलयान/नौकाएं या तो नीलाम किए गए हैं या कर दिए जा रहे हैं अथवा गैर-सरकारी पार्टियों को दिये जा रहे हैं। सरकार ने एक नोट में पाकिस्तान सरकार से ऐसी कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रकट किया है और सभी भारतीय संपत्ति/आस्तियों की हानि/क्षति पर पूरे मुआवजे का दावा करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से बार-बार यह प्रस्ताव किया है कि वह इन संपत्तियों और आस्तियों की वापसी के बारे में बातचीत करे। मुआवजा मांगने का प्रश्न तभी उठेगा जबकि पाकिस्तान इस प्रकार के विचार-विमर्श के लिए तैयार हो जाए।

(घ) हमने तीन पाकिस्तानी जहाज कब्जे में लिए थे। इनमें से दो जहाज तो पाकिस्तान द्वारा रोके गए दो भारतीय जहाजों से बदले जा चुके हैं। शेष एक भारतीय जहाज को भी भारत में रोके गए एक पाकिस्तानी जहाज से बदलने की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। भारत ने एक पाकिस्तानी पटेला (फ्लैट) भी रोका था।

श्री मोहन लक्ष्मण रानाडे की रिहाई

4694. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने श्री मोहन लक्ष्मण रानाडे और डा० मेसकरेन्हस को, जो इस समय पुर्तगाल में कैद में है, होली सी, दी पोप के प्रभाव के द्वारा रिहा कराने की कोशिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मध्यस्थता प्रयत्न के क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री,योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). भारत सरकार ने नई दिल्ली के "पैपल इन्टरननशियेचर" के माध्यम से पिछले वर्ष सितम्बर में "होली सी" से अनुरोध किया था कि वह मानवीय आधार पर मोहन लक्ष्मण रानाडे को पुर्तगाली हिरासत से छुड़वाने में अपने प्रभाव से काम लें। ये प्रयत्न अब भी जारी हैं और परिणाम की प्रतीक्षा है।

गोवा के निवासी, डा० टेलो मेसकरेन्हस ने अपने आप को भारतीय राष्ट्रिक घोषित कर दिया है। लेकिन पुर्तगाली सरकार उन्हें अब भी पुर्तगाली नागरिक ही मानती है और उनकी ओर से किसी बाहरी मध्यस्थता को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं। जो भी हो, हमने उनके मामले को भी "होली सी" के साथ उठाया है।

विदेशों को भारत द्वारा दी गई सहायता

4695. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत ने विदेशों को देशवार, कुल कितनी सहायता दी।

(ख) इन देशों को सहायता दी जाने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) जब हमारे पास ही धन की कमी है तो अन्य देशों को सहायता क्यों दी जाती है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारत ने पिछले तीन वर्षों में विदेशों को विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो सहायता दी है, उसका एक ब्योरा सदन की मेज पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2045/67**]

(ख) और (ग) . हमारा यह विश्वास रहा है, जिसे हमने समुचित अन्तर्राष्ट्रीय मंचों तथा अन्य स्थानों पर भी व्यक्त किया है, कि विभिन्न क्षेत्रों में विकासशील देशों के बीच और अधिक सहयोग होना चाहिए। जो देश उद्योग, तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक विकास में काफी आगे बढ़े हुए हैं, उनके लिए इस प्रकार के सहयोग का एक रूप यह है कि वे अपना तकनीकी ज्ञान, विशेषज्ञ और सुविधाएं अन्य देशों को दें। लेकिन इस प्रकार की सहायता की मात्रा थोड़ी है और सरकार का ख्याल है कि यह बात, कि हम खुद विदेशों से सहायता ले रहे हैं या हमारे पास धन की कमी है, विकासशील देशों के बीच पारस्परिक लाभकारी सहयोग के आड़े नहीं आनी चाहिए।

Planning in Villages

4696. **Shri O. P. Tyagi:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that due to bad sanitary conditions and lack of planning in villages, educated people do not like to settle there;

(b) if so, whether Government have prepared any blue print for the planned development of villages; and

(c) if so, the details thereof and the action taken thereon?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning, and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2046/67].**

ईरान के शाह की ताजपोशी

4697. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि ईरान के शाह की ताजपोशी के अवसर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद क्या है और हमारे देश की ओर से शाह को क्या उपहार दिये गये ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : तेहरान में भारत के राजदूत, श्री के० वी० पद्मानाभन ने ईरान के शाह के राज्याभिषेक में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया था। कुछेक को छोड़कर बाकी सभी देश ऐसा ही करते हैं।

राज्याभिषेक के अवसर पर भारत सरकार की ओर से निम्नलिखित उपहार ईरान के शाह को भेंट किए गए थे।

(क) कुतुब मीनार की चांदी की एक प्रतिवृति।

(ख) जरी का सामान।

(ग) घोडे की एक प्रतिमूर्ति जिसपर सोना चढ़ा था और हीरे जड़े थे।

(घ) बनारस की सुनहरी जरी।

आकाशवाणी में मैकेनिकों की पदोन्नति

4698. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री सूपकार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में अर्हता प्राप्त तथा प्रशिक्षित मैकेनिकों को इन्जीनियरिंग असिस्टेंटों के रूप में पदोन्नत न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) इस संवर्ग में विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये केवल 5 प्रतिशत कोटा रखने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि विभागीय कोटे में रिक्त होने वाले स्थानों को वाह्य भर्ती से भरा जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) आकाशवाणी में मैकेनिक के दो ग्रेड हैं—एक 130-5-175-द० अ०-6-205 रुपये के वेतन-मान में और दूसरा सीनियर मैकेनिक का 150-5-175-6-205-द० अ०-7-240 रुपये के वेतन-मान में। सीनियर मैकेनिक का पद मैकेनिकों की पदोन्नति द्वारा भरा जाता है।

210-10-290-15-320-द० अ०-15-425-द० अ०-15-470 रुपये के वेतनमान के इंजीनियरिंग असिस्टेंट के पद के लिए निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार, इसके 95 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं और केवल 5 प्रतिशत पद सीनियर मैकेनिक, रेडियो टेकनीसियन और टेकनीकल सुपरवाइजरों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। अतः सीनियर मैकेनिकों को, इंजीनियरिंग असिस्टेंट के ग्रेड में भर्ती नियमों में निर्धारित कोटे से अधिक पदोन्नत करनी संभव नहीं है।

(ख) आकाशवाणी के इंजीनियरिंग असिस्टेंट के काम में एलेक्ट्रोनिक्स और जनरल फिजिक्स के बुनियादी सिद्धान्तों का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। मैकेनिक और सीनियर मैकेनिक अपनी सीमित सामान्य शिक्षा के कारण इंजीनियरिंग असिस्टेंट के पद के लिए सामान्यतः उपयुक्त नहीं हैं। परन्तु, लायक सीनियर मैकेनिक, आदि को प्रोत्साहन देने और उन्हें पदोन्नति के अवसर देने के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट के 5 प्रतिशत पद उनके लिए उपलब्ध किए गये हैं। तो भी, समग्र प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ताकि पदोन्नतियों में उन्हें संतोषजनक हिस्सा दिया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

इंजीनियरिंग असिस्टेंटों की पदोन्नति

4699. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री सूपकार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में विभागीय उम्मीदवारों के लिए निर्धारित 5 प्रतिशत पदों में इंजीनियरिंग असिस्टेंटों के रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जब से इंजीनियरिंग असिस्टेंट (जिनको पहले शिफ्ट असिस्टेंट कहा जाता था) का ग्रेड प्रारम्भ हुआ है तब से अर्थात् 1956 से जून 1966 तक हुए रिक्त स्थानों में से विभागीय कोटे में आकाशवाणी में 60 विभागीय कर्मचारियों को इंजीनियरिंग असिस्टेंट के पद पर पदोन्नति दी गई है, अन्तिम बैच जनवरी-जुलाई के दौरान नियुक्त किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) जून 1966 के बाद विभागीय कोटे में उपलब्ध इंजीनियरिंग असिस्टेंट के ग्रेड के रिक्त पदों को भरने के बारे में विचार हो रहा है।

कपड़े और चमड़े का सामान बनाने वाले आयुध कारखाने

4700. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ आयुध कारखानों में, विशेष रूप से कपड़े तथा चमड़े का सामान बनाने के कारखानों में, कोई काम न होने के कारण उत्पादन रुक गया है ; और

(ख) यदि हां, तो आयुध कारखानों में और काम की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य-मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). जी, नहीं । चूंकि कपड़े की अधिकतम कमी को 1963-64 में पूरा कर लिया गया था । अतः आने वाले वर्षों में सेना की कपड़े की आवश्यकताएं बहुत कम हैं । इसके परिणाम-स्वरूप कपड़े के कारखानों में कार्यभार में कमी हो गई है । इन कारखानों की क्षमता बनाए रखने के लिए केन्द्र, राज्य सरकार के विभागों और सरकारी क्षेत्र उपक्रमों से आर्डर प्राप्त किये गये हैं और अभी भी प्राप्त किये जा रहे हैं । उत्पादन में परिवर्तन करने की योजना बनाई गई है और तम्बू, दरी जैसे उत्पादों के आर्डर भी प्राप्त किए गये हैं ।

श्री फिजो से मिलने के लिये नागा प्रतिनिधियों का लन्दन जाना

4701. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा फैडरल सरकार के दो प्रतिनिधि श्री फिजो से मिलने के लिए हाल में लन्दन के लिए रवाना हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो नागा विद्रोहियों का श्री फिजो के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या ये प्रतिनिधि सरकार को कोई रिपोर्ट देंगे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) छिपे नागाओं के दो प्रतिनिधि मई-जून 1967 में यूनाइटेड किंगडम गए थे । भारत सरकार ने उन्हें पासपोर्ट और विदेशी मुद्रा की सुविधाएं प्रदान की थीं । इस सदन में 22-5-67 को तारांकित प्रश्न संख्या 1 और 19-6-67 को तारांकित प्रश्न 585 के उत्तर में यह सूचना दी गई थी । छिपे नागाओं ने फिजो के साथ आगे सलाह मशविरा करने के विषय में सरकार से कोई लिखा-पढ़ी नहीं की है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

तथाकथित नागा संघीय सरकार के राष्ट्रपति को जीपों का दिया जाना

4702. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व तथाकथित नागा संघीय सरकार के राष्ट्रपति

को नागालैंड सरकार के कोटे से दो जीपें लेने की अनुमति दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई आश्वासन मांगा और लिया गया था कि इन जीपों को राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) नागालैंड राज्य सरकार ने हमें बताया है कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Royalty on Recorded Speeches of the Late Jawaharlal Nehru

4703. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government receives royalty from certain recording companies in respect of sound recordings of the speeches, statements etc. of the late Pandit Jawaharlal Nehru prepared by Government and handed over to those Companies ;

(b) if so, the amounts thereof and the names of Companies from which royalty was received as also the amount of royalty received after the demise of Shri Jawaharlal Nehru, separately ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) The Gramophone Company of India, Limited, Calcutta has produced a long-playing record containing excerpts from the speeches made by Pandit Jawaharlal Nehru as also a reading of his will and testament by his sister. The agreement covering the royalty payments to be made on the sale proceeds of this record has not yet been finalised. No royalty has therefore been received by Government in this regard yet.

(b) Does not arise.

वेद मंत्रों के पाठ सम्बन्धी वृत्त चित्र

4704. **श्रीमती तारा सप्रे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में वेदमूर्ति एस० डी० सातवलेकर शताब्दी समारोह के अवसर पर वेद मंत्रों के पाठ का वृत्त-चित्र तैयार किया गया था ; और

(ख) क्या विदेशी मुद्रा कमाने के लिये इस वृत्त-चित्र की प्रतियां उन देशों को बेचने का सरकार का विचार है, जहां संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ईरान और पाकिस्तान के बीच रक्षा सम्बन्धी समझौता

4705. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार के पास ईरान और पाकिस्तान के बीच हुए गुप्त सुरक्षा समझौते के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार ने ईरान से मालूम किया है कि कोई ऐसा समझौता हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). सरकार के पास इस तरह की कोई अधिकृत सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Allotment of Land to Landless Ex-Servicemen

4706. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government used to give land duly ploughed with tractor and granted Rs. 800 **ex-gratia** for purchasing plough and cattle to landless ex-servicemen in the country ; and

(b) whether Government have now stopped giving such assistance and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) Soon after the World War II, a scheme of establishment of land colonies for ex-servicemen was prepared in consultation with the different State Gevernments ; under this, financial assistance on varying scales was given by the Central Government for reclamation and development of land.

(b) No more land colonies for ex-servicemen are being established under the old scheme. The question of financial assistance from the Central Government in respect of any new land colony which may be established under any new scheme does not arise, because other sources for such financial assistance are now available, viz. money provided by the Central to the State Governments for agricultural purposes for the Grow More Food Campaign under the Five Year Plans, the newly established Special fund for Re-construction and Re-habilitation of Ex-servicemen etc.

Pension to Widows of Military Pensioners

4707. **Shri Ram Singh Ayarwal:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal under consideration to grant pension to the widow of a military pensioner; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). According to the existing rules, the widow of a military pensioner who retired/retires on or after 1-1-1964 with a retiring or a disability pension and died/dies, is eligible for a family pension for life or till re-marriage.

काश्मीर में पाकिस्तानी सैनिक हवाई अड्डा

4708. **श्री हिम्मत सिंहका :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 20 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1074 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच यह पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की है कि क्या काश्मीर के उस भाग में, जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिये हैं, एक सैनिक हवाई अड्डा बनाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नवीनतम सूचना क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). सामान्य रूप से निगरानी रखी जा रही है। सरकार के पास इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं है कि पाकिस्तान ने चीन को अवैध रूप से कश्मीर का जो भाग दे दिया है, उसमें कोई सैनिक हवाई अड्डा बनाया गया है।

Shifting of Defence Laboratory from Kanpur to Gwalior

4709. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the reasons for shifting the Defence Laboratory from Kanpur to Gwalior ;

(b) whether difficulties are being experienced in the functioning of the Defence Laboratory which was shifted from Kanpur to Gwalior due to the non-availability of land ; and

(c) if so, the nature of those difficulties and the steps being taken by Government to overcome them ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) The activities of the Defence Research Laboratory (Materials), Kanpur, have increased during the past few years. As the existing Loboratory at Kanpur is badly congested, and cannot provide the space required for the additional facilities, certain Research and Development Divisions have been shifted to Gwalior where accommodation is available.

(b) Adequate land is available at Gwalior. A proposal for the expansion of laboratory accommodation is being progressed.

(c) Does not arise.

Solid State Physics Laboratory, Delhi

4710. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Defence** be pleased to State :

(a) the number of projects taken in hand in the Solid State Physics Laboratory, Delhi after its establishment and the number of projects in which success has been achieved ;

(b) whether any project has crossed the stage of production and the product thereof reached the hands of jawans ;

(c) if not, the reasons thereof ; and

(d) the steps being taken by Government to improve the situation ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) Nineteen projects were allotted to this Laboratory in 1965. Of these, development work has been completed in respect of four projects.

(b) to (d) : Out of the four projects in which the development stage has been completed, facilities for pilot plant production of one item have been created. Most of the projects in hand at the Laboratory are of a "forward-look" nature and will find application as components in futuristic equipment required by the Services. The work assigned to the Laboratory is progressing satisfactorily and is kept under constant review.

Research and Development of Weapons

4711. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Defence** be pleased state :

(a) the number of Committees and sub-Committees, for research and development of weapons, in which the representatives of the private sector have been included :

(b) the reasons which necessitated their inclusion in the said Committee and the powers conferred upon them ; and

(c) the measures adopted to maintain secrecy from the security point of view ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) The Panel for Armament which deals with research and development on weapons does not at present include any representative from the private sector. However, Panels/Advisory Committees for other fields such as electronics, aeronautics, naval research, materials, metallurgy, etc. include eminent representatives from Universities, Scientific Institutions and Industry.

(b) Representatives from outside the Ministry of Defence have been included in the Panels/Advisory Committees mentioned above because of their specialised knowledge in the subjects. The Estimates Committee of the Lok Sabha in their report on the Research and Development Organisation have also recommended inclusion of representatives from the Private Sector in the R. and D. Panels/Committees.

The various R. and D. Panels/Committees are advisory bodies and give their expert advice on various problems connected with Defence Research and Development in the respective fields.

(c) Such representatives are selected with care. An extract of the Official Secrets Act is sent to them at the time of their appointment and they are required to sign a declaration that they would abide by the Official Secrets Act.

विदेशी चलचित्रों का आयात

4712. **डा० रानेन सेन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 17 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5875 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में विदेशी चलचित्रों के आयात की वर्तमान व्यवस्था का इस बीच पुनरीक्षण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). फिल्मों के आयात के लिए अमेरिका से जो व्यवस्था है उसको फिर से ताजा करने के बारे में फिलहाल समझौते की बातचीत चल रही है । नये समझौते के अन्तर्गत आयात की जाने वाली फिल्में इंन्डियन सिनेमाटोग्राफ एक्ट, 1952 और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही प्रदर्शित की जा सकेंगी ।

जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता देना

4713. **डा० रानेन सेन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के चांसलर डा० कीसिंगेर ने दिल्ली में एक वक्तव्य दिया था कि जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता दिया जाना अमैत्रीपूर्ण कार्य समझा जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). चांसलर कीसिंगर ने 21 नवम्बर, 1967 को नई दिल्ली में आयोजित अपने एक प्रेस सम्मेलन में इस आशय की बात कही थी ।

भारत सरकार की स्थिति यह है कि उसके केवल जर्मन संघीय गणराज्य के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध हैं ।

गोला बारूद के डिपो

4714. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न गोला बारूद डिपो में नियुक्त व्यक्तियों ने अपनी काम की दशा

सुधारने के लिए कोई मांगें पेश की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) कोई विशेष अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

बालासोर (उड़ीसा) में टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला

4715. **श्री स० कुन्डू** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला के स्थान के चयन के लिए गठित अधिकारियों के बोर्ड ने उड़ीसा में बालासोर में चांदीपुर (समुद्र में) की सिफारिश की है, जहां पर इस समय एक प्रूफ और प्रयोगात्मक (एक्सपैरीमेंटल) प्रतिष्ठान है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Rehabilitation of Retired Defence Personnel

4716. **Shri Nihal Singh** : Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government allotted trucks, tractors or scooters to a number of Defence Services personnel after the retirement on pension or after discharge from service ;

(b) whether it is also a fact that this facility is provided only to officers and not to soldiers ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the number of officers and soldiers, separately along with the breakup of the vehicles given to them during the last five years ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir ; the facilities are available to other ranks also.

(c) Does not arise.

(d) The allotment of new vehicles to service and ex-service personnel has come to the

Ministry of Defence, only from 1965. The details of the allotment made so far are given below :—

Ambassador Cars/Taxis	Officers	..	3
	ORs	..	1
	TOTAL	..	4
Tempos (Three wheelers)	Officers	..	4
	ORs		1
	TOTAL	..	5
TMB CHASSIS	Officers	..	14
	ORs	..	3
	Cooperative Societies	..	6
	TOTAL		23
Auto-Rickshaws (Three Wheelers)	Officers	..	NIL
	ORs	..	64
	Cooperative Societies.	..	6
	TOTAL		70
Russian tractors of 50 Horse power.	Officers	..	18
	ORs	..	2
	TOTAL		20
Russian tractor of 14 Horse power	Officers	..	57
	ORs	..	139
	TOTAL		196

केन्द्रीय सूचना सेवा में तदर्थ नियुक्तियां

4717. **श्री निहाल सिंह :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निःसंवर्ग सेवा में सर्वथा तदर्थ पदों पर नियुक्त किये गये अथवा पदोन्नत किये गये केन्द्रीय सूचना सेवा के बहुत से अधिकारियों को इन पदों पर तदर्थ आधार पर कुछ वर्ष तक कार्य करते रहने के बाद उन्हीं पदों पर नियुक्त कर दिया गया है अथवा किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं । परन्तु, केन्द्रीय सूचना सेवा के गठन के दिन अर्थात् 1 मार्च, 1960 से अब तक पांच अधिकारियों की उन निःसंवर्ग पदों पर नियमित नियुक्तियां की गई हैं, जिन पर प्रारम्भ में उन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था । ये पद नियमित पद थे न कि तदर्थ । इन अधिकारियों को सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारियों द्वारा अपने भर्ती नियमों के अनुसार लगाया गया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तदर्थ नियुक्तियां

4718. **श्री निहाल सिंह :**

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय की निःसंवर्ग सेवाओं में श्रेणी एक और दो के बहुत से पदों पर केन्द्रीय सूचना सेवा के कर्मचारियों में से तदर्थ आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) कितने मामलों में अब तक रिक्त पदों के बारे में संघ लोक सेवा की सलाह नहीं ली गई है ; और

(घ) इन पदों पर संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्तियां कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत इस समय निम्नलिखित पद केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों द्वारा तदर्थ आधार पर भरे हुए हैं :

प्रदर्शनी अधिकारी, विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली ।	1 पद (प्रथम श्रेणी)
प्रदर्शनी निरीक्षक, विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली ।	5 पद (प्रथम श्रेणी)
विस्तार अधिकारी, आकाशवाणी, कालीकट ।	1 पद (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित)

(ग) ऊपर बताए गये पदों में से किसी भी पद को भरने के लिए अभी तक संघ लोक सेवा आयोग को नहीं कहा गया है ।

(घ) उक्त पदों के भर्ती के नियम बनाये जा रहे हैं। जैसे ही इन नियमों को संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर अन्तिम रूप दे दिया जायगा और उन्हें अधिसूचित कर दिया जाएगा, रिक्त पदों को उन नियमों के अनुसार भर दिया जायेगा।

श्री मोरारजी देसाई के सम्मान में नेपाल सरकार द्वारा आयोजित समारोह का काठमांडू स्थित चीनी दूतावास द्वारा बहिष्कार

4719. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या काठमांडू में चीनी दूतावास ने श्री मोरारजी देसाई के सम्मान में नेपाल सरकार द्वारा किए गए सभी समारोहों का बहिष्कार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). भारत सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि समारोह में चीनी राजदूतावास का प्रतिनिधि जानबूझकर नहीं आया अथवा उसकी अनुपस्थिति आकस्मिक थी। बहरहाल, इस मामले से भारत सरकार का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है क्योंकि वह आतिथेय देश नहीं था।

वैज्ञानिकों के त्यागपत्र

4721. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु ऊर्जा विभाग से बहुत से वैज्ञानिकों ने त्यागपत्र दे दिये हैं और अन्य वैज्ञानिकों में बहुत असंतोष व्याप्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं और उन्हें किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का नासिक डिवीजन

4722. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1967 में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के नासिक डिवीजन ने रूसी द्विभाषियों के कुछ पदों के लिए विज्ञापन दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 10 अक्तूबर को इस पद के लिए इण्टरव्यू देने वाले प्रत्याशियों को अब तक रेल का किराया नहीं दिया गया है जबकि उनके इण्टरव्यू पत्रों में रेल किराया दिये जाने के बारे में लिखा था और प्रत्याशियों ने यह किराया कई बार मांगा भी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के नियमों के अन्तर्गत इण्टरव्यू पर आये अभ्यर्थियों को नकद रसीद प्रस्तुत करने पर रेल किराया देने की व्यवस्था है । हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने इस बात की पुष्टि की है कि जब भी अभ्यर्थियों ने नकद रसीद प्रस्तुत की है उन्हें किराये की अदायगी की गई है ।

कनाडा की परमाणु भट्ठी (रिएक्टर)

4723. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कनाडा की परमाणु भट्टी (रिएक्टर) जो अब भारत में चल रही है, भारत के लिये बनाया गया विशेष पेटेन्ट है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या कनाडा को उसकी अधिकतम परमाणु उत्पादन क्षमता मालूम है और क्या इस बात की जानकारी विश्व के अन्य देशों को, जिनमें पाकिस्तान और चीन भी शामिल हैं भी हो जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) यह परमाणु भट्ठी (रिएक्टर) चाक रिवर, ओन्टेरियो, कनाडा में स्थित भट्ठी के समान है । केवल इसमें कुछ परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किये गये हैं।

(ख) कनाडा को उसकी अधिकतम परमाणु उत्पादन क्षमता का ज्ञान है । हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि और किस देश को इस बात का ज्ञान है ।

परमाणु बिजलीघरों

4724. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) प्रस्तावित भारतीय परमाणु बिजलीघरों के निर्माण पर (प्रत्येक मद के लिये अलग-अलग) अनुमानतः कितनी लागत आयेगी;

(ख) इन प्रस्तावित परमाणु बिजलीघरों द्वारा बिजली पैदा करने की अनुमानित क्षमता कितनी है और इन बिजलीघरों द्वारा विद्युत के उत्पादन पर कितनी वार्षिक लागत आने का अनुमान है;

(ग) विदेशों से परमाणु चार्जेज खरीदने तथा निर्माण करने के लिये आरम्भ में तथा बाद में प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा तथा भारतीय मुद्रा की आवश्यकता होगी;

(घ) क्या सरकार ने इतनी ही क्षमता वाले तापीय बिजलीघरों के निर्माण की लागत का और उन बिजलीघरों के लिये अपेक्षित अशोधित तेल अथवा कोयले पर प्रतिवर्ष आने वाले व्यय का अनुमान लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो परमाणु और तापीय बिजलीघरों के निर्माण तथा उनसे बिजली के उत्पादन करने की लागत के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और तापीय बिजलीघरों की तुलना में परमाणु बिजलीघरों से क्या लाभ हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा बैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-2047/67]

अफ्रीकी देशों में भारत मूलक व्यक्ति

4725. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इस समय अफ्रीकी देशों में कितने भारत मूलक व्यक्ति हैं; और

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक उन देशों की नागरिकता नहीं दी गई है जहां वे रह रहे हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) दक्षिण अफ्रीका समेत सारे अफ्रीका में भारतीय मूल के अनुमानत: 900,000 व्यक्ति हैं ।

(ख) हमारी वर्तमान सूचना के अनुसार निम्नलिखित ने संबद्ध देशों की स्थानीय नागरिकता ले ली है :

दक्षिण अफ्रीका		500,000 (दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों ने स्थानीय नागरिकता ले रखी है)
कीनिया		39,000 (अनुमानतः)
तंजानिया	...	35,000 (अनुमानतः)
उगांडा	...	44,000 (अनुमानतः)
जंबिया		150 (अनुमानतः)
मलावी	...	100 (अनुमानतः)

भारतीय भाषाओं के छोटे समाचार-पत्रों का विस्तार

4726. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) अखबारी कागज की कमी, (दो) छपाई की मशीनों के आयात पर लगे हुए प्रतिबन्ध तथा (तीन) विदेशी मुद्रा की कमी के कारण भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों के विस्तार में होने वाली कुछ कठिनाइयों की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां, भाषा समाचार-पत्रों और भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों ने इन रुकावटों और कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। सरकार स्वयं भी इस सम्बन्ध में दिवाकर समिति की सिफारिशों को तरीके से कार्यान्वित करने के लिये कदम उठा रही है।

(ख) भारत की 1967-68 की नीति भाषा समाचार-पत्रों और अखबारी कागज की कमी को दूर करने के उद्देश्य से निर्धारित की गई थी। मुद्रण मशीनों को, विशेषकर, रुपयों में, समाचार-पत्रों जिनमें हिन्दी भाषा के पत्र भी शामिल हैं, बदलने या यथासम्भव बढ़ाने की, स्वीकृति दे दी गई है। 1966-67 के दौरान लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए 111 अभ्यावेदन पत्रों में से, जिनकी कुल कीमत 263 लाख रुपये थी 56 भाषा समाचार-पत्रों को 94 लाख रुपये की कीमत के लाइसेंस दिये गये थे।

Baby Elephants Presented to U. S. A.

4727. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have presented two baby elephants to USA.

(b) if so, the expenditure incurred in sending them to USA ;

(c) whether the Government of USA have also sent similar presents to India during the last two years ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir. The baby elephants were presented by the Government of India to the Miami Zoo in the U. S. A. upon a request from the Miami Zoo authorities.

(b) The expenditure incurred by the Government of India on the gift amounted to Rs. 6,000/-. This sum represents the cost of the elephants, while the cost of their transportation was met by the recipients.

(c) and (d) . We are not aware of any similar presents, from the Government of U.S.A. to India, in the last two years.

Persons of Indian Origin in Foreign Countries

4728. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4329 on the 3rd July, 1967 and state :

(a) whether the information regarding persons of Indian origin in foreign countries has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the time likely to be taken further ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A statement showing the available information is laid on the Table of the House **[Placed in Library. See No. LT-2048/67]**

Air Accident Near Patiala

4729. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two persons were injured in an air accident near the Government Physical Training College, Patiala in August, 1967 ;

(b) if so, the causes thereof ; and

(c) the loss of life and property as a result thereof ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) The accident occurred due to low flying.

(c) There was no loss of life. The aircraft, which was on hire from the Punjab Government, was totally destroyed. It had, however, been insured by the owners.

मंगला बांध

4730. **श्री स० च० बेसरा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय काश्मीर शरणार्थी समिति ने पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के उन लोगों को, जिनकी भूमि मंगला बांध के निर्माण से जलमग्न हो गई है, प्रतिकर देने का प्रश्न सुरक्षा परिषद् में उठाने का अनुरोध किया है क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र कानूनी रूप से भारत का है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्टें देख ली हैं । लेकिन इस सम्बन्ध में कोई शिकायत-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

त्रिपुरा-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी कब्जे में भारतीय राज्य-क्षेत्र

4731. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री मयाबन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर त्रिपुरा में फली नदी के हैड वर्क्स पर पाकिस्तान ने 5 वर्गमील के जिस क्षेत्र पर अवैधरूप से कब्जा कर लिया था यह भूमि अभी तक उसके कब्जे में है; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान से उस क्षेत्र को वापस लेने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार शांतिपूर्ण तरीकों के जरिये इस इलाके को फिर से पाने की बराबर कोशिश कर रही है । त्रिपुरा-पूर्व पाकिस्तान सीमा के रेखांकन का कार्य हाल ही में शुरू हो गया है । आशा है कि इस क्षेत्र की शेष सीमा समस्याएं सीमांकन की प्रक्रिया के दौरान हल हो जाएंगी ।

अल्प विकसित देशों में सेना का कार्य

4732. **श्री गणेश** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भस्साट इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी (अमरीका) द्वारा अल्प-विकसित देशों में सेना के कार्य के बारे में किये जा रहे अध्ययन का पता है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में भस्साट इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी (अमरीका) ने भारतीय सैनिक अधिकारियों के कार्ड इन्डैक्स तैयार किये हैं;

(ग) यदि हां, तो उनको यह जानकारी किस प्रकार प्राप्त हुई; और

(घ) इस अध्ययन और भारतीय सैनिक अधिकारियों के तैयार किये गये कार्ड इन्डैक्स के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). सरकार को भस्साट इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी के सम्बन्ध में किये गये अध्ययन और भारतीय सैनिक अधिकारियों के तैयार किये गये कार्ड इन्डैक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

पाकिस्तान द्वारा युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन

4733. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 10 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5062 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताशकन्द घोषणा पर हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् पाकिस्तान ने तबसे युद्ध विराम का कितनी बार उल्लंघन किया है; और

(ख) क्या उसके विरुद्ध भारत ने पाकिस्तान को तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को विरोध प्रकट किया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 13 दिसम्बर, 1967 तक प्राप्त सूचना के अनुसार पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में कराची युद्ध विराम समझौते, 1949 का 968 बार और उल्लंघन किया। अतः ताशकन्द घोषणा से इस तिथि तक इन उल्लंघनों की कुल संख्या 3050 हो गई है।

(ख) इन सब युद्ध विराम उल्लंघनों की शिकायतें संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों को दे दी गई हैं। कुछ गम्भीर उल्लंघनों के सम्बन्ध में पाकिस्तान को विरोध पत्र भी भेजा गया है और भारत सेना अध्यक्ष तथा पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष के बीच बातचीत भी हुई है। अक्तूबर, 1967 में रावलपिंडी में हुई सेना अध्यक्षों की बैठक में यह समझौता किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों की सहायता से स्थानीय कमान्डर विभिन्न स्तरों पर संयुक्त बैठक बुलाकर गलतफहमी से घटने वाली घटनाओं को दूर किया जा सके।

बिहार में परमाणु संयंत्र

4736. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) परमाणु संस्थान स्थापित करने के लिये भारत में स्थान का चुनाव करने के लिये क्या-क्या विशिष्ट बातें अपेक्षित हैं;

(ख) क्या बिहार इन बातों को पूरा करता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिहार में एक परमाणु संयंत्र स्थापित करने का है; और

(घ) बिहार से प्रतिवर्ष परमाणु सम्बन्धी कितना कच्चा माल अन्य राज्यों को जाता है और वह भारत में किस परमाणु संयंत्र में प्रयुक्त होता है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) परमाणु संस्थान स्थापित करने के लिये मुख्यतः ये बातें अपेक्षित हैं : (1) क्षेत्र में बिजली की पर्याप्त क्षमता (2) ऊष्मीय स्टेशनों से बिजली द्वारा प्रतियोगिता (3) भूकम्प से सुरक्षित स्थान और पानी की उपलब्धता।

(ख) और (ग). परमाणु ऊर्जा आयोग इस समय देश में सम्भव विभिन्न स्थानों पर परमाणु आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से ऊर्जा प्लान्ट स्थापित करने के शक्यता का पुनरीक्षण कर रहा है। बिहार में ऊर्जा प्लान्ट स्टेशन की स्थापना के प्रश्न पर उसकी आवश्यकता के अनुसार विचार करने की आवश्यकता है।

(घ) बड़े पैमाने पर जादूगुडा निपेक्षों की सप्लाई अभी तक आरम्भ नहीं हुई है।

भारत द्वारा देशों को मान्यता प्रदान करना

4737. **श्री रवि राय** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) संसार के किन-किन देशों को भारत द्वारा मान्यता प्रदान की गई है तथा राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किये गये हैं; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें केवल मान्यता प्रदान की गई है, परन्तु जिनके साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित नहीं किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2049/67]**

स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया की बीमारी के समाचार का प्रसारण

4738. **श्री रवि राय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया की मृत्यु से पहले जब विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में उनका उपचार किया जा रहा था, क्या तब उनकी बीमारी के बारे में आकाशवाणी से समाचार प्रसारित किये जा रहे थे;

(ख) यदि हां, तो कितने समाचार बुलेटिन प्रसारित किये गये थे; और

(ग) ये बुलेटिन किन-किन तारीखों को प्रसारित किये गये थे और इनमें क्या समाचार थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के०के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). डा० लोहिया की बीमारी की खबर 2 अक्तूबर, 1967 से 11 अक्तूबर, 1967 के बीच प्रसारित अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के लगभग 50 विभिन्न बुलेटिनों में दी गई थी। इन बुलेटिनों में मुख्यत: डाक्टरों द्वारा जारी किये गये डाक्टरी बुलेटिन और उन महत्वपूर्ण नेताओं की जो डा० लोहिया का हालचाल जानने के लिए विलिंगडन अस्पताल में गये थे, रिपोर्टें दी गई थीं।

पाकिस्तान द्वारा दो भारतीय विद्यार्थियों को बीजा देने से इन्कार

4739. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने स्कूटर पर विश्व भ्रमण करने वाले दो भारतीय विद्यार्थियों को वहां से गुजरने के लिये बीजा देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से; और

(ग) क्या इस मामले में पाकिस्तान सरकार से पत्र व्यवहार किया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) हमें पता चला है कि पाकिस्तान सरकार के वर्तमान विनियमों में भारतीय राष्ट्रिकों को पाकिस्तान से होकर सड़क पर सफर करने के लिये बीजा देने की अनुमति नहीं है ।

(ग) पारस्परिकता के आधार पर भारतीय राष्ट्रिकों को सड़क पर यात्रा करने की सुविधाएं देने के प्रश्न पर पाकिस्तान सरकार के साथ कई मौकों पर लिखा-पढ़ी की गई है लेकिन पाकिस्तान की सरकार अभी तक इस पर सहमत नहीं हुई है ।

रात्रि लड़ाकू विमान तथा चलते फिरते राडार

4740. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष में सरकार ने रात्रि लड़ाकू विमान तथा चलते फिरते राडार खरीदे हैं अथवा प्राप्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने; और

(ग) रात्रि लड़ाकू विमान अथवा चलते फिरते राडार और अधिक संख्या में प्राप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में जानकारी देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

Ill-Treatment of Scheduled Castes and Backward Classes by Pakistan Government

4741. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister has been approached as reported in the "Hindustan" of the 25th November, 1967 to send a deputation to Pakistan in regard to the ill-treatment being meted out to the members of the scheduled caste and backward classes there ; and

(b) if so, whether any decision has been taken in the matter ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government do not consider this proposal to be practicable.

New Broadcasting Scheme for Farmers

4742. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government are preparing any new broadcasting scheme for the benefit of farmers and rural population in the rural areas ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) All India Radio, in co-ordination with the Ministry of Food and Agriculture, has established 16 Farm and Home Units in various stations of All India Radio to provide timely information and instructions to the farming community on agricultural matters. The programmes broadcast from these stations include information regarding methods of intensive cultivation. The programmes are field-based and problem-oriented and a large number of progressive farmers are now participating in the broadcasts.

Indian Citizenship for Tibetan Refugees

4743. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether full Indian citizenship has been granted to Tibetan refugees ; and

(b) the number of those Tibetan refugees who after coming to India have returned to Tibet thereafter ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No case has yet come up for consideration.

(b) Exact number is not known, but the total is very few.

पश्चिमी जर्मनी द्वारा ऐनकों का दान

4744. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री विश्वम्भरन :
श्रीमती तारा सप्रे :
श्री न० कु० सोमानी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में कुछ संस्थाओं ने भारतीयों के लिये दो लाख ऐनकें दान दी हैं परन्तु उन्हें भारत में लाने के लिये अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें भारत में कब तक लाया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जर्मन संघीय गणराज्य के ऐनकसाजों की एक संस्था ने 20 लाख डीश मार्क मूल्य के चश्मों के फ्रेम और शीशे भारत को दिए हैं। भारतीय नौसेना का एक जहाज इन्हें ला रहा है। आशा है कि वह जल्दी ही बम्बई पहुंच जायगा।

Arrest of Businessmen on Tibet Border

4745. **Dr. Surya Prakash Puri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that eight businessmen, who used to have trade on Tibet border were arrested consequent on Chinese occupation of Tibet and have been released recently ;

(b) whether it is also a fact that they are experiencing great difficulties in resuming trade there now ; and

(c) if so, the action Government propose to take in the matter ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c). Government have seen press reports to this effect. The House is aware that the Government of India have prohibited trade with Tibet region of China vide their Notification No. 15/4/61-EI of December 15, 1962. Relevant facts are being ascertained.

कानपुर छावनी बोर्ड में मकानों के किराये

4747. **श्री० अ० दीपा :**
श्री मणि भाई जे० पटेल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर छावनी बोर्ड के सीमा क्षेत्र के अन्दर निजी रिहायशी मकानों का किराया हाल में ही बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कानपुर छावनी बोर्ड को कोई हिदायतें दी गई हैं कि मकानों के किराये न बढ़ने दें तथा किराये की सीमा निर्धारित कर दें ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य-मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) उत्तर प्रदेश, जिसमें कानपुर छावनी भी शामिल है, में निजी रिहायशी मकानों का किराया उत्तर प्रदेश (किराया नियंत्रण और बेदखल) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत नियंत्रित किया गया है। यह छावनी बोर्ड का क्षेत्र नहीं है। इस अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत किसी मकान का किराया सामान्यता मकान मालिक और किरायेदार की रजामन्दी से नियत किया जाता है।

मकानमालिक और किरायेदार के बीच उचित किराया नियत करने के सम्बन्ध में विवाद होने पर मुनसिफ न्यायालय या सिविल न्यायालय के जज द्वारा किराया नियत किया जाता है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने की सन्धि

4748. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या परमाणु हथियारों के विस्तार को रोकने की सन्धि के सम्बन्ध में यह आशा की जाती है कि उसमें परमाणु तथा गैस-परमाणु देशों की पारस्परिक जिम्मेवारियों तथा दायित्वों में सन्तुलन का उपबन्ध किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन के अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों के खतरे से गारंटी मिलने की भारत को आशा है;

(ग) क्या भारत को ऐसी गारंटी मिली है; और

(घ) चीन के परमाणु आक्रमण का सामना करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) महासभा ने अपने प्रस्ताव नं० 2028 (XX) में कहा है कि संधि में एटमी और गैर-एटमी हथियारों वाले देशों पर पारस्परिक दायित्वों और बंधनों का स्वीकृत संतुलन होना चाहिए।

(ख) से (घ). संधि के प्रस्तावकों, अर्थात् अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, ने कहा है कि एटमी हमलों से गैर-एटमी हथियारों वाले देशों की सुरक्षा के बारे में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के ढांचे के अन्दर आश्वासनों की व्यवस्था होनी चाहिए, संधि के अन्दर नहीं। वे इस दिशा में बातचीत कर रहे हैं।

ऐट्टीकुलम में नौसेना पत्तन

4749. **श्री प० गोपालन :** **श्री चक्रपाणि :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कन्नानूर जिले में ऐट्टीकुलम एक प्राकृतिक बन्दरगाह के लिये अति उपयुक्त स्थान है, क्या वहां नौसेना का एक संरक्षित पत्तन बनाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अल्जीरिया-भारत सहयोग

4750. **डा० रानेन सेन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अल्जीरिया में संयुक्त रूप से उद्योग स्थापित करने के लिए उसने भारत से सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हां, तो किस किस्म के संयुक्त उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा चुकी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ). भारत सरकार और अल्जीरिया के एक व्यापार शिष्टमंडल के बीच अक्तूबर 1967 में जो बातचीत हुई थी, उसके दौरान अल्जीरिया के शिष्टमंडल ने भारतीय सहयोग से बाइसिकिल, मोटर साइकिल, डीजल इंजन और ट्रैक्टर बनाने के लिए अल्जीरिया में फैक्टरियां स्थापित करने में रुचि दिखाई थी । आशा है कि इस तरह के कारखानों की उपयोगिता की जांच करने की दृष्टि से भारतीय विशेषज्ञ अगले वर्ष के आरम्भ में अल्जीरिया जायंगे ।

पश्चिमी बंगाल के लिये धन का नियतन

4751. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या 1968-69 के लिये पश्चिम बंगाल के लिये योजना सम्बन्धी नियतन कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि नियत की गई है तथा उसमें केन्द्र और राज्य का अंश कितना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Territorial Army

4753. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 8,500 posts are lying vacant in the Territorial Army for a long time ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action Government proposed to take to revitalise the Territorial Army as a second line of defence?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) A deficiency of approximately 7,840 (all ranks) exists in the Territorial Army.

(b) The reasons for the deficiency mainly are—

(i) The Territorial Army does not provide a whole-time career; and

(ii) Employers are not always willing to spare their employees for training in the Territorial Army and protect their emoluments and prospects of promotion despite their embodiment in emergencies.

(c) Government continue to exhort employers to encourage their employees to join the Territorial Army. The Territorial Army is also being made more attractive by improving its terms and conditions of service as well as by rationalising training facilities.

राजनयिक पारपत्र जारी करना

4754. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने का है, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि कौन-कौन सी श्रेणियों के व्यक्ति राजनयिक पारपत्रों पर विदेशों की यात्रा कर सकते हैं;

(ख) क्या राजदूतों, मंत्रियों तथा सचिव स्तर के सरकारी अधिकारियों की पत्नियों/सम्बन्धियों/निजी सहायकों को उनकी विदेशी यात्राओं के लिये राजनयिक पारपत्र जारी किये जाते हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात का स्वविवेक प्राप्त है कि वह इस बारे में किसी व्यक्ति के मामले में सामान्य प्रथा से भिन्न कार्यवाही कर सके; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) पासपोर्ट नियम 1967 की अनुसूची II के भाग I की मद संख्या III के अंतर्गत, जो सदन की मेज पर रखे जा चुके हैं, निम्नलिखित वर्ग के व्यक्तियों को ही राजनयिक पासपोर्ट जारी किया जाता है :

(1) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी

(2) जिस व्यक्ति का राजनयिक दर्जा हो, चाहे अपने विदेशी मिशन की प्रकृति के कारण या उसके अपने स्थान के कारण;

(3) ऊपर मद संख्या (1) और (2) में बताए गए अधिकारी अथवा व्यक्ति के

परिवार के निम्नलिखित सदस्य जब कि वे सरकारी खर्च पर इन अधिकारियों या व्यक्तियों के साथ यात्रा कर रहे हों या उनके पास जा रहे हों :
पत्नी अथवा सरकारी परिचारिका, जो भी हो, पति, पुत्र और पुत्री

एक वक्तव्य सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें वे व्यक्ति बताए गए हैं जिन्हें सामान्यतः राजनयिक पासपोर्ट दिया जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०**-2050/67]

(ख) राजदूतों, मंत्रियों, भारतीय विदेश सेवा के राजनयिक अधिकारियों, तथा विदेशों में भारतीय मिशनों में नियुक्त राजनयिक दर्जे के अन्य अधिकारियों के निकट सम्बन्धी—जैसे पत्नी अथवा पति, पुत्र और पुत्री—उनके मिशन और भारत वापसी की अवधि के लिये राजनयिक पासपोर्ट के हकदार हैं । निजी सहायक और इसी दर्जे के अन्य कर्मचारी साधारणतः राजनयिक पासपोर्ट के अधिकारी नहीं हैं, जब तक कि उन्हें विदेशों में राजनयिक कार्य न करने पड़ें, जैसे कूरियर आदि का कार्य ।

(ग) और (घ). यह सरकार की मर्जी पर है कि वह अगर चाहे तो ऊपर (क) में बताए गए व्यक्तियों के अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियों को भी उस समय राजनयिक पासपोर्ट दे दे जबकि समाज में उस व्यक्ति के स्थान को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक समझा जाए अथवा जिस उद्देश्य से वह विदेश जा रहा हो उसके महत्व को देखते हुए यह आवश्यक समझा जाए । राजनयिक पासपोर्ट देने के इस अधिकार का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जाता बल्कि इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार नियमित होता है ।

प्रधान मन्त्री का तमिलनाड का दौरा

4755. **श्री मुरसोली मारन :**
श्री सेझियान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) प्रधान मंत्री के जनवरी-फरवरी 1967 के तमिलनाड के दौरे पर सरकार द्वारा कितना धन व्यय किया गया;

(ख) कांग्रेस पार्टी द्वारा तमिलनाड में विभिन्न स्थानों पर आयोजित उन सार्वजनिक सभाओं जिनमें प्रधान मंत्री ने भाषण दिये थे सरकार द्वारा कितना धन व्यय किया गया; और

(ग) इस धन की व्यवस्था कहां से की गई थी और इस व्यय को किस खाते में डाला गया था ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जैसे कि नियमों में अनुमति दी गई है, प्रधान मंत्री ने वायुसेना के विमान में यात्रा की । इस यात्रा का उनसे लिये जाने वाला किराया सरकारी खाते में जमा कर दिया गया

था। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने प्रधान मंत्री के साथ जाने वाली निजी सुरक्षा कर्मचारियों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पर व्यय किया। इसका खर्च लगभग 300 रुपये (केवल तीन सौ रुपये) था।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार ने सभाओं पर कुछ खर्च नहीं किया।

Indian Businessmen Leaving African Countries

4756. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that many rich Indian businessmen who have been forced by circumstances to leave East African countries are settling in England and other Western countries and investing their capital there;

(b) if so, whether Government have made any efforts for their return to India; and

(b) if so, the extent of success achieved by Government in this regard?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning, and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) There has recently been some migration, mainly from Kenya to U. K., of persons of Indian origin. Our information is that the number involved is not as large as some press reports have tended to suggest. No information is available regarding their wealth.

(b) No, Sir. if, however, persons of Indian origin wish to come to India for resettlement, they are free to do so. Government of India also extend certain customs and import concessions to them and their families to facilitate their resettlement.

(c) Does not arise.

प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र के निगम

4757. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन स्थापित सरकारी क्षेत्र के अथवा स्वायत्तशासी निगमों, उनकी स्थापना के समय से, के खातों की लेखा-परीक्षा करने वाली आडिटरों अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की फर्मों के नाम क्या हैं ; तथा

(ख) उन्हें 1966 तक कितना शुल्क दिया गया था ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2051/67]**

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों की लेखा परीक्षा

4758. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन स्थापित हुए सभी सरकारी उपक्रमों अथवा स्वायत्तशासी

निगमों की संस्थापना के बाद से लेखा-परीक्षकों अथवा शासपत्रित लेखापालों की किन्हीं फर्मों द्वारा उनकी लेखापरीक्षा की गई है; और

(ख) उनको 1966 के अन्त तक शुल्क के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). इस मंत्रालय के अधीन केवल एक ही उपक्रम है जिसका नाम फिल्म वित्त निगम लि०, बम्बई है। इसके अतिरिक्त, बाल फिल्म संस्था और भारतीय जन सम्पर्क संस्थान, संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत और भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत स्थापित की गई हैं। भारतीय प्रेस परिषद के हिसाब किताब को छोड़कर, जिसका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा आडिट किया जाता है, शेष तीनों संगठनों का हिसाब किताब चार्टर्ड लेखापालों की फर्मों द्वारा आडिट किया जाता है। आडिटरों को दी गई फीस इस प्रकार है :

	दी गई फीस की राशि (रुपये)	जिस अवधि के लिये दी गई	
		से	तक
(1) फिल्म वित्त निगम लि०, बम्बई	8,400/-	1960-61	1966-67
(2) बाल फिल्म संस्था, बम्बई	10,250/-	1955-56	1966-67
(3) भारतीय जन सम्पर्क संस्थान, नई दिल्ली (अगस्त, 1965 में स्थापित हुई)	500/-	1966 में	

पश्चिम बंगाल में सैनिक स्कूल

4759. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितने सैनिक स्कूल हैं तथा कहां-कहां;

(ख) उन में कितने छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) उन पर कितना धन वार्षिक खर्च होता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) एक पुरूलिया में

(ख) 280

(ग) वर्ष 1967 के लिये 4,13, 348 रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

राकेटों का विकास

4760. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि थुम्बा में नोज-कोन किस्म का एक नया राकेट छोड़ा गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिरक्षा प्रयोजनों के हेतु इन राकेटों का विकास करने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां । हाल ही में एक 'ज्यूडी' राकेट एक 'डार्ट' के साथ छोड़ा गया था जो कि पूर्ण रूप से भारत में बनाया गया था ।

(ख) जी नहीं ।

संगीत तथा नाटक डिवीजन में कलाकार

4761. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में संगीत तथा नाटक डिवीजन द्वारा राज्यवार कुल कितने कलाकार भर्ती किये गये ;

(ख) भर्ती किये गये इन कलाकारों का न्यूनतम तथा अधिकतम वेतन-क्रम क्या होता है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन कलाकारों को दिल्ली में रिहायशी मकान प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इन कलाकारों के लिये रिहायशी मकानों की व्यवस्था करने के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) कुल 277 आर्टिस्ट जिनका विवरण इस प्रकार है :

1. असम	31
2. मनिपुर और त्रिपुरा	43
3. बिहार	26
4. जम्मू तथा काश्मीर	18
5. हरियाणा	7
6. उत्तर प्रदेश	72
7. हिमाचल प्रदेश	34
8. पंजाब	12
9. दिल्ली	10
10. महाराष्ट्र	1
11. केरल	5
12. पश्चिम बंगाल	7

13.	राजस्थान	5
14.	आंध्र प्रदेश	1
15.	गुजरात	2
16.	मध्य प्रदेश	3
		277

(ख)

1.	अभिनेता और अभिनेत्रियां	215-440
2.	नर्तक	215-440
3.	गायक	215-400
4.	वादककार (सीनियर)	215-400
5.	वादककार (जूनियर)	133-265
6.	स्टेज डेकोरेटर	215-400
7.	मेकअप मैन कम ड्रेसर	210-320
8.	स्टेज असिसटेन्ट	133-195
9.	इन्सट्रक्टर	मिली जुली फीस 200/-रुपये प्रतिमास
10.	परफोरमर	मिली-जुली फीस 150/- रुपए प्रतिमास
11.	ट्रेनिंग असिस्टेन्ट	मिली जुली फीस 100/- रुपए प्रतिमास

(ग) और (घ). जो आर्टिस्ट नियमित वेतनमान में हैं वे अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान सामान्य पूल में से सरकारी मकान प्राप्त करने के हकदार हैं। जिनको इसके अन्तर्गत मकान नहीं मिलता, उनको नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता मिलता है।

सैनिक भूमि नियमावली

4763. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की वर्ष 1944 तक संशोधित रूप में कोई सैनिक भूमि नियमावली है, जिसमें छावनी क्षेत्रों में भूमि नीति सम्बन्धी विभिन्न कानून तथा विनियम दिये गये हैं ;

(ख) क्या उक्त नियमावली में दर्ज कानून तथा विनियम छावनी क्षेत्र में रहने वाले तथा संपत्ति के मालिक असैनिक व्यक्तियों के अधिकारों तथा स्वामित्व से सम्बन्धित हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि यह नियमावली जनता में विक्री के लिये नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सैनिक भूमि नियमावली छावनी के भीतर और बाहर सैनिक भूमि के निपटान के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिये मार्ग के दर्शन के लिये है। नियमावली के अनुपूरक में संविहित नियमों और विनियमों के विपरीत कोई चीज नहीं है। यह प्रकाशन सार्वजनिक विक्री के लिये नहीं है। कानन, और संविहित नियमों और विनियमों को राजकीय राजपत्र में छापा जाता है।

छावनी क्षेत्रों में सम्पत्ति का हस्तान्तरण

4764. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब कभी छावनी क्षेत्रों में कोई व्यक्ति, अपनी सम्पत्ति का हस्तान्तरण दूसरे व्यक्ति के नाम में करता है, तो सैनिक सम्पदा अधिकारी उस सम्पत्ति पर सरकारी अधिकार स्वीकार कराने के लिये इकरारनामे पर हस्तान्तरणकर्ता को हस्ताक्षर करने के लिए आग्रह करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का इकरारनामा कराने का क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) (क) और (ख). जी नहीं। प्रत्येक मामले में इसके लिये आग्रह नहीं किया जाता है। केवल सामान्य आदेश संख्या 179 दिनांक, 12 सितम्बर, 1836 के अन्तर्गत गर्वनर जनरल द्वारा दिये गये अनुदानों के मामले में ही ग्राह्य बन्धक का निष्पादित किया जाना अपेक्षित है।

आदेश की शर्त संख्या यह है कि इस अनुदान के अन्तर्गत रखी गई भूमि के हस्तांतरण पर भी अनुदान की शर्तें लागू होंगी।

Indian Embassy at Dacca

4767. **Dr. Surya Prakah Puri** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no proper lodging arrangements for the employees working in the Indian Embassy at Dacca;

(b) whether it is also a fact that the houses in which Indian employees are living there, are in a dilapidated condition ; and

(c) if so, the steps taken by Government in this direction ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Government's responsibility relates to the provision of accommodation only for the India-based staff. It would not be correct to state that the accommodation provided for such staff is inadequate or in dilapidated condition.

(c) Does not arise.

पाकिस्तान द्वारा बांधों का निर्माण

4768. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री न० कु० सांघी : **श्री धीरेन्द्र नाथ देव ।**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान मानु, धलाऊ गोमती, खीरी और मुहूरिम नदियों पर विभिन्न स्थानों पर बांध और पुश्ते बना रहा है, जिससे इन नदियों में जल के रुक जाने के कारण त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर बाढ़ आने की सम्भावना है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में पाकिस्तान सरकार को लिखा है ; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) पाकिस्तान सरकार का उत्तर उत्साहवर्द्धक नहीं है । उन्होंने या तो ऐसे निर्माणों के अस्तित्व को ही अस्वीकार किया है अथवा उन्हें इस दलील पर सही ठहराया है कि वे पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं । कुछ मामलों में दोनों देशों के इंजीनियरों ने सम्मिलित जांच पड़ताल की है लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकले हैं ।

काश्मीर विवाद का निपटारा

4769. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री य० अ० प्रसाद : **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पाकिस्तानी समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ यह समाचार सही है कि पश्चिम जर्मनी न्याय तथा आत्म निर्णय के सिद्धान्तों के आधार पर काश्मीर का विवाद निपटाने के पक्ष में है ;

(ख) क्या सरकार ने इन समाचारों की सत्यता के बारे में पता लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) से (ग). इसी सदन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में 8 दिसम्बर, 1967 को प्रधान मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था, उसमें स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

Scholarships and Invitations from Foreign Countries

4770. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether concurrence of his Ministry is not required for Indian students to accept Scholarships offered by foreign Governments ;

(b) if so, whether Indian citizens are free to accept assistance from the Governments of foreign countries ; and

(c) whether concurrence of his Ministry is not required even in regard to the invitations received in the country from various Cultural Organisations in foreign countries and if so, the extent to which it is desirable ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning, and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b) : Scholarships offered by foreign Governments are required to be processed by the Ministries concerned in consultations with the Ministry of External Affairs and are awarded to Indian students on the basis of Selection. Acceptance of assistance by Government employees is governed by departmental regulations.

(c) The foreign missions in India have been advised from time to time to send through the Ministry of External Affairs all invitations issued on behalf of their Governments, Organisations or Institutions.

आयुध कारखानों में बनाये गये प्रतिरक्षा उपकरण

4771. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखानों और सरकारी उपक्रमों में कितने मूल्य के प्रतिरक्षा उपकरण बनाये गये ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत लाइट आर्टिलरी के मामले में आत्म-निर्भर है ;

(ग) आयुध कारखानों में बनाई गई सैमि अटोमैटिक राइफल विदेशों में बनी राइफल की तुलना में कैसी है ; और

(घ) क्या इन राइफलों के निर्यात का कोई प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 1966-67 के दौरान सशस्त्र सेना को आयुध कारखानों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से लगभग 150 करोड़ रु० के उपकरण दिये गये ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारतीय सेमी अटोमेटिक राइफल का मुकाबिला विदेशों में बने इसी प्रकार के हथियारों से किया जा सकता है ।

(घ) इस सम्बन्ध में कोई ब्योरा देना लोकहित में नहीं होगा ।

Films on Lives of Great Men

4772. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of the Films Division to produce films on the lives of the great men of India and to propagate their messages, who inspired national unity ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b). A Statement is laid on the Table of the House **[Placed in Library. See No. LT-2052/67]**

Hindi Films

4773. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of States in which more Indian films are produced in Hindi language ; and

(b) the States in which larger number of people see those films ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) (a) Maharashtra and Madras.

(b) It is difficult to answer this question with accuracy but if we are to go by number of permanent cinema houses and seats in them it can be presumed that Hindi films are seen by larger numbers of people and more frequently in Maharashtra, Andhra Pradesh, Madras, Kerala, West Bengal, Madhya Pradesh. The presumption is based upon the consideration that regional films find it difficult to meet the cost.

Incentive to Small Newspapers

4774. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to augment the facilities of advertisements to inprove the financial conditions of small and regional language newspapers ; and

(b) whether Government propose to constitute a Committee which may study the problems of small particularly regional language newspapers and to make recommendations to over-come their difficulties ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) (a) Within the funds available, every effort is being made to increase the share of Government advertisement to small and regional language papers. A Committee consisting, **inter alia** of the President of the Indian Language Newspapers Association, has been set up to advise the Directorate of Advertising and Visual Publicity on the implementation of Government's policy to make the maximum use of small and language newspapers for Government advertisements. The Committee held its first meeting on 8th November, 1967.

(b) The Enquiry Committee on Small Newspapers have already studied the problems of the small newspapers, including the language papers. It is not proposed to set up another committee for the purpose.

Agriculture Income-Tax

4775. **Shri Ramavtar Shastri :**
Shri Gunanand Thakur :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the points relating to imposition of agricultural income-tax as an alternative to land revenue in the States were discussed in the last meeting of the National Development Council ;

(b) if so, the decision taken and the names of States whose Chief Ministers had supported and the names of States whose Chief Ministers had opposed it ; and

(c) the reasons advanced by the Chief Ministers opposing it ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Planning Commission's suggestion to merge agriculture income-tax with general income-tax was discussed alongwith other measures for raising revenues from the rural sector in the meeting of the National Development Council. It was decided that the Commission should set up a Committee to study the question of the mobilisation of additional resources from the rural sector.

(b) and (c) . Do not arise.

तिलपत (हरियाणा) में बम गिराने तथा चांदमारी का क्षेत्र

4776. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना के लिये तिलपत (हरियाणा में बम गिराने तथा चांदमारी के क्षेत्र स्थापित करने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा जो भूमि अर्जित की गई थी, उसका प्रयोग इस प्रयोजन के लिये नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसे उन कृषकों को, जो इस भूमि के पहले मालिक थे, पट्टे पर दे दिया गया है और अब उसका प्रयोग खेती तथा अन्य कृषि प्रयोजनों के लिये हो रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि निकटवर्ती ग्रामों के कृषकों की कुछ भूमि पर वायु सेना के अधिकारियों द्वारा बलपूर्वक खेती कराई जाती है और कृषकों को तंग किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Sub-Committee on Agricultural Resources

4777. **Shri Deorao Patil:** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at its meeting held on 2nd and 3rd December, 1967 the National Development Council decided to constitute a sub-Committee on agricultural resources ; and

(b) if so, when the sub-Committee will be appointed and the terms of reference of the sub-Committee ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) At its meeting held on December 1 and 2, 1967, the National Development Council decided that the Planning Commission should set up a Committee to study the question of mobilisation of additional resources from the rural sector.

(b) Details regarding the composition and the terms of reference of the Committee are being worked out.

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को लाभ

4778. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड अपनी बिक्री के द्वारा आय बढ़ाने में समर्थ हुआ है और अधिक लाभ भी कमा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में उसकी बिक्री और लाभ में क्या प्रगति हुई ; और

(ग) उक्त अवधि में इस कारखाने ने अपनी बिक्री बढ़ाकर कितनी विदेशी मुद्रा बचाई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) 1964-65 से 1966-67 की बिक्री और लाभ इस प्रकार है :

	1964-65	1965-66	1966-67
		(लाख रु० में)	
बिक्री	1340.91	1646.33	2875.87
शुद्ध लाभ	103.75	121.98	129.24

(ग) जानकारी तैयार की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

परम्परागत टेलीविजन केन्द्र

4779. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनेस्को के तत्वावधान में उपग्रह संचार अग्रिम परियोजना के प्रयोग के अन्तर्गत देश में अधिक परम्परागत टेलीविजन केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और उस पर कितना धन खर्च आयेगा ; और

(ग) क्या तब इस्तेमाल किये जाने वाले टेलीविजन सेटों के सभी पुर्जे भारत में बनाये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). उपग्रह संचार का लाभ उठाने के लिये एक प्रायोगिक प्रायोजना हो सकती है या नहीं, इसकी जांच के लिये 17 नवम्बर से 8 दिसम्बर, 1967 तक भारत में यूनेस्को का एक मिशन था। मिशन की सहायता भारत सरकार द्वारा नामजद एक सहायक दल द्वारा की गई थी। मिशन की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है।

Publicity of Indian Film Stars by Radio Peking

4780. **Shri Yashpal Singh**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of the film stars who participated in the Asian Film Festival and the names of the films which were entered therein ;

(b) whether Government are aware that a few months ago Peking Radio made a broadcast in respect of some of the Indian Film stars who had participated in the Asian Film Festival ;

(c) whether it is a fact that Sunil Dutt, Dircctor of the film 'Yaadein' had managed this publicity through Radio Peking ; and

(d) whether Government are taking any action against him ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) A statement indicating the names of the film stars who participated in the Asian Film Festival, Frankfurt and the names of the films entered therein is laid on the Table of the House **[Placed in Library. See No. LT-2053/67]**

(b) and (c). Not to our knowledge, Sir.

(d) Does not arise.

एसेक्स फार्म, दिल्ली द्वारा सेना को डिब्बों में बंद मांस की सप्लाई

4781. **श्री रमानी** : **श्री उमानाथ** :

श्री गणेश घोष : **श्री अब्राहम** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसेक्स फार्म, दिल्ली द्वारा जो सेना को डिब्बों में बन्द मांस सप्लाई करती है,

गर्भवती बकरियों का वध किये जाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गर्भवती बकरियों का बध किये जाने के कारण कर्मचारियों में असंतोष है और भारी संख्या में कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां । इस मामले में इस सभा के सदस्य ने अभ्यावेदन दिया है ।

(ख) से (घ). मामले में की गई जांच से पता चलता है कि सेना का पशु चिकित्सा अधिकारी वध किये जाने से पहले और बाद परीक्षा करता है और यह सही नहीं है कि गर्भवती बकरियों का बध किया जाता है । तथापि, सरकार को पता नहीं है कि गर्भवती बकरियों के वध किये जाने के कारण कर्मचारियों में असंतोष है ।

Jobs for Disabled Soldiers in Industries

4782. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have prepared a scheme to give jobs to the disabled soldiers and absorb them in industries ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State Defence Production in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). Yes, Sir. Efforts are made to find suitable civil jobs for them in Government Departments, public sector undertakings and private concerns, commensurate with their educational qualifications, experience and residual capacity, preferably in their own State/ District, in relaxation of the normal medical standards. For employment to Class III and Class IV posts filled through Employment Exchanges, the disabled Defence Service personnel are given over-riding priority within priority III. Educational qualifications for Class III posts filled through Employment Exchanges are also relaxed. Vocational training is arranged for those who, because of lack of educational qualifications and experience, are not considered fit for a direct civil job. Such training helps them to secure jobs in industrial concerns or helps them to start their own business.

Radio Station for Bundelkhand

4783. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no radio station has so far been set up in Bundelkhand area of Madhya Pradesh ;

(b) whether Government propose to set up a Radio Station there in the near future considering its importance in the field of culture, art and crafts, language and literature ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Draft proposals for the Fourth Five Year Plan provide for setting up of a separate radio station to serve the Bundelkhand areas of the Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, the exact location of which will be decided taking into account its feasibility both from technical and programme production considerations. The project will be taken up for implementation when the requisite resources and foreign exchange become available.

सैनिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां

4784. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक स्कूलों में दाखिले के लिये अर्हता प्राप्त लड़कों को छात्रवृत्तियां देने के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों, संघ राज्य-क्षेत्रों और केन्द्रीय सरकार की कौन-कौन सी योजनायें हैं;

(ख) क्या इस बात को देखते हुये कि जबसे छात्रवृत्तियां देना आरम्भ किया गया है तब से अब तक मूल्यों में वृद्धि हो गई है, छात्रवृत्तियों की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो दाखिले के लिये अर्हता तो प्राप्त कर लेते हैं परन्तु अपने माता पिताओं की आर्थिक कठिनाइयों के कारण स्कूल नहीं जाते अथवा कुछ दिन तक स्कूल जाने के वाद स्कूल छोड़ देते हैं ; और

(घ) क्या निर्वाह व्यय अधिक होने के कारण छात्रवृत्तियां देने के प्रयोजनार्थ आय की वर्तमान अधिकतम सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-2054/67]

(ख) सैनिक स्कूलों में फीस बढ़ाने के लिये सैनिक स्कूल संस्था के प्रबन्धक बोर्ड के समक्ष एक प्रस्ताव है , यदि यह स्वीकृत हो गया, तो इसके परिणामस्वरूप छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करना आवश्यक होगा ।

(ग) कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । ऐसे मामले न खड़े हों, इसलिये छात्रवृत्ति योजना बनाई गई है ।

(घ) जी नहीं ।

Relations with Countries where Persons of Indian Origin are Settled

4785. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the measures being adopted by Government to maintain close relationship with those countries where persons of Indian origin are settled ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): The Government of India maintains diplomatic and other representation with all countries where people of Indian origin

are settled in large numbers, and endeavours through these Missions as well as in other appropriate ways to maintain and promote close relations with those countries and people of Indian origin living there and to render them all possible assistance, particularly in the economic, educational and cultural fields.

Indian High Commission in U. K.

4786. **Shri Shiv Charan Lal:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of officers and employees in the Indian High Commission in U. K.;

(b) the particulars regarding their Hindi qualifications;

(c) whether the communications addressed to the High Commissioner in Hindi are not replied to in Hindi due to inadequate Hindi knowing staff; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government to improve this situation?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) 822.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) No, Sir. Letters addressed to the High Commissioner by name in Hindi are replied to in Hindi.

(d) Government of India's instructions regarding use of Hindi are invariably being followed. Hindi classes are being conducted to improve the number of staff who can deal with Hindi correspondence.

रोडेशिया में रंग भेद की नीति

4787. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि रोडेशिया की अल्पसंख्यक सरकार रोडेशिया में रंगभेद की नीति लागू करने के लिए प्रबल कार्यवाही कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की सूचना के अनुसार स्मिथ सरकार इस दिशा में क्या विशिष्ट कार्यवाही कर रही है; और

(ग) उन्हें ऐसी कार्यवाही करने से रोकने के लिए सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से तथा अन्य तरीकों से क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) प्राप्त समाचारों से पता चलता है कि रोडेशिया की गैर-कानूनी सरकार ने जो विधान लागू किये हैं या जिन्हें लागू करने का उसका विचार है, उनका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका की

रंगभेद पोषक सरकार की रंगभेद व्यवस्था के समान दक्षिण रोडेशिया में जातियों के पृथक-पृथक विकास के लिए व्यवस्था करना है ।

(ग) चूंकि रोडेशिया ब्रिटिश उपनिवेश है इसलिए कानूनी, नैतिक और संवैधानिक सभी दृष्टिओं से ब्रिटेन की यह जिम्मेदारी है कि वह स्मिथ सरकार को रोडेशिया में रंगभेद लागू करने से रोकने के लिए कदम उठाए । भारत समान विचारधारा वाले देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र में, और अन्यत्र भी, श्वेत अल्पसंख्यक सरकार को गिराने के उद्देश्य से और जिम्बाबे में बहुसंख्यक आबादी की इच्छा पर आधारित प्रतिनिधि सरकार की स्थापना के उद्देश्य से की जाने वाली हर कार्यवाई में अपना सहयोग प्रदान कर रहा है ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में लेखा एवं प्रशासनिक अधिकारी

4788. **श्री राम चरण** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सांख्यिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में लेखा एवं प्रशासनिक अधिकारी का एक पद बनाया जा रहा है;

(ख) क्या इस निदेशालय की स्थापना से अब तक वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक समझी जाती रही है; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान वित्तीय कठिनाई के कारण उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित पद बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . जबकि वर्तमान प्रबन्ध आरम्भ में संतोषजनक था कुछ समय से यह महसूस किया गया कि राष्ट्रीय नमूना-सर्वेक्षण के निदेशालय में काम के बढ़ जाने के कारण लेखों तथा प्रशासन कार्य के पर्यवेक्षण के लिये प्रबन्ध को सुदृढ़ किया जाना चाहिए । उसमें अन्तर्ग्रस्त व्यय नाममात्र है ।

राडार और सूक्ष्म-तरंग उपकरणों का निर्माण

4789. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राडार और सूक्ष्मतरंग उपकरणों का निर्माण करने के लिए कोई नया कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) उस कारखाने पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी; और

(घ) यह कारखाना कब तक स्थापित हो जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : भारत इलैक्ट्रोनिक्स ने इस परियोजना का प्रतिवेदन तैयार करना आरम्भ कर दिया है। परियोजना प्रतिवेदन के मिलने पर ही इसका ब्योरा उपलब्ध हो सकेगा। आशा है परियोजना प्रतिवेदन 1968 के मध्य तक मिल जायेगी।

टेलीविजन सेटों का निर्माण

4790. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 14 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन फर्मों को टेलीविजन रिसीवर सेट बनाने के लाइसेंस दिये गये हैं उनकी अनुमानित निर्माण क्षमता कितनी है ;

(ख) कब तक निर्माण आरम्भ हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) इन फर्मों द्वारा बनाये गये टेलीविजन सेटों का अनुमानित मूल्य कितना होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) प्रतिवर्ष 10,000 टेलीविजन सेट तैयार करने के लिये दो फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं।

(ख) 1968 के मध्य तक।

(ग) आशा है 23″ परदे के सेट का मूल्य 1500 रु० होगा और 19″ परदे के सेट का मूल्य 1350 रु० होगा।

सिक्कम की उत्तरी सीमा पर चीन की सेना का जमाव

4791. **श्री समर गुह :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **प्रतिरक्षा** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन सिक्किम के उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ अपनी सेना का भारी जमाव कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो भारत चीन सीमा के तनावपूर्ण क्षेत्रों में सेना का जमाव करने का चीन का क्या उद्देश्य है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यद्यपि हमारी उत्तरी सीमाओं पर चीनियों का जमाव है, फिर ऐसा कोई संकेत नहीं है कि हाल के महीनों में उत्तर सिक्किम की सीमा पर उस शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेपाल को ऋण

4792. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) वर्ष 1947 से नेपाल सरकार को कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया है;

(ख) वह ऋण किन शर्तों पर दिया गया है; और

(ग) नेपाल सरकार ने यह राशि किस काम में इस्तेमाल की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एक करोड़ रुपया ।

(ख) यह ऋण नेपाल में उद्योगों को, विशेषकर जूट, सीमेंट, कागज, कपड़ा उद्योगों की स्थापना में, तथा किन्हीं ऐसे उद्योगों की स्थापना में खर्च किया जायेगा जिनसे नेपाल को फायदा पहुंचता हो । इस पर ब्याज की दर 3 प्रतिशत है और इसका भुगतान 15 वर्षों में किया जायेगा ।

(ग) औद्योगिक विकास के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है ।

Allocation for Bihar

4793. **Shri Bhogendra Jha** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the amount proposed to be allocated for planning in respect of Bihar for the year 1968-69 was Rs. 75 crores and 43 lakhs ;

(b) whether it is also a fact that the said amount has now been reduced to Rs. 70 crores and 41 lakhs ; and

(c) if so, the reasons therefor and if not, the actual position in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The State Government have proposed that their plan-outlay for 1968-69 should be Rs. 75 crores and 43 lakhs.

(b) The State's Annual Plan 1968-69 proposals are still under consideration.

(c) Does not arise.

मंगला बांध का उद्घाटन समारोह

4794. **श्री सूपकार** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि मंगला बांध उद्घाटन समारोह के समय भारत द्वारा दी गई बहुत भारी राशि का प्रतिवेदन में कोई उल्लेख नहीं किया गया था; और

(ख) क्या उक्त समारोह के समय अन्य राष्ट्रों के ध्वजों के साथ भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया था ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख) . जी हां । उद्घाटन समारोह के अवसर पर भारतीय झंडा नहीं फहराया गया । केवल उन्हीं देशों के झंडे फहराए गए थे जिन्होंने मंगला बांध के निर्माण के लिए अंशदान दिया था और हम उनमें से नहीं थे ।

बर्मा में नजरबन्द भारतीय लोगों को भारत में लाना

4795. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) बर्मा सरकार द्वारा तथाकथित आर्थिक अपराधों के कारण नजरबन्द किये गये भारतीय लोगों की रिहाई कराने तथा उन्हें भारत में लाने के मामले में और कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) रंगून स्थित हमारे दूतावास द्वारा उन्हें क्या सुविधायें दी गई हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). हाल ही में दो और व्यक्ति रिहा किए गए हैं । इस प्रकार अब तक जेल से 56 व्यक्ति रिहा किए जा चुके हैं । अभी हिरासत में 23 व्यक्ति और रह गए हैं जिनकी रिहाई के लिए हमारा राजदूतावास बर्मा के अधिकारियों से लिखा पढ़ी कर रहा है राजदूतावास के अधिकारी बंदियों से मिलते हैं और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात का प्रबन्ध कराते हैं । वे जो कठिनाइयां बताते हैं उन्हें दूर करवाने के लिए हमारा राजदूतावास बर्मा के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करता है ।

नागाओं के साथ पुनः वार्ता आरम्भ करना

4796. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या नागा समस्या के बारे में सरकार के साथ पुनः वार्ता आरम्भ करने के लिए छिपे हुए नागाओं के नेताओं ने कुछ नई शर्तें रखी हैं ।

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) छिपे नागाओं ने भारत सरकार से इस विषय पर लिखा-पढ़ी नहीं की है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

आओ तथा सेमा आदिमजातीय परिषदें

4797. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री हेम बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि आओ तथा सेमा आदिम जातीय परिषदों ने संकल्प पारित

करके उन सब गैर-नागाओं से अनुरोध किया है जो स्थानीय नागाओं के लाइसेंस के अधीन दुकानें चलाते हैं अथवा अन्य व्यापार करते हैं, कि वे सब छः महीने की अवधि के अन्दर-अन्दर नागालैंड को छोड़कर चले जायें।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) नागालैंड में व्यापार करने वाले गैर-नागाओं की सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) . नागालैंड की राज्य सरकार ने हमें सूचना दी है कि उन्होंने (राज्य सरकार ने) इस मामले की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई है। राज्य सरकार ने संबद्ध कबीला परिषद्/परिषदों से भी कहा है कि वे जल्दबाजी में कोई कार्यवाई न करें।

इसराईल के जहाजों का स्वेज नहर से होकर जाना

4798. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इसराईल के जहाजों को स्वेज नहर से गुजरने की अनुमति न देने के बारे में संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार द्वारा अपनाये गये रवैये से उत्पन्न हुई स्थिति को सुलझाने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) . इसराइली जहाजों को स्वेज नहर से गुजरने की इजाजत कभी नहीं दी गई और पश्चिम एशिया में इस समय जो स्थिति है वह इस कारण पैदा नहीं हुई कि इसराईली जहाजों को स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरने दिया जाता था।

यह उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया के संकट के आरम्भ से ही दूसरे देशों के सहयोग से भारत ने संयुक्त राष्ट्र में और अन्यत्र ऐसा स्वीकार्य समाधान खोजने में सहायता देने का सतत प्रयत्न किया है जिससे इस क्षेत्र में हमेशा के लिए शांति और स्थिरता आ जाए। सुरक्षा परिषद् के सदस्यों में लम्बे सलाह-मशविरे के बाद, यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रस्तावित एक प्रस्ताव का मसौदा 22 नवम्बर, 1967 को सर्व-सम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

ट्रांजिस्टर रेडियो सेटों का मूल्य

4798-क. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रांजिस्टर रेडियो सेटों की लागत कम करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं, जिससे कि साधारण व्यक्ति भी इनको खरीद सके; और

(ख) कम लागत वाले तथा एक बैंड वाले ट्रांजिस्टर रेडियो का मूल्य इस समय कितना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) यह निर्णय किया गया है कि रेडियो उत्पादन की 75 प्रतिशत क्षमता को सस्ते रेडियों सेटों के उत्पादन के लिये काम में लिया जायेगा । पुर्जों की निर्माण लागत में कमी करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ख) सस्ते एक बैंड वाले ट्रांजिस्टरों का मूल्य एक फर्म से दूसरी फर्म में भिन्न रहता है । सुपर बाजार में एक सेट का विक्रय मूल्य 85 रु० है ।

संसद् सदस्यों को विकास कार्यों की जानकारी देना

4798-ख. **श्री लकप्पा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को ऐसी हिदायतें जारी की गई थीं कि वे संसद् सदस्यों को उस अवधि में जब संसद् का अधिवेशन न हो कृषि तथा अन्य विकास कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करें;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई रिपोर्ट मांगी गई है कि अधिकारियों और राज्य सरकारों ने उन हिदायतों का कहां तक पालन किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बात के लिये कोई कार्यवाही करेगी कि संसद् सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के कार्यक्रमों की जानकारी मिलती रहे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा था कि वे संसद् सदस्यों को विकास खण्डों और कृषि कार्यक्रमों को देखने के लिये आवश्यक सुविधाएं दें । इस विषय पर कोई और सामान्यपत्र जारी नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) कृषि मंत्रालय से कोई विशेष प्रतिवेदन नहीं मांगे गये थे । ऐसा समझा जाता है कि राज्य सरकारों ने संसद् सदस्यों को उचित सुविधाएं दी थीं ।

अमरीकी सहायता से एक संगणक निगम की स्थापना

4798-ग. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या एक अमरीकी फर्म की सहायता से भारत में एक संगणक निगम स्थापित करने का सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) ऐसा निगम स्थापित करने से क्या लाभ होंगे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) देश के विभिन्न भागों में दस संगणक पद्धतियां स्थापित की जा रही हैं। इन संगणकों के कार्य को एक सरकार द्वारा संचालित निगम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्तावित निगम को स्थापित करने में किसी अमरीकी फर्म से कोई सहायता लेने का कोई विचार नहीं है।

(ख) और (ग) . अभी कोई ब्योरा तैयार नहीं किया गया है।

पाकिस्तानी घुसपैठिये

4798-घ. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार को आसाम में घुसपैठिये भेजने की उसकी नीति के विरोध में एक विरोध-पत्र भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) पाकिस्तान हाई कमीशन के पास कई नोट भेजे गए हैं जिनमें उनसे इस प्रकार की घुसपैठ को रोकने पर जोर दिया गया है।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने इस आरोप से बार-बार इनकार किया है और उल्टे यह आरोप लगाया है कि ये घुसपैठिये भारत से निकाले हुए भारतीय राष्ट्रिक हैं जिन्हें पाकिस्तान के अधिकारियों को वापस भेजना पड़ता है।

केरल में इल्मेनाइट अयस्क परिष्करण संयंत्र का स्थापित किया जाना

4798-ङ. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री चक्रपाणि : **श्री प० गोपालन :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केरल में इल्मेनाइट अयस्क परिष्करण संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि उस राज्य के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट निक्षेपों का उपयोग हो सके;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) . निम्न खनिजों के उत्पादन के लिये केरल में चावड़ा के स्थान पर

एक परिष्करण संयंत्र स्थापित करने के लिये इन्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड ने योजनाओं को अन्तिम रूप दिया है :

इल्मेनाइट	...	100,000	मीट्रिक टन प्रतिवर्ष
रुटाइल	...	5,850	,, ,, ,,
जिरकोन		7,000	,, ,, ,,
मोजैनाइट		585	,, ,, ,,
सिलिमैनाइट		4,100	,, ,, ,,

इस संयंत्र की वर्तमान अनुमानित लागत 160 लाख रु० है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Delhi Development Authority

4798-F. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the **Prime Minister** be pleased to state the reasons for which Delhi Development Authority is being brought under the Ministry of Health.

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): Transfer of subjects from one Ministry to another Ministry is effected as and when necessary in the interests of administrative convenience. So far as the Delhi Development Authority is concerned the matter is still under consideration.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आसाम में "आसाम फार आसामीज" (आसाम आसामवासियों के लिये) इश्तहारों का बांटा जाना

श्री धीरेश्वर कलिता (गौहाटी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न किस प्रकार उठाया जा सकता है जबकि हमारे सामने चर्चा का कोई विषय ही नहीं है । क्या वह ध्यान दिलाने वाली सूचना के सम्बन्ध में है ?

श्री धीरेश्वर कलिता : क्योंकि आपने इस ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा की अनुमति दे दी है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार के प्रश्न सभा में नहीं पूछ सकते ।

श्री धीरेश्वर कलिता :**

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर)**

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not Recorded

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूच बिहार) : मैं माननीय गृह-मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

आसाम में ऐसे इश्तहार बांटे जाना जिनमें कहा गया है कि "आसाम फार आसामीज" (आसाम आसामवासियों के लिये) है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : राज्य सरकार ने हमें सूचना दी है कि कुछ ऐसे इश्तहार जिनमें अधिकांश आसामी भाषा में थे लेकिन कुछ अंग्रेजी में थे, मध्य जुलाई से मध्य अगस्त, 1967 तक निकलते थे जिनमें "आमास का शोषण बन्द करो", "आसाम आसामवासियों के लिये" और "संघीय योजना समाप्त हो" आदि जैसे नारे थे। नवगोंग शहर में "आह्वान" नामक एक छोटा इश्तहार भी पाया गया है। जिसमें आसाम के लोगों को उकसाया गया है कि वे गैर-आसामी लोगों द्वारा शोषण के विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन आरम्भ करें।

नवम्बर, 1967 के आरम्भ में छात्रों को सम्बोधित एक छपी हुई पर्ची गोहाटी में बहुत थोड़े पैमाने पर बांटी गई। इसमें "आसाम आसामवासियों के लिये" के विषय पर जोर दिया गया था और छात्रों से अनुरोध किया गया था कि वे सरकारी और गैर-सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलने के वैध अधिकार के लिये संघर्ष करें। राज्य सरकार द्वारा की गई पूछताछ से पता चलता है कि कुछ नवनिर्मित मिले-जुले दल पुस्तिकायें और इश्तहार बांट रहे थे। इन इश्तहारों के लिये कोई सुस्थापित राजनीतिक दल या संगठन जिम्मेदार नहीं बताया गया है।

राज्य सरकार इस सम्बन्ध में पूछताछ कर रही है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकार से बराबर सम्पर्क बनाये हुए है।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : माननीय गृह-कार्य मंत्री ने यह बताया कि वहां कोई सुव्यवस्थित संघठन नहीं है। शिव सेना और हिन्दी सेना की भांति आसाम में लच्छत सेना है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : इन सेनाओं द्वारा चलाई गई समस्या की गम्भीरता को मैं समझता हूं। आसाम सरकार को इस मामले की जानकारी है और वह इस सम्बन्ध में जांच कर रही है।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : It is a very serious problem. Some organisations and persons are giving more importance to their personal interest than to the interest of the country. They are spreading the feelings of regionalism, linguism etc. in the minds of the people. Assam has got great strategic importance because it is situated on our border. I want to know whether some foreign agent had conspiracy in that matter. We are talking of peaceful coexistence abroad, but we are not following it in our own country.

I want to know whether there is some difficulty for the Government to take action on the border areas of Assam under the Preventive Detention Act. Whether the Government will give

some specific instructions to the State Governments to take preventive measures to supress these activities.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये गम्भीर घटनाएं हैं। राज्य सरकार को इसकी पूरी जानकारी है और यदि कोई निवारक कार्यवाही की आवश्यकता होगी तो वह इसमें हिचकेगी नहीं।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : यह भड़काने वाले तत्व चीनी या पाकिस्तानी हो सकते हैं।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या मैं और प्रश्न पूछ सकता हूं। वह बहुत आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह मुझे लिखें यदि उसमें कुछ त्रुटि होगी तो मैं उसे ठीक कर दूंगा।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to raise a question of privilege against Shri Sreekantan Nair. Two days back, when the Language Bill was being discussed in the House, an unprecedent incident occurred. When the lobbies were cleared and doors closed for division; Shri Sreekantan Nair wanted to leave the House as soon as the Division was over. When Shri Nair found the doors closed he was enraged and banged the door which resulted in breaking the three glass-panes. The Lobby Assistant narrowly escaped being hurt by the broken glass panes.

It is true that the doors should be opened between each division so that those Members who want to vote in the next division may be enabled to come in.

The opening of the doors is not meant for those Members who are present in the House, because if they do not want to vote, they have a right not to vote without going from the House. It is meant for those Members who are not in the House to come into the House. In the mentioned circumstances the Hon. Member may see the Speaker.

An. Hon. Member of the House may not resort to violence. I strongly criticise the behaviour of the Hon. Member. He has thereby constituted a breach of privilege of the House. I, therefore, request that this matter may please be referred to the Committee of Privileges.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री श्रीकान्तन नायर को सुनना चाहूंगा।

श्री श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं नियम 357 के अन्तर्गत वैयक्तिक स्पष्टीकरण देता हूं.....

Shri Madhu Limaye : How can it be possible ? I am raising a point of order. Now proceedings are not going on under Rule 357. He can speak in reply to my question and not under Rule 357.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : हमें अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करना चाहिये। श्री मधु लिमये का नहीं।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मुझे विदित है श्री श्रीकान्तन नायर चिल्लाते हुए आये थे कि 'दरवाजे खुले नहीं हैं' वे इस प्रकार चिल्लाये कि मुझे दुख हुआ और मैंने दरवाजे शीघ्र खोलने के लिये आदेश दिया। इससे अधिक मुझे और कुछ विदित नहीं। यदि श्री नायर ने इसके अतिरिक्त कुछ किया है तो वह स्वयं ही उसका उल्लेख करेंगे।

श्री श्रीकान्तन नायर : शनिवार को भाषा विधेयक संशोधनों 102-118 पर जब मतदान हो चुका तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बाहर खुली हवा में जाना चाहता था। मैंने देखा कि मत विभाजन के परिणाम के पश्चात भी लोक-सभा कक्ष के दरवाजे बन्द थे। मैंने वाच एण्ड वार्ड पदाधिकारी को बताया कि परिणाम घोषित किया जा चुका है और अब दरवाजे खोले जाने चाहिये। पदाधिकारी ने बताया कि उसे दरवाजे न खोलने का आदेश दिया गया है। मैंने उन्हें बताया कि किसी को भी मुझे इस प्रकार कैदी के रूप में बन्द कक्ष में रखने का अधिकार नहीं है। तब दरवाजे बन्द करने के सम्बन्ध में मैंने अध्यक्ष से शिकायत की। अध्यक्ष ने बताया कि किसी भी सदस्य को सदन से बाहर जाने से नहीं रोका जा सकता। जब मैं वापिस आया तो मैंने दरवाजों को फिर बन्द पाया। अतः मैंने दरवाजा खट-खटाया। इसके पश्चात् वाच एण्ड वार्ड के एक पदाधिकारी आये और उन्होंने मुझे बाहर निकाला। वाच एण्ड वार्ड कर्मचारियों के साथ मुझे पूरी सहानुभूति है। सभा की कार्यवाही से यह विदित होता है कि मैंने केवल मत विभाजन के बीच ही बाहर निकलने का प्रयत्न किया।

श्री श्रीकान्तन नायर : मैं अब भी यह कहता हूं कि मेरे आने जाने पर लगाये गये निर्बन्धन गैर-कानूनी थे। मैं सदा अनुशासन का पालन करता हूं परन्तु इस मामले पर हम क्षुब्ध हैं और हम सभी अहिन्दी भाषी इसके लिये संघर्ष करेंगे।

श्री विश्वनाथन (वंडीवाश) : क्योंकि वह हिन्दी के विरुद्ध हैं, इसलिये श्री मधु लिमये ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। हम जानते हैं कि ये लोग कैसे व्यवहार करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं चाहता। इसमें से कार्यवाही में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

* *

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : क्या मैं मधु लिमये से यह प्रस्ताव वापिस लेने के लिये अनुरोध कर सकता हूं, क्योंकि सभा में उत्तेजना फैल गई है।

अध्यक्ष महोदय : वह स्वयं यह बात कह सकते हैं।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not Recorded.

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : श्री मधु लिमये ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । अगले दिन श्री श्रीकान्तन नायर उत्तेजित हो गये थे और जो कुछ उन्होंने किया, वह उसके बारे में स्वयं प्रसन्न नहीं हैं । यह अलग बात है कि उन्हें सभा से बाहर जाने की अनुमति दी जानी थी या नहीं, परन्तु मुझे विश्वास है कि वह यह तो स्वीकार करेंगे कि शीशे तोड़ना और हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग करना इस सभा के किसी सदस्य के लिये उचित नहीं है । मेरे विचार में सबसे अच्छी बात यह होगी कि श्री श्रीकान्तन नायर स्वयं उठकर यह कह दें कि उन्होंने उस दिन जो कुछ किया था उस पर उन्हें खेद है । क्योंकि वह कार्यवाही उत्तेजना के वातावरण में हो गई थी । ऐसी स्थिति में श्री मधु लिमये को इस विशेषाधिकार के उल्लंघन के प्रस्ताव को वापिस ले लेना चाहिये ।

श्री श्रीकान्तन नायर : मैं अपने किये पर पश्चाताप नहीं करता ।

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : इस मामले की गम्भीरता अभी बनी हुई है । श्री श्रीकान्तन नायर ने जो कुछ कहा है, वह इस मामले पर चर्चा बन्द करने के लिये काफी है । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इस विषय पर चर्चा बन्द कर दी जाये ।

Shri Madhu Limaye: Shri Sreekantan Nair has not accepted the suggestion of Shri M. R. Masani. I want permission to move the Motion. If twentyfive Members support it, then the matter should be taken up.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It would have been better if Shri Sreekantan Nair had expressed his regret. I request you to give us some time to persuade him.

अध्यक्ष महोदय : तो फिर हम इस मामले पर कल चर्चा करेंगे जिससे यहां के वातावरण में सुधार हो जाये । हमें इस मामले पर उत्तेजित नहीं होना चाहिये ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE
वृत्त-चित्रों तथा समाचार-चित्रों के सम्बन्ध में विवरण

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : मैं वृत्त-चित्रों तथा समाचार चित्रों के सम्बन्ध में प्रसारण तथा सूचना के माध्यमों सम्बन्धी समिति की 79 सिफारिशों पर किये गये निर्णय बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-2035/67]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

"कि राज्य सभा ने अपनी 15 दिसम्बर, 1967 की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया है

कि श्री एम० पी० भार्गव का दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1964 दोनों सभाओं की 30 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें राज्य सभा के 10 सदस्य, अर्थात् (1) श्री विमल कुमार एम० चौरड़िया (2) श्री डी० पी० करमारकर (3) श्री संतोख सिंह (4) श्री लोकनाथ मिश्र (5) श्री पी० सी० मित्रा (6) श्री जगत नारायण (7) श्री जी० डी० तापासे (8) श्री भवानी प्रसाद तिवारी (9) कुमारी शान्ता वशिष्ठ (10) श्री एम० पी० भार्गव और लोक-सभा से 20 सदस्य हों और सिफारिश की है कि लोक-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा उक्त संयुक्त समिति के लिये लोक-सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम उस सभा को बताये।"

आत्यावश्यक वस्तुएं (संशोधन) विधेयक
ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I beg to present the Report of the Select Committee on the Bill further to amend the Essential commodities Act, 1955 and to continue the Essential Commodities (Amendment) Act, 1964, for a further period.

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) BILL

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि व्यक्तियों तथा संगमों के कतिपय विधि विरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण के लिये तथा तत्संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

सभा को यह पता है कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण विधेयक को इस सभा के पिछले सत्र में संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा गया था। इस विधेयक के सामान्य सिद्धांतों पर पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है। इतना तो स्पष्ट है कि हमारी कुछ समस्याएं हैं और हमें उनका लोक-तंत्रीय और संवैधानिक समाधान ढूंढना है। इसी उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

संयुक्त प्रवर समिति ने काफी छानबीन की है और उन्होंने विधेयक की संवैधानिकता के महान्यायवादी के भी विचार सुने थे जिनके बारे में कई सदस्यों ने संदेह व्यक्त किये थे। अब

यह स्पष्ट है कि यह विधेयक संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार है और इसके द्वारा भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शान्तितूर्ण ढंग से सम्मेलन करने के अधिकार और संस्था या संघ बनाने के अधिकार पर उचित प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं। संयुक्त समिति ने इस विधेयक में काफी परिवर्तन किये हैं।

सर्वप्रथम विधेयक के खण्ड 2 में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। संयुक्त समिति ने यह महसूस किया कि भारत की प्रभुसत्ता और एकता की दृष्टि से विधिविरुद्ध क्रियाकलाप की अलग से परिभाषा करने की अपेक्षा, जैसी कि इस सभा में पेश किये गये विधेयक में की गई है, यह अधिक उपयुक्त होगा कि हम संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 में प्रयोग की गई वाक्य रचना का प्रयोग करें। इसी के अनुसार खण्ड (2) के उप-खण्ड (च) का संशोधन कर दिया गया है।

दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन खण्ड 4 में किया गया है। इस विधेयक में न्यायाधिकरण को अपने समक्ष प्रस्तुत मामले पर निर्णय देने के लिये कोई समय सीमा नहीं रखी गई थी। खण्ड 3 (1) के अधीन समिति ने अब अधिसूचना के जारी किये जाने की तारीख से छः महीने की अधिकतम अवधि निर्धारित की है।

प्रवर समिति ने इस विधेयक के खण्ड 5 में भी परिवर्तन किया है। पहले विधेयक में यह व्यवस्था की गई थी कि न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करेगी। संयुक्त समिति ने यह महसूस किया कि न्यायाधिकरण में जनता का विश्वास उत्पन्न करने के लिये और कार्यवाही को सुविधाजनक ढंग से निपटाने के लिये न्यायाधिकरण में एक सदस्य होना चाहिये और उसमें उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश को नियुक्त किया जाना चाहिये।

इसके बाद खण्ड 6 (1) के परन्तुक में न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर सुनिश्चित की गई अधिसूचना की क्रियान्विति की अवधि को एक बार एक वर्ष तक बढ़ाने का केन्द्रीय सरकार को अधिकार दिया गया है। प्रवर समिति ने इस परन्तुक को बिल्कुल निकाल दिया है। इसका अर्थ यह है कि कोई संस्था अधिसूचना लागू होने की तारीख से अधिक से अधिक दो वर्ष बाद तक विधिविरुद्ध ठहराई जा सकती है। समिति ने इस विधेयक के उपबन्धों की क्रियान्विति में सम्भावित कठिनाइयों को कम करने के लिये खण्ड 7 और 8 में कुछ परिवर्तन किये हैं। उन्होंने खण्ड 10, 12 और 13 में रखे गये दण्ड को भी कम कर दिया है।

मैंने इस विधेयक के सम्बन्ध में सामान्य चर्चा का उत्तर देते हुये कहा था कि भारत में विघटनकारी शक्तियां विद्यमान होने के कारण यह विधेयक आवश्यक है। क्योंकि हमें इन शक्तियों का मुकाबला करने के लिये आवश्यक व्यवस्था करनी है। यह कोई दलगत मामला नहीं है क्योंकि भारत की एकता एवं अखण्डता एक आदर्श है और जिसके प्रति सभी दल उत्तरदायी हैं। इसके साथ ही हमारी ऐसी कोई भ्रान्त धारणा नहीं है कि केवल कानूनी कार्यवाही से ही कोई

स्थायी हल निकल सकता है। परन्तु राजनीतिक और शिक्षा सम्बन्धी तरीकों को भी कानूनी कार्यवाही द्वारा सुदृढ़ बनाना होगा। मुझे प्रसन्नता होगी यदि इस विधेयक में निहित शक्तियों का प्रयोग न किया जाये। मैं प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में इस विधेयक को स्वीकार करने के लिये सभा से सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि व्यक्तियों तथा संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण के लिए तथा तत्संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया।"

इस प्रस्ताव के कुछ संशोधन भी हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेई : (बलरामपुर) : मैं संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं संशोधन संख्या 75 प्रस्तुत करता हूं।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मैं संशोधन संख्या 78 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं संशोधन संख्या 117 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कृ० मा० कौशिक (चांदा) यद्यपि मंत्री महोदय ने कहा है कि इस नये विधेयक में काफी परिवर्तन किये गये हैं परन्तु मेरे विचार में यदि आधारभूत दृष्टि से देखा जाये तो इसमें बिल्कुल कोई अन्तर नहीं है। इस विधेयक से मुझे उन दिनों की याद आ रही है जब अंग्रेज लोग इस प्रकार के दमनकारी तरीके अपनाते थे। दूसरे महायुद्ध के समय हमें बोलने तक की अनुमति नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मध्याह्न भोजन के पश्चात वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री कृ० मा० कौशिक : आज भी दुर्भाग्य से हम अपने ही लोगों के विरुद्ध इन दमनकारी उपायों का प्रयोग करने जा रहे हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता। इसके दो कारण हैं। एक यह है कि इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में कोई ऐसी आवश्यकता दिखाई नहीं देती जिसने गृह-कार्य मंत्री को इस विधेयक को पारित करवाने के लिये विवश

किया हो और दूसरे उपलब्ध रिकार्ड से यह पता चलता है कि यह विधेयक संविधान की भावना के विरुद्ध है। इस विधेयक में किसी भी संगठन को अवैध घोषित करने की निरंकुश शक्ति कार्यपालिका को दी गई है। इतना ही नहीं, किसी संगठन को अवैध घोषित करने की प्रतीक्षा तक नहीं की गई और कार्यपालिका को ये शक्तियां दी गई हैं। मेरे विचार में इन शक्तियों का प्रयोग बहुत ही मजबूरी की स्थिति में किया जाना चाहिये। उद्देश्यों और कारणों, के विवरण से इस प्रकार की स्थिति का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। दूसरी बात यह कही गई है कि राष्ट्रीय एकता समिति ने इस प्रकार का अधिनियम बनाने के लिये कहा था। यह सिफारिश उस समय की गई थी जब यह दक्षिण में कुछ लोग अपने लिये तामिलनाद बनाना चाहते थे। वह कुछ पृथकता चाहते थे। इसलिये समिति ने देश की अखण्डता और एकता बनाये रखने के लिये यह सिफारिश की थी। परन्तु अब तामिलनाद की मांग त्याग दी गई है और वास्तव में वह दल आज मद्रास में शासन चला रहा है। इसलिये उद्देश्यों और कारणों के विवरण में दिये गये कारण और समिति की सिफारिशों का इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई लाभ नहीं है।

मेरा दूसरा कारण यह है कि जहां तक मुझे पता है संसार के किसी अन्य देश में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः हम इस प्रकार की व्यवस्था को सहज में ही स्वीकार नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि यदि यह कानून पास भी हो जाता है तो भी इससे हमारे देश का कोई हित नहीं होगा। अब आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों के लोग अपने लिये अलग राज्य चाहते हैं। फिर नागालैण्ड और मिजो क्षेत्रों की समस्याएं हमारे सामने हैं। मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक के पास होने मात्र से ही पृथकतावादी मांगों का अन्त हो जायेगा और देश में एकता हो जायेगी। मेरे विचार में इस विधेयक के पास होने से स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि सभा इस विधेयक को अस्वीकार कर दे।

इस विधेयक में तीन प्रकार के अपराधों का उल्लेख है अर्थात् अभ्यर्पण, सम्बन्ध विच्छेद और विघटन। यदि वास्तव में ये अपराध हैं और सरकार इनके प्रचार करने वाले लोगों को दंड देना चाहती है तो ऐसा करने के और कई तरीके हैं। दण्ड संहिता में देश द्रोह का एक अध्याय है। इसके क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। ये अपराध देश के विरुद्ध हैं और इनके साथ निपटने के लिये दण्ड संहिता में संशोधन कर देना चाहिये ताकि सदा के लिये कानून बन जाये। इस विधेयक में किसी संगठन को अवैध घोषित करने और लोगों को जेल आदि भेजने के लिये निरंकुश शक्तियां दी गई हैं। इसलिये यह विधेयक बहुत ही अनुचित एवं अनावश्यक है।

इस विधेयक के बहुत से उपबन्ध बिल्कुल अनुपयुक्त और संविधान में उल्लिखित मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध हैं। यदि सरकार अधिसूचना में किसी संगठन को विधिविरुद्ध घोषित करने के कारण का उल्लेख नहीं करती तो वह संगठन न्यायाधिकरण के सम्मुख अपने बचाव पक्ष को कैसे प्रस्तुत कर सकता है? इसलिये मेरा निवेदन यह है कि खण्ड 3 का उप-खण्ड (2) का यह परन्तुक मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध है और यह अधिनियम को संवैधानिक बताने में बाधक सिद्ध होगा और यह अनुचित समझा जायेगा। कार्यपालिका को दी गई यह शक्ति बिल्कुल

निरंकुश है। फिर खण्ड 9 के अन्दर हमें अपील करने का भी अधिकार नहीं। अतः न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम समझा जायेगा। इसलिये भी यह विधेयक अनुचित समझा जाना चाहिये।

खण्ड 13 (3) के अधीन सरकार के मनोनीत व्यक्ति राज्यक्षेत्रों में फेरबदल कर सकते हैं। परन्तु जो लोग वास्तव में जनमत तैयार करते हैं, वे इस अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। यह भेदभाव पूर्ण बात है, इसलिये इस उपबन्ध को हटा देना चाहिये।

यदि महान्यायवादी की राय की छानबीन की जाये तो पता चलता कि उन्होंने अन्त में कहा है कि उन्होंने इस विधेयक पर उस दृष्टि से विचार नहीं किया और इसलिये वह इस सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कह सकते। इसलिये हमें पता चलता है कि महान्यायवादी भी इस विधेयक के उपबन्धों के बारे में विश्वस्त रूप से कुछ नहीं कह सकते।

इन परिस्थितियों में मेरा यह अनुरोध है कि विधेयक को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : सभा के विचाराधीन यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान के रचियता डा० अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान की भूमिका में जो व्यवस्था की गई है वह यह है कि मूलभूत अधिकारों को निश्चित शब्दों में स्पष्ट करने और पुलिस को शक्ति के सिद्धान्त को मानकर संसद् के विचारों के संरक्षणार्थ सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर करने के स्थान पर सीधे राज्य को मूलभूत अधिकारों को सीमित करने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि भारत की प्रभुसत्ता एवं अखण्डता की सुरक्षा के लिये मूलभूत अधिकारों पर कुछ निर्बन्धन लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। राष्ट्रीय एकता परिषद ने भी 20 सितम्बर, 1961 को अपनी बैठक में कुछ इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये थे।

अमरीका में भी सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय किया था कि निष्कपट मामलों में भी किसी व्यक्ति की निरंकुश स्वाधीनता ठीक नहीं है। यह स्वाधीनता सामान्य जनता के हित के साथ सम्बद्ध होनी चाहिये। जापान तथा कुछ अन्य देशों को, जिनकी सुरक्षा को कुछ खतरा रहा है, संगठन बनाने के विषय में मूलभूत अधिकारों में कुछ कमी करने के सम्बन्ध में कानून बनाने पड़े थे। अतः ऐसा केवल भारत में ही नहीं किया गया है। महान्यायवादी ने भी इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि देश के कुछ भागों में संतोषजनक स्थिति न होने के कारण इस प्रकार का कानून बनाना आवश्यक था। यह विचार उन्होंने संयुक्त समिति के सम्मुख रखे थे।

देश में तोड़ फोड़ की गतिविधियां चल रहीं हैं जिनसे देश की प्रभु सत्ता एवं अखण्डता को खतरा है। यह कौन नहीं जानता कि इन तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों के पीछे चीन का हाथ है।

नागा विद्रोहियों तथा मिजो विद्रोहियों को गुरेला युद्ध करने के तरीकों का चीन में प्रशिक्षण दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था कि मिजो विद्रोही पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि यह विधेयक अनावश्यक है परन्तु इस बात को कोई भी सदस्य सिद्ध नहीं कर सका कि हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को बनाये रखने के लिए यह विधेयक अनावश्यक है।

इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उनको इस बात का भय है कि कहीं इस विधेयक के उपबन्धों का प्रयोग उनके विरुद्ध न हो। गृह मंत्री ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किसी राजनीतिक संस्था की इस देश में बनाये गए कानून के अनुसार की जाने वाली गतिविधियों को सीमित करने के लिए इस विधेयक के उपबन्धों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। यदि इस शर्त का पालन नहीं किया जाता तभी इस प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न उठता है। देश की अखण्डता, सुरक्षा और प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यह बातें वही सोच सकता है जो देश भक्त हो। मेरे विचार में 1966 में जिस रूप में यह विधेयक बनाया गया था, उसी रूप में यह कानून बन जाना चाहिये था। इस विधेयक में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें छोड़ दी गई हैं। फिर पाकिस्तान और चीन से हमें खतरा बना हुआ है। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि इस विधेयक को पूर्ण एकमत से स्वीकार कर लिया जाये।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : We had tried in the select committee that the Bill is drafted in a manner in which it could not be misused and fundamental rights enshrined in the constitution are also protected. But we could not succeed. This Bill was brought forward keeping in view the activities of a party in Madras who were talking of secession. The Hon'ble Home Minister would agree that there is no such demand at the present. The party which had demanded Tamilnad has given up that idea. So far the question of Naga rebels is concerned who want to be free from Indian Union, Government is negotiating with them. Government is negotiating with the rebels and the Parliament is being asked to give more powers to the Government so that action may be taken against them. These extraordinary powers will not be used against the people in Jammu and Kashmir who have been in constant collusion with Pakistan and who want to change the constitutional status of Jammu and Kashmir. There is wide gap between the words and deeds of the Government. Had the Government desired, could it not declare the activities of Plebescite front in Jammu and Kashmir as illegal ? But the Government did not want to use their power even in the course of emergency. Then what is the use of asking for more powers ?

We have even apprehension that these powers would be misused. We must face the danger to our sovereignty but if Government is not able to face the challenge because it does not have the power but Government is not able to face because it has no courage to do so. It has been stated in the Bill that any talk about secession of a part of the territory of India from the union would be unlawful. But is it not a fact that Government themselves are giving away our territories to other countries ?

I would request the Hon'ble Home Minister to declare that Government would not part with the territory of Jammu and Kashmir illegally occupied by Pakistan for the sake of friendly relations with Pakistan.

The Bill, in its present form, is not acceptable to us. If the Home Minister is prepared to accept some more amendments, only then we can agree to it. Otherwise I would request that the Bill should be withdrawn.

Shri Ahmad Aga (Baramulla) : When there are disruptionist tendencies in the country, a legislation to meet such a situation is all the more necessary. I, therefore, welcome this Bill. We should create an atmosphere of understanding and toleration in the country. The Government is negotiating with Nagas just because they are our brothers and we want to have some uuderstanding with them but if we are failed to achieve this understanding then such a legislation becomes necessary.

It was alleged that there is communalism in Jammu and Kashmir. I want to draw the attention of the House towards the incident of disappearance of sacred relic. At that time Hindus, Sikhs and Muslims of the valley were united. We requested Shri Lal Bahadur Shastri to solve that issue. We never wanted any outside power to solve our disputes. It has also been said that first class administrators should be sent to Kashmir and Kashmir officials should be replaced. Does it mean that the people of State are not capable to run the administration of their own State ? On the other hand they should be provided in the services in other parts of the country also. The integrity of people of that part of the country should not be doubted. We have never said that we have no claim over the territory which is illegally occupied by Pakistan. We want that territory back.

The people from Jammu and Kashmir should be provided employment in other parts of the country which would generate feeling of oneness in them and they will know about the rest of the country. Mere legislative measure are not enough, we have to create suitable environments to achieve unity of the country.

श्री कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : उपाध्यक्ष महोदय मेरे संशोधन का आशय है कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाये और वह इस विधेयक को उच्चतम न्यायालय को भेजें ताकि संविधान के अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत राय जानी जा सके। मेरे विचार में इस विधेयक के लाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस विधेयक लाने की क्या आवश्यकता है ? इस समय देश को किससे खतरा है। हमारा दल ही पहले देश से अलग होने की मांग करता था परन्तु अब हमने वह मांग छोड़ दी है।

मुझे सन्देह है कि श्री चह्वाण भविष्य में इस विधेयक का सहारा लेकर गैर-कांग्रेसी सरकारों के विरुद्ध बिना कारण के कार्यवाही करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि एक दल पाकिस्तान या चीन से मित्रता स्थापित करने के लिये यह मांग करता है कि हमें मिल-बैठकर उनको अपने देश का थोड़ा इलाका दे देना चाहिये, तो क्या ऐसा कहना भी विधि विरुद्ध माना जायेगा और इस कानून के अन्तर्गत उस दल के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

हम मानते हैं कि आजाद काश्मीर का क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान ने 1947 से जबर्दस्ती कब्जा कर रखा है भारत का क्षेत्र है। उस क्षेत्र को मुक्त कराने के लिये भारत ने क्या कार्यवाही की है। अब यदि कोई यह कहे कि पाकिस्तान के साथ झगड़ा समाप्त करने के लिये वह क्षेत्र उस देश को दे दिया जाये तो यह कहना विधिविरुद्ध समझा जायेगा। वैसे स्वर्गीय पंडित

नेहरू ने भी यह सुझाव दिया था। मैं समझता हूं कि यह विधेयक तो देश के राजनैतिक दलों के विरुद्ध प्रयोग में लाया जायेगा। सरकार अपने दल की सत्ता को स्थायी बनाने के लिये यह कानून बना रही है।

भारत के महान्यायवादी श्री दफतरी ने कहा है कि इस विधेयक के अन्तर्गत विधिविरुद्ध समझे गये भाषणों के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जा सकेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि हम इस विधेयक के पारित करने से कांग्रेस पार्टी अर्थात् सत्तारूढ़ पार्टी के हाथ में बहुत अधिक अधिकार दे रहे हैं। किसी भी प्रजातन्त्रीय देश में सरकार के ऐसे अधिकार नहीं हैं।

यह संविधान के अनुच्छेद संख्या 19 (1) के विरुद्ध है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur): I support this Bill. This Bill is very timely and very necessary for our country. No doubt D. M. K. has given up its demand for separation from the country but who knows this demand may revived after some years. There are many other problems before our country. The problems like Nagas, Mizos and Kashmir are there. Then the Chinese agents are also present in this country. There are organisations whose activities need to be curbed. We know Shiv Sena and other such organisations. They are engaged in anti-social and anti-national activities. It is very essential to apply some control on their activities.

The official language Bill been passed recently. The D. M. K. party has started issuing statements against this Bill. It is not proper. We know that acts of lawlessness are on the increase in the country. The air in the country is surcharged with violence. In Bengal and other states many happenings have taken place which should open our eyes.

I feel that it is very essential to pass this Bill for the unity of our country. Many instances of sabotage and subversions have come to notices. It is essential to check the elements indulging in such activities. We have a people's Government. It has to perform the duty of maintaining law and order. This type of Bill should not be opposed. Those who are against this seem to be having guilty conscience.

This law will be a powerful weapon in the hands of Government to check fissiparous tendencies in the country. With these words I support this Bill.

Shri Sarjoo Pandey (Gazipur): This is an unwanted Bill. There is no need of this Bill. I am told that it is being enacted to curb antinational and unlawful activities such elements. Some elements are posing danger to the security and unity of our country. It has become necessary to empower Government.

The people of this country will not tolerate this type of legislation. This Bill should have been referred to President for knowing the opinion of Supreme Court on this matter.

[श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए
Shri C. K. Bhattacharya in the Chair]

If this Government does not change its policies, people will make demand to have a separate territory. Instead of enacting this law, Government should try to solve the problems

of Nagas and the people of South India. We are afraid that Government will make misuse of the powers under this Act. Already, we know, Government is indulging in many unlawful and unconstitutional activities. It has imposed a minority Government on West Bengal. Now they want to have more powers. Everyone knows that Government is taking undue advantage of Preventive Detention Act. Now they want that with more powers they want to shut the mouth of their critics.

Now people will be prosecuted for minor things. This is a worst type of piece of legislation, I have ever come across. This is being enacted at the instance of capitalists. I want to know whether it would be used when Muslims and Communists would feel insecure? Government should not compel people to break laws by making such laws. By this Act Government wants to perpetuate its rule. This ruling party is getting huge sums of money from America through C. I. A. but no action is being taken against the persons responsible for this. Now if some one from the opposition will utter a word of criticism, he would be punished under this law.

This Government has not got the support of masses. Now it has passed the Languages Act. Can it say that people support that Act? I doubt very much. This Government is guilty of negligence during these twenty years. Its policies and programmes have not brought any relief to the general masses. Now this Bill is another example of bankruptcy of wisdom. This Act should be withdrawn. It is not needed here.

श्री अमियनाथ बोस (आरामबाग) : श्रीमान् मैंने कांग्रेस पार्टी का विरोध किया था। मैं देश की एकता की अपील करते हुए इस विधेयक का कुछ शर्तों के साथ समर्थन करता हूं। मेरे विचार में यह कानून संविधान के अनुच्छेद 19 के विरुद्ध नहीं। महा न्यायवादी श्री दफतरी ने, भी राय व्यक्त करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत न्यायसंगत प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं।

दूसरे आजकल हमारे यहां पर कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत विधि विरुद्ध कार्य करने वालों के विरुद्ध कारगर ढंग से कार्यवाही की जा सके। मेरा गृह-कार्य मंत्री से अनुरोध है कि इस कानून के अन्तर्गत दिये गये दण्ड के विरुद्ध अपील करने की अनुमति का उपबन्ध किया जाना चाहिये। हमारे देश की न्यायपालिका के बारे में लोगों में बहुत मान है। मैं यह बात अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कर रहा हूं। हमें अपने देश के सभी प्रकार के खतरों को ध्यान में रखना है।

पाकिस्तान हमारे लिये हर तरह की कठिनाइयां खड़ी करना चाहता है। पिछले मार्च के महीने में मैं जब बादशाह खां से मिला था तो उन्होंने मुझे कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण ही भारत से शत्रुता के लिये हुआ है। इसलिये भारत को सावधान रहना चाहिये। हमें पाकिस्तान के प्रति कठोरता का रवैया अपनाना चाहिये। हमें चीन से भी अपना क्षेत्र वापिस लेना है। आज चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर हमारे देश को हानि पहुंचाना चाहते हैं। बंगाल में ऐसे-ऐसे लोग हैं जो खुले तौर पर चीन का समर्थन करते हैं। मैं पिछले अक्तूबर में बंगाल के विभिन्न भागों में घूमा हूं वहां के लोग बताते हैं कि कई लोग चीन के समर्थन में देश को नुक्सान पहुंचाने से भी नहीं चूकेंगे। इसलिये हमें विघटनकारी तत्वों से निपटने के लिये इस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। ऐसे देशद्रोही तत्वों को कठोरता से दबाने की बहुत आवश्यकता है।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित होगा। उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का उपबन्ध किया जा रहा है कि जो भारत संघ से अलग होने का प्रचार करेंगे। मेरे विचार में तो इस विधेयक का विरोध करने की कोई बात नहीं है।

यह कहा गया है कि वर्तमान कानूनों के होते ऐसे विधान की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इसका उत्तर हमारे मित्र श्री अमिय बोस ने दे दिया है। आज हमारे देश में विघटनकारी तत्व सिर उठा रहे हैं। मिजो लोगों की मांगें इसका एक उदाहरण हैं। यदि सरकार पर पर्याप्त अधिकार नहीं होंगे तो देश की बहुत हानि हो सकती है। जब भारत रक्षा नियम हटा दिये जायेंगे तो इस कानून की बहुत आवश्यकता होगी। इसलिये इस विधेयक का पारित किया जाना बहुत आवश्यक है।

इस विधेयक के द्वारा किसी पर अनुचित बोझ नहीं पड़ेगा और किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। जो व्यक्ति या संगठन भारत से अलग होने की बात करता है वह वास्तव में ही देशद्रोही है और उस पर प्रतिबन्ध लगाना अनुचित नहीं होगा। इसलिये कुछ प्रतिबन्ध लगाना बिल्कुल न्यायसंगत होगा।

सरकार को जो-जो शक्तियां इस विधेयक के अन्तर्गत प्राप्त करनी हैं वे किसी भी कसौटी पर पूरी उतरती हैं। एक सरकार के पास ये अधिकार होना बहुत आवश्यक है। मेरे विचार में सरकार को अधिसूचना द्वारा एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति करना ठीक नहीं है। उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार दण्डित लोगों को दिया जाना चाहिये। इस बारे में नियम बनाये जाने चाहियें।

यह कहना गलत है कि यह विधेयक कुछ राजनैतिक दलों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पारित किया जा रहा है। संयुक्त समिति से वापिस आने के बाद इस विधेयक में कोई त्रुटि नहीं रही है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : The Attorney General has said in Select Committee meeting that "This Bill is not perfectly constitutional. I say it is constitutional". Another thing today is that Congress party is losing ground and this Bill is an attempt to empower itself with extraordinary powers. What are unlawful activities ? I want to know which party has the powers to give a portion of our territory to another country. It is the only Congress Party. They have made provision for transfer of territory to other Governments by the Government of India. Is it proper ? No.

I do not feel any necessity for enacting this law. Government is already armed with many powers. They have many laws to curb unlawful elements. I know one party which is engaged in anti-national activities. It is Congress Party. First of all action should be taken against that party.

It has handed over to Pakistan Haji Pir area which was a part of this country and our Jawans had shed their blood for that area. Similarly they have given area to Pakistan in the

Rann of Kutch. This act should be applied to this party because it has been indulging in unlawful activities.

The policies pursued by Congress Party duriug the last 20 years are responsible for the present state of affairs of our country. We see fissiparous tendencies are raising their head in different parts of the country. There are wide disparities in investments for developmental work in different states. Government has been working under various types of pressures. The rural areas have been badly neglected. The metropolitan cities like Bombay, Bangalore, Calcutta and Delhi have received special treatment. Thus action should be taken against Congress Party for its acts omission and commission.

I would request Hon. Minister to check the expressions of Congressmen who indulge in anti-national activities.

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : यह विधेयक बहुत ठीक समय पर लाया गया है। आज की देश की परिस्थितियों में इसकी बहुत आवश्यकता थी। इसका उद्देश्य देश में विघटनकारी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करना है। यहां पर बहुत सी असंगत बातें कही गई हैं। हमें उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिये। हमें संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार कुछ अधिकार प्राप्त हैं। यह विधेयक किसी प्रकार भी हमारे अधिकारों का हनन नहीं करता। अधिकारों का प्रयोग देश के विकास कार्यों के लिये है और विघटनकारी कार्यों के लिये नहीं है। इसी प्रकार संविधान का अनुचित लाभ नहीं उठाया जा सकता अतः यह विधेयक किसी प्रकार भी अनुच्छेद के विरुद्ध नहीं जाता। देश की सरकार के समक्ष कई बार ऐसी-ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, कि उसे अविलम्ब कार्यवाही करनी पड़ती है और न्यायालय में भी जाने का समय नहीं होता। इसलिये इस विधेयक के उपबन्ध न्यायसंगत हैं।

यहां पर कहा गया है कि शेख अब्दुल्ला देश विरोधी कार्य करते रहे हैं और अब उनको रिहा किया जा रहा है। ऐसा करना इस विधेयक की भावना से मेल नहीं खाता। इस बारे में विधेयक में दण्ड का जो उपबन्ध है शेख साहब का दण्ड पहले ही उसी के अनुसार था। अब फिर यदि उन्होंने ऐसी बात की तो उनको दण्ड मिल सकता है।

श्री विश्वनाथ मेनन (एर्णाकुलम) : मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का विरोध करता हूं। हमने इस बारे में दो संशोधन दिये हैं। एक का आशय इस विधेयक को राष्ट्रपति को भेजना है ताकि वह उच्चतम न्यायालय की राय जान सकें और दूसरे का इसे जनता की राय जानने के लिये परिचालित करना है। संयुक्त समिति ने इस विधेयक पर पूरी तरह विचार नहीं किया। और महान्यायवादी ने भी इसे पूर्ण रूप से संवैधानिक नहीं बताया। राज्य सरकारों से भी इस बारे में मंत्रणा नहीं की गई है। परन्तु इस विधेयक का प्रभाव समूचे देश पर होगा। आप समिति का साक्ष्य देखें तो पता चलेगा कि महान्यायवादी को स्वयं पूरा विश्वास नहीं था। इसी कारण हम इस विधेयक को विधि विरुद्ध मानते हैं। इसीलिये हमने इस विधेयक पर विधि विशेषज्ञों की राय जानने की मांग की है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसे इतनी शीघ्रता से क्यों पारित करना चाहती है।

नागालैंड की समस्या का भी इस कानून से समाधान नहीं होगा और न ही कोई और समस्या ही हल होगी।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

सीमा समस्याओं के बारे में मेरी पार्टी चीन और पाकिस्तान के साथ शान्तिमय समझौते की समर्थक है। आप आजाद काश्मीर या अकसाई चीन को इस विधेयक द्वारा वापिस नहीं ले सकते।

इस विधेयक में एक अद्भुत बात है कि यदि किसी पर अभियोग चलाया जायेगा तो उसको सिद्ध करना होगा कि वह दोषी नहीं है वैसे अभियोक्ता को यह बात सिद्ध करनी होती है कि अमुक व्यक्ति या संगठन दोषी है। मेरे विचार से तो यह कानून प्रतिपक्षी दलों का दमन करने के लिये बनाया जा रहा है। देश की एकता की तो केवल बात है।

1964 में आपात स्थिति की घोषणा के साथ ही हमें केरल में बन्दी बना दिया गया था। परन्तु उसका वास्तविक कारण आगामी चुनाव था। कांग्रेस पार्टी हमें जेल में रखना चाहती थी ताकि हम चुनाव के लिये कार्य न कर सकें फिर भी हम सब जीते। सरकार अब सत्ता कांग्रेस के हाथ में बनाये रखने के लिये यह सब कुछ कर रही है। सरकार यदि जनता की राय जानना चाहती है तो इसे यह विधेयक परिचालित करना चाहिये।

मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि लोगों को जेल में डालने से कोई समस्या हल नहीं होगी। समस्याओं के समाधान के लिये आपको जनता की बात सुननी चाहिये। दमन से लोगों के विचारों को आप नहीं बदल सकते।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं समझता हूं कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भ्रम में हैं जब वह कहते हैं कि यह विधेयक उनकी वैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिये लाया गया है। यह किसी निर्दोषी के विरुद्ध लागू नहीं किया जायेगा। अब उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी जो चोरी छिपे संदिग्ध कार्यवाहियों में लगे रहते हैं। और जिन से देश की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा है। अतः प्रतिपक्ष वालों को किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिये। सरकार निर्दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगी। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो सदा देश की एकता की बात करते हैं परन्तु अन्दर ही अन्दर देश को हानि पहुंचाने की सोचते हैं। यह विधेयक ऐसे लोगों के विरुद्ध ही प्रयोग में लाया जायेगा। हमें जनता का सहयोग और विश्वास प्राप्त है। हमारे देश में जो विघटनकारी तत्व हैं यह कानून उनके विरुद्ध प्रयोग में लाया जायेगा। पश्चिमी बंगाल में कुछ चीन समर्थक तत्व गड़बड़ कर रहे थे। नक्सलबाड़ी का मामला हमारे सामने है। इनको समाप्त करने की जिम्मेदारी सरकार की है। मुझे प्रसन्नता है कि

डी० एम० के० वालों ने अलग होने की मांग छोड़ दी है। परन्तु उन लोगों से खतरा उत्पन्न हो सकता है जिनकी निष्ठा किसी अन्य देश में है। जो देश में गड़बड़ तथा तोड़फोड़ कराते हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए यह कानून होगा। मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री लकप्पा (तुमकुर) : श्रीमान जी, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इसके उपबन्धों और समिति के प्रतिवेदन का अच्छी तरह अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सरकार इस विधेयक को अन्य दलों का दमन करने के लिये प्रयोग करेगी। अत: मैं इस विधेयक को संविधान के विरुद्ध समझता हूं। हमें कांग्रेस पार्टी के कामों की जानकारी है। हमें मालूम है कि पिछले 20 वर्षों में इसने किस प्रकार गैर-कांग्रेसियों का दमन किया है। इन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। मैं इनको सचेत करना चाहता हूं कि यदि इन्होंने आगे तानाशाही चलायी तो यहां क्रान्ति हो जायेगी। मैं तो यह महसूस करने लगा हूं कि यह सरकार इस देश में लोकतन्त्र समाप्त करने जा रही है।

अनुच्छेद 19 के अन्तंगत लोगों को बहुत से अधिकार मिले हुए हैं परन्तु इस विधेयक द्वारा उनका हनन किया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ाई के समय इस देश ने एक अद्भुत एकता का परिचय दिया था परन्तु यह कांग्रेस वाले लोगों में शंकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। मैसूर राज्य में कांग्रेस सरकार अपने अधिकारों का दुरपयोग कर रही है।

इस कानून की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस विषय पर पहले ही काफी कानून बने हुए हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121 और 122 के अधीन सरकार के पास पहले ही काफी शक्ति विद्यमान है। देश की रक्षा के लिये पुलिस और सेना की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। अत: इस घृणित कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। महान्यायवादी श्री दफतरी ने संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष अपने साक्ष्य के दौरान कहा था कि जहां तक अनुच्छेद 19 का सम्बन्ध है हम नहीं कह सकते कि यह निर्बन्धन कहां तक उपयुक्त है। इस विधेयक की आवश्यकता अब इसलिये महसूस की गई क्योंकि सरकार को यह खतरा हो गया है कि कहीं सारे देश में गैर-कांग्रेसी सरकारें न स्थापित हो जायें।

अब कार्यपालिका किसी संगठन को विधि विरुद्ध घोषित करेगी। गृह-मंत्री यह स्वीकार करें कि किसी संगठन को विधि विरुद्ध घोषित करने से पहले वह मामला उच्च न्यायालय को भेजा जायेगा। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायपालिका द्वारा निर्णय दिये जाने से पहले किसी संगठन को विधि विरुद्ध घोषित नहीं किया जाना चाहिये।

इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि यह विधेयक घृणास्पद है एवं अलोकतंत्रीय है। मेरे विचार में इस विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये या मंत्री महोदय को इसे वापिस लेना चाहिये।

Shri Sitaram Kesri (Katihar) : Some recent happenings in the country justify the necessity of this Bill. Recently communists paraded the streets of Calcutta exhibiting the

portrait of Mao. They cannot be allowed to behave like this. They cannot be allowed to loot the foodgrains of farmers in Naxalbari and harass general public. In order to maintain unity and integrity of this country, the Bill is necessary. There are certain disruptive elements in country who are indulging in sabotage activities. These elements have to be put down and this legislation is necessary for the purpose. With these words I support this Bill.

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है कि देश की प्रभुसत्ता एवं अखण्डता की रक्षा होनी चाहिये । परन्तु मेरे विचार में इस विधेयक के कुछ उपबन्ध घृणास्पद हैं और उनका दुरुपयोग किया जा सकता है ।

बात यह है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों का प्रभाव हमारे देश की प्रगति पर पड़ता है । हमारी सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है । जब चीन ने अकसाई चिन पर कब्जा कर लिया और वहां पर सड़क बनाली तो हमारी सरकार चुप रही । जब पाकिस्तान ने हमारा कुछ क्षेत्र मांगा तो हम पश्चिम बंगाल से बेरुबाड़ी देने के लिये तैयार हो गये । अब भी पाकिस्तान का जम्मू और काश्मीर के दो-तिहाई भाग पर कब्जा है, परन्तु उस सम्बन्ध में भी चुप हैं । हम हाजीपीर आदि पर कब्जा करके वहां से फिर पीछे हट गये । अब चीन ने हमारे इतने बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ और हम चुप हैं । इस सब का कारण यह है कि हम शान्तिपूर्ण ढंग से बातचीत द्वारा इन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं और यही हमारी विदेश नीति रही है । यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि चीन या पाकिस्तान के साथ युद्ध करना हमारे देश के हित में नहीं होगा तो यह अपने विचारों की अभिव्यक्ति मात्र है । विचारों की अभिव्यक्ति को हम उत्तेजनात्मक कार्यवाही नहीं कह सकते । अतः इस विधेयक द्वारा इस देश के लोगों की लोकतंत्रीय स्वतंत्रता पर निर्बन्धन लगाना उचित नहीं होगा ।

इस विधेयक द्वारा सरकार जिस काम को स्वयं कर सकती है वह वही काम करने से लोगों को रोकना चाहती है । सरकार पाकिस्तान को या चीन को देश का कोई भाग दे सकती है । प्रधान मन्त्री ने मंगला बांध बनने पर पाकिस्तान को धन्यवाद दिया परन्तु यदि कोई व्यक्तिगत रूप में ऐसे करे तो उसे इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन गिरफ्तार कर लिया जायगा । मैं प्रधान मन्त्री की इस कार्यवाही का समर्थन करता हूं पर मेरा मतभेद इस पर है कि यह द्वेषपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिये । इस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार करके लोगों को अपनी सही राय व्यक्ति करने के लोकतंत्रीय अधिकार से वंचित करना है ।

अन्त में मैं इस विधेयक के खण्ड 16 में कुछ कहना चाहता हूं । इस खण्ड में देश के नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने से वंचित कर दिया गया है । मैं इस उपबन्ध की संवैधानिकता को चुनौती देता हूं । यह उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 32 के विरुद्ध है । इन घृणास्पद उपबन्धों के कारण में इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता ।

Shri Sheo Narain (Basti) : The Government have emergency powers but they do not use them. We are all aware of the disturbances of the country. The purpose of this Bill is to deal with such unlawful activities. The Hon'ble Home Minister has assured the House that

emergency would be lifted in the month of December. But we cannot just watch the activities being carried out in west Bengal, Kashmir and Kerala. I would request the Home Minister that whatever law is passed, it should be implemented. There should not be any leniency in the enforcement of this legislation.

[श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : गृह-मंत्री ने इस देश में विधि विरुद्ध क्रिया-कलापों का मुकाबला करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया है। परन्तु उनके दल के अन्य वक्ता यह कह रहे कि यह किसी दल विशेष के विरुद्ध है। इस भ्रान्ति का कारण हमारी समझ से बाहर है। जो लोग इस विधेयक के साथ सहमत नहीं उनका सम्बन्ध अलग-अलग कई दलों के साथ है किसी दल विशेष से नहीं।

मेरे विचार में इस बिल के खण्ड 3 के उपखण्ड (2) का परन्तुक सबसे अधिक आपत्ति-जनक है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार जिस बात को लोक-हित के विरुद्ध समझेगी वह उसके सम्बन्ध में जानकारी नहीं देगी। फिर इस विधेयक का समर्थन इस आधार पर किया गया है कि एक न्यायाधिकरण स्थापित किया जायेगा जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जायेगी। परन्तु हम नहीं जानते कि क्या न्यायाधिकरण सरकार से कोई सूचना प्राप्त कर सकेगा या नहीं। सरकार उन्हें भी कह सकती है कि क्योंकि उन्होंने कारण नहीं बताये हैं इसलिए उन्हें भी कारण नहीं बताये जा सकते।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह हो सकता है कि अधिसूचना में कोई बात न बतायी जाये परन्तु जब मामला न्यायाधिकरण के पास जायेगा, तो उनसे कोई बात छिपाने का सरकार का कोई इरादा नहीं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : फिर यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि न्यायाधिकरण को सरकार से समस्त जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा। न्यायाधिकरण के न्यायाधीश की नियुक्ति भी सरकार करेगी। न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार उच्च न्यायालय को होना चाहिए।

इस विधेयक की भाषा स्पष्ट नहीं है। इसमें एक परन्तुक है कि कोई संस्था को किसी औपचारिकता के बिना विधिविरुद्ध घोषित किया जा सकता है। एक मामले में वह मामला न्यायाधिकरण को अनुमोदनार्थ भेजा जायेगा परन्तु एक अन्य मामले में न्यायाधिकरण को भेजने की आवश्यकता नहीं है। यह भाषा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार खण्ड 4 भी बिल्कुल अस्पष्ट है।

एक और आपत्तिजनक बात यह है कि अभियुक्त को अपना मामला सिद्ध करना होता है। सकारात्मक मामला तो सिद्ध करना सरल होता है परन्तु नकारात्मक मामले को सिद्ध करना लगभग असम्भव कार्य है। यदि मुकदमा चलाने वाले के पास कोई साक्ष्य है तो वह उसे पेश

करे और अभियुक्त यथा सामर्थ्य उसका प्रत्युत्तर देगा। यह अधिकार उसे मिलना चाहिए। नहीं तो कानून एक उपहास मात्र रह जायेगा।

सरकार के अनुसार यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह देश में वर्तमान स्थिति के साथ निपटने के लिए यह असाधारण शक्ति प्राप्त करना चाहती है। परन्तु सरकार को यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। इसके बजाय सरकार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए यह उत्तरदायित्व दूसरे अधिकारियों को सौंप देती है। यह अनुचित बात है। यह निवारक निरोध अधिनियम से भी खतरनाक है और किसी अधिकारी को शक्ति सौंपने की व्यवस्था बहुत बुरी है। यदि विधेयक पास किया जाना है तो उसमें से यह व्यवस्था हटाई जानी चाहिए।

फिर यह न्यायाधिकरण स्थायी नहीं होगा। प्रत्येक मामले में न्यायाधीश बदला जायेगा क्योंकि एक ही न्यायाधीश सरकार को सन्तुष्ट नहीं कर सकेगा। फिर एक और निन्दनीय उपबन्ध इस विधेयक में यह है कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी भी कार्यवाही का कोई भी न्यायालय पुनर्विलोकन नहीं कर सकता और फिर इसमें अपील करने का भी कोई अधिकार नहीं है। यह ठीक है कि सरकार कहती है कि इस धारा से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हटाई नहीं जा सकतीं। तो फिर सरकार ने यह धारा जोड़ी ही क्यों है। यह धारा निरर्थक है। इसलिए यदि ये निरर्थक उपबन्ध हटाये नहीं गये तो सम्भव है कि बिल्कुल अनजान व्यक्ति मुसीबत में फंस जायें और फिर इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा।

मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि इन न्यायाधिकरणों के स्थान पर यदि सरकार यह संशोधन कर दे कि यदि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यक्ति विधिविरुद्ध कार्य कर रहा है तो उसको आदेश जारी कर दिये जायें और फिर उसे उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। फिर ठीक बात होगी और जो विधेयक अब निन्दनीय है, वह कुछ अच्छा बन जायेगा। इस विधेयक का विरोध केवल साम्यवादी दल द्वारा नहीं किया जा रहा बल्कि कांग्रेस सरकार को छोड़कर अन्य सभी दलों ने इसका विरोध किया है। इसका कारण यह है कि इस विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

Shri Hem Raj (Kangra) : I support this Bill. There is no difference of opinion about the fact that this Bill is essential for safeguard and integration of the country. So far the question of appointment of a judge is concerned it will be left to the discretion of Chief Justice. It will be for him to spare any judge, he likes. Central Government cannot compel the Chief Justice to appoint a particular judge. The question of right of appeal was also raised before the select committee. The Attorney General replied that so far the question of powers of Supreme Court is concerned, they will not be taken away by this provision. The power of writ will remain intact.

If an individual expresses his own opinion, he cannot be arrested under this Act. It has also been said that the onus of proof on the accused who is innocent by the charges against him.

But he can have access to facts once they are disclosed to the judge. Therefore this argument does not stand.

In the end I would say that we frame laws but they are not enforced. If they are enforced properly communists will not be in a position to indulge in disruptive activities. Similarly if this legislation is enforced properly, it can firmly deal with unlawful activities and integrity and sovereignty of our country can be safeguarded.

Shri Onkarlal Bohra (Chittorgarh) : When China attacked our country, the necessity of Defence of India Rules was felt. Similarly when violence broke in Naxalbari and we came to know that certain elements are trying to raise armed revolt with the help of a foreign country, then the necessity of introducing this Bill has been felt by our Government. These violent activities were carried not against the people belonging to Congress Party but the people belonging to other parties also. All the opposition parties except Communist party had expressed concern over the happenings in Naxalbari. In case we want to safeguard the sovereignty and integrity of our country then we must support this Bill.

In West Bengal teachings of Mao are being propagated. The communists are trying to weaken the national spirit of the people living there but I am sure that people of West Bengal would always stand for democracy and nationalism. The only object of introducing this Bill is to guarantee the territorial integrity of the country.

It has been observed that some people have taken law in their own hands. Certain elements are raising slogans of Vietnam and Mao. In order to curb this sort of propaganda and check such activities we have no other way but to accept this Bill. They have got freedom of speech but they have no right to indulge in anti-national activities which may result in disintegration of the country. We should rise above the petty provincial interests and regard the national interests as supreme. With this view I welcome this Bill.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Keeping in view the prevailing circumstances in the country, I consider this Bill as most important. Of course, there are many existing laws but there is no such law which could take place of this Bill.

[श्री चपलाकन्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए
Shri C. K. Bhattacharya in the Chair]

We should rise above the petty linguistic and religious disputes and treat the national interests as supreme.

**पश्चिम पाकिस्तान को नदियों के पानी की सप्लाई
SUPPLY OF RIVER WATERS TO WEST PAKISTAN

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi) : I want to draw the attention of the House towards a very important matter. When Mangla Dam was completed; the matter was

**आधे घंटे की चर्चा
Half-an-hour Discussion

discussed in this House in detail. An important factor was, however, ignored which related to India's request for supply of water after completion of the dam. When partition took place 2 crores 60 lakh acres of land was being irrigated. There were many canals taken out of the rivers of Panjab. Most of the national debt was used for digging of canals. 40 per cent of the area of Punjab was given to India but out of that irrigated land only 20 per cent. Out of 2 crores 60 lakh acres 50 lakh acres of land was given to India and rest of the area went to Pakistan. Out of six rivers, three rivers fall in our territory. The water of rivers in our territory is only 20 per cent whereas those in Pakistan have got 80 per cent of water. In view of this position we should have reserved water of our rivers for irrigation of our land. We should have given the water to Pakistan only on reciprocal basis. But Pakistan attacked Kashmir and established that they do not want to live with India peacefully. But it is the policy of appeasement followed by us, which is responsible for many problems. We took this water dispute to World Bank. The World Bank gave award that we should give Rs. 50 crores to Pakistan for digging a replacement canal and also supply water for five years to them. This was highhandedness. Because in the debt of Punjab, Pakistan was required to pay Rs. 300 crores but Pakistan had not paid a single penny. In view of this position there was no point in accepting the award of World Bank, but we accepted it and an agreement was signed in 1960.

सभापति महोदय : सभा में कोरम नहीं है। अतः अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार 19 दिसम्बर, 1967/अग्रहायण 28, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 19, 1967/Agrahayana 28, 1889 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—31-7-68—600.